चतुर्थ माला, खंड 15, अंक 31 बुधवार, 27 मार्च, 1968/7 चैत्र, 1890 (शक)
Fourth Series, Vol. XV, No. 31 Wednesday, March 27, 1968/Chaitra 7, 1890 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र]

Fourth Session

[खंड 15 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया *Price : One Rupee*

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

अंक 31, बुधवार, 27 मार्च, 1968/ चैत्र 7, 1890 (शक)
No. 31, Wednesday, March 27, 1968/ Chaitra 7, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
868. एशिया प्रतिष्ठान	Asia Foundation	..	1—2
869. विदेश सेवा अधिकारियों द्वारा कारों का बेचा जाना	Cars sold by Foreign Service Officials	..	2—5
870. वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास	Indian Embassy in Washington	..	5—10
871. भारत की सीमायें	India's Borders	..	10—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
872. कच्छ न्यायाधिकरण के व्यय को बाँटना	Sharing of Expenditure on Kutch Tribunal	..	17—18
873. पाकिस्तान में गुरुद्वारों के कैश बाक्सों का हटाया जाना	Removal of Cash boxes of Gurdwara in Pakistan		18
874. फिजी के भारतीयों की शिकायतें	Complains from Indians in Fiji		18
875. बर्मा में नजरबन्द भारतीयों को भारत में लाना	Repatriation of Indians detained in Burma		19
876. कच्छ पंचाट के बारे में पाकिस्तान का प्रचार	Pak. Propaganda about Kutch Award	..	19
877. नागा तथा मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में भारत और बर्मा के बीच परामर्श	Consultation between India and Burma re: activities of Nagas and Mizos		20

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
878. भारत के नियंत्रणाधीन द्वीप	Islands under India's control ..	20—21
879. प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल की धमकी	Threatened Strike by Defence Employees Federation ..	21
880. भारत मूलक लोगों को सिंगापुर में रोक लिया जाना	Persons of Indian Origin Stranded in Singapore	21—22
881. कीनिया में एशिया मूलक लोग	People of Asian Origin in Kenya	22
882. हिन्द चीन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग	International Control Commission for Indo-China ..	22
883. तिब्बत की स्वतन्त्रता के लिए राजनैतिक समर्थन	Political Support for Freedom of Tibet ..	22—23
884. उगांडा में एशियाई लोग	Asians in Uganda	23
885. भारत के प्रतिरक्षा व्यय पर अमरीका की आपत्ति	US Objections to India's Defence Expenditure	23
886. राष्ट्रमण्डल अनुशास्ति समिति	Commonwealth Sanctions Committee ..	24
887. सती अरुन्धिति तेलुगु फिल्म का प्रदर्शन	Screening of Telugu Film Sati Arundhati..	24—25
888. एयरो इन्जन फैक्टरी, सुनाबेडा	Aero-Engine Factory, Sunabeda ..	25
889. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Workers of HAL	25—26
890. आकाशवाणी का टुडे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम	To-day in Parliament Programme of AIR	26
891. श्री एस० एस० खेड़ा द्वारा लिखित इण्डियाज डिफेंस प्राबलम, नामक पुस्तक	Book Entitled India's Defence Problem by S. S. Khera ..	26
892. कच्चाटीबू द्वीप में तैनात श्रीलंका की नौसेना के दस्ते	Ceylon Naval Units Deployed in Katchchativu Island ..	27
893. भारत-पाकिस्तान वार्ता	Indo Pak. Talks	27
894. यूनिवर्सल प्रेस सर्विस को मान्यता	Recognition of Universal Press Service ..	27—28
895. लन्दन में भारतीयों द्वारा विरोध प्रदर्शन	Protest March by Indians in London ..	28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
896. छोटे आकार का केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल	Small Sized Central Cabinet ..	28
897. ढांडा इन्जीनियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, फरीदाबाद को माल की सप्लाई के लिए क्रयादेश	Order for Supply of Goods placed on Dhanda Engineers (P) Ltd. Faridabad ..	29
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5398. चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए महाराष्ट्र की योजनायें	Schemes for Fourth Year Plan by Maharashtra ..	29
5399. कोयना भूकम्प पर वृत्त चित्र	Documentary on Koyna Earthquake ..	30
5400. रंगीन वृत्त चित्र	Documentaries produced in Colour ..	30—31
5401. राष्ट्रीय छात्र सेना दल पर व्यय	Expenditure on NCC	31
5403. कोरापुट में नया हवाई अड्डा	New Aerodrome at Koraput ..	31
5404. मध्य प्रदेश में आण्विक खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण	Survey of Atomic Minerals in Madhya Pradesh ..	31—32
5405. सीमा सड़क संगठन	Border Roads Organisation ..	32
5406. सरकारी प्रचार में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Official Publicity	32—33
5407. विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा तिब्बती शरणार्थियों का धर्म परिवर्तन	Conversion of Tibetan Refugees by Foreign Christian Missionaries ..	33
5408. रेडियो तथा ट्रांजिस्टर बनाने वाली कम्पनियां	Radio and Transister Manufacturing Companies ..	33—34
5409. रेडियो तथा ट्रांजिस्टर बनाने वाली कम्पनियां	Radio and Transister Manufucturing Companies	34
5411. परमाणु शक्ति से विद्युत जनन	Electricity Generation from Nuclear Power ..	34
5412. दि हिन्दू समाचार-पत्र को विश्व प्रेस सफलता पुरस्कार	World Press Achievement Award for the Hindu ..	35
5413. प्रतिरक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारियों और सहायकों की वरिष्ठता सूची	Seniority list of Section Officers and Assistants in the Ministry of Defence ..	35—36

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5414. हिन्दी समाचार-पत्रों के अवांछनीय ज्ञापनों के बारे में सरस्वती पत्रिका की सम्पादकीय टिप्पणी	Editorial in Saraswati regarding undesirable Advertisement in Hindi Newspapers ..	36
5415. विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निरोध) अधिनियम की पाकिस्तान द्वारा आलोचना	Pak. criticism of Unlawful activities (Prevention) Act ..	36
5416. तारापुर, राणाप्रताप सागर और कलपक्कम में परमाणु बिजलीघर	Atomic Power Stations at Tarapore, Ranapratapasagar and Kalpakkam ..	37
5417. आकाशवाणी के एक संवाददाता की मृत्यु के बारे में जांच	Inquiry into the death of AIR News Reporter ..	37—38
5418. आकाशवाणी में ड्राफ्ट्समैनों के सलैक्शन ग्रेड के पद	Posts of selection grade Draughtsmen in AIR	38
5419. कीनिया से आने वाले भारतीय	Indians coming from Kenya ..	39
5420. नागाओं द्वारा शान्ति समझौते का उल्लंघन	Truce Violations by Nagas	39
5421. कच्चाटीबू द्वीप में कैथोलिक चर्च	Catholic Church in Katchchativu Island..	39—40
5422. राजस्थान में सैनिकों के लिये भूमि	Land for Soldiers in Rajasthan ..	40
5423. प्रतिरक्षा विभाग के क्षेत्र	Defence Department Farms	40
5424. सैनिक स्कूल	Sainik Schools	40—41
5425. आकाशवाणी से कच्छ पंचाट के बारे में प्रसारित समाचार	News Broadcast About Kutch Award by AIR	41
5426. भूतपूर्व ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीकी राज्य क्षेत्रों से स्वदेश लौटने वाले भारत मूलक लोग	Persons of Indian Origin coming from Erstwhile British East African Territories ..	41—42
5427. आयुध कारखाना, मुरादनगर	Ordnance Factory, Muradnagar ..	42—43
5428. भारतीय चलचित्रों में अश्लीलता	Obscenity in Indian Films	43
5429. कीनिया में भारतीय लोग	Indians in Kenya ..	43

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5430. विदेशों में नियुक्त अधिकारी	Officers Posted Abroad	44
5431. मध्य प्रदेश को परियोजनाओं के लिये केन्द्र से सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh for Projects ..	44
5432. भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून	Indian Military Academy, Dehra Dun ..	45
5433. मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas of Madhya Pradesh ..	45
5434. रूस द्वारा भारत को सैनिक सहायता	Military Assistance to India by USSR ..	45
5435. आकाशवाणी केन्द्र, कटक	A. I. R. Cuttack ..	46
5436. अमरीका में भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals in USA	46
5437. भारत और रूस के बीच नियमित रूप से परामर्श	Regular Consultations between India and USSR ..	46—47
5438. अन्धे लोगों के कल्याण संबंधी विश्व परिषद्	World Council for the Welfare of Blind ..	47
5439. नाथूला में तैनात सैनिक अधिकारियों को मुफ्त राशन	Free Rations to Military Officers in Nathula	47—48
5440. सैनिक इंजीनियरी सेवा में पुनर्वर्गीकरण	Reclassification in MES	48
5441. जम्मू तथा काश्मीर में सैनिक इंजीनियरी सेवा के कर्मचारियों के लिये राशन भत्ता तथा कपड़ों की सुविधायें	Ration Allowance and Clothing Facilities to the MES Employees in J. & K. ..	48—49
5442. व्यापारिक प्रसारण सेवाओं का विस्तार	Extension of Commercial Broadcasting Services ..	49—50
5443. कीनिया से भारत मूलक लोगों का स्वदेश लौटना	Repatriation of Persons of Indian Origin in Kenya ..	50
5444. मध्यम आकार के टर्बो प्राप विमान	Medium sized Turbo prop Planes ..	50—51
5445. सिक्किम और भूटान को दी गई सहायता	Assistance given to Sikkim and Bhutan ..	51
5446. बद्रीनाथ मन्दिर के निकट चीनी चौकी	Chinese Check post near Badrinath Temple	51—52
5447. देश में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Stations in the country	52

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5448. देश के दुर्गम क्षेत्रों में आण्विक रिएक्टरों की स्थापना	Setting up of Atomic Reactors in unapprochable parts of the country ..	52
5449. प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का विकास	Development of pressurised Heavy Water Reactors ..	52—53
5450. प्रेजिडेंट अय्यूब खां	President Ayub Khan ..	53
5451. सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र	Military Training Centres ..	53
5452. मद्रास में राष्ट्रीय छात्र सेना	NCC in Madras	54
5453. प्रूफ एण्ड एक्सपेरीमेंट्स एस्टेब्लिशमेंट बालासोर	Proof and Experimental Establishment Balasore ..	54
5454. प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट, बालासोर के अधिकारी	Officers of Proof and Experimental, Balasore ..	54—55
5455. प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल डिपार्टमेंट, बालासोर	Proof and Experimental Department, Balasore ..	55
5456. मद्रास परमाणु बिजलीघर परियोजना का कार्यालय	Madras Atomic Power Project Office	55—56
5457. 1967-68 में मद्रास परमाणु बिजली परियोजना के लिए धन का नियतन तथा कर्मचारियों की संख्या	Allotment of Funds to Madras Atomic Power Project during 1967-68 and strength of staff ..	56
5458. शास्त्री भवन में मद्रास परमाणु बिजली परियोजना कार्यालय	Madras Atomic Power Project Office in Shastri Bhavan ..	56—57
5459. मद्रास परमाणु बिजली परियोजना	Madras Atomic Power Project	57
5460. आण्विक शक्ति संस्थान, कोटा में अग्नि-कांड	Fire Incident in Atomic Energy Establishment, Kota ..	57—58
5461. देशी मशीनरी से परमाणु बिजलीघर की स्थापना	Setting up of Atomic Power Station with Indigenous Machinery ..	58
5462. मनीपुर घाटी में शक्तिशाली ट्रांसमीटर	Powerful Transmitter in Manipur Valley ..	58—59
5463. मनीपुर में राष्ट्रीय छात्र-सेना दल पर व्यय	Expenditure on NCC in Manipur ..	59

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5464. मनीपुर में सीमावर्ती सड़कें	Border Roads in Manipur ..	59—60
5465. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र-सेना दल पर व्यय	Expenditure on NCC in Madhya Pradesh ..	60
5466. मध्य प्रदेश में प्रतिरक्षा प्रधान उद्योग	Defence based industries in Madhya Pradesh ..	60
5467. श्रीलंका तथा अन्य देशों में निरुद्ध भारतीय लोग	Indians detained in Ceylon and other Countries ..	60—61
5468. एक सूचना अधिकारी की मृत्यु	Death of an Information Officer	61
5469. नई दिल्ली में चीनी राजनयिक	Chinese Diplomat in New Delhi	61—62
5470. पाकिस्तानी उच्च आयोग का विरोध-पत्र	Protest lodged by Pak. High Commission	62
5471. वाणिज्यिक विज्ञापनों के एजेन्ट	Agents for Commercial Advertisements ..	62—63
5472. भारतीय वायुसेना द्वारा इटली से हिस्पानों कार्तूसों की खरीद	Purchase by the IAF of Hispano Cartridges from Italy	64
5473. भारत इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	Bharat Electronics Ltd.	64
5474. आण्विक ऊर्जा आयोग तथा अमरीकी आण्विक ऊर्जा के अधिकारियों की वार्ता	Talks between Officials of Atomic Energy Commission and US Atomic Energy ..	65
5475. कीनिया के प्रेजिडेंट का वक्तव्य	Statement by Kenya President	65
5476. नाइट इन लन्दन फिल्म का प्रदर्शन	Exhibition of Film Night in London ..	65—66
5476-क. परमाणु खनिजों का आयात तथा निर्यात	Export and Import Nuclear Minerals ..	66—67
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
पश्चिमी बंगाल के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by West Bengal Primary Teachers ..	67—69
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	69

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha ..	69—70
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
पचीसवां प्रतिवेदन	Twenty-fifth Report ..	70
अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants 1968-69—	
गृह-कार्य मंत्रालय	Ministry of Home Affairs ..	70—113
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody	71—73
श्री ब्रह्म प्रकाश	Shri Brahm Prakash	73—74
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	96—98
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Dass ..	98
श्री कण्डप्पन	Shri S. Kandappan ..	99—102
श्री अहमद आगा	Shri Ahmad Aga	102—103
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	103—105
श्री प्र० कु० घोष	Shri P. K. Ghosh ..	105—106
श्री फ्रैंक एंथनी	Shri Frank Anthony	106—107
श्री जी० ना० हजारिका	Shri J. N. Hazarika	107—109
श्री निहाल सिंह	Shri Nihal Singh ..	109
श्री राणे	Shri Rane	109—110
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanatha Menon	110—111
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma ..	111
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	112
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	112—113
इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित काश्मीर के नक्शे के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Map of Kashmir Published in Indian Express ..	113—116
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha ..	113—114
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	114—115
श्री कंवर लाल गुप्ता	Shri Kanwar Lal Gupta ..	115
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjit Singh	115
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	115
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan ..	116

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 27 मार्च, 1968/7 चैत्र, 1890 (शक)
Wednesday, March 27, 1968/ Chaitra 7, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Asia Foundation

*868. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have issued orders for discontinuing the activities of the "Asia Foundation" in India;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that Shri Richard G. Hagi, the representative of the said foundation in India, has said "we expect that this order would be cancelled in future"; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir.

(b) As "Asia Foundation" was receiving money from secret sources and there is no such guarantee that it will not receive money from them in future.

(c) A report was published in the newspapers in which Shri Richard G. Hagi has said that Asia Foundation "expects that this order would be cancelled in future."

(d) The statement of Shri Hagi is only an expresssion of his personal views and it does not effect in any way the decision of the government.

एक माननीय सदस्य : महोदय, श्री रामावतार शास्त्री सभा में उपपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, अब अगला प्रश्न लीजिए ।

श्री उमानाथ : क्योंकि प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है इसलिये अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिलनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री उमानाथ : मैं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं । यह गम्भीर बात है । गलत या सही जैसा भी हो, प्रश्न का उत्तर दिया गया है इसलिये आप अनुपूरक प्रश्नों को पूछने की अनुमति दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । मैं अगले प्रश्न के लिए पहले ही कह चुका हूं ।

विदेश सेवा अधिकारियों द्वारा कारों का बेचा जाना

*869. **श्री बलराज मधोक :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि विदेश सेवा अधिकारियों द्वारा जो कारें लाई जाती हैं, उन्हें राजकीय व्यापार निगम द्वारा उन्हीं शर्तों पर जिन पर कि अन्य देशों के विदेश सेवा अधिकारियों को कारों को राजकीय व्यापार निगम द्वारा खरीदा और बेचा जाता है, न बेची जाकर उन अधिकारियों को स्वयं उन्हें बेचने की अनुमति दी जाती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : निजी कारों को विक्री के मामले में, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों और भारत-स्थित विदेशी राजनयिकों में कोई तुलना नहीं की जा सकती । विदेशी राजनयिक अपनी कारें बिना ड्यूटी दिये मंगाते हैं जबकि हमारे विदेश सेवा के अधिकारी, मिशन प्रमुखों को छोड़कर, कस्टम ड्यूटी देते हैं । बहरहाल, एक मिशन प्रमुख को छोड़कर, अगर विदेश सेवा का कोई अधिकारी आयात लाइसेंस में निरूपित अवधि के भीतर अपनी कार भेजना चाहता हो तो उसे यह राज्य व्यापार निगम को देनी होती है ।

श्री बलराज मधोक : यह शुद्ध रूप से उनके कार बेचने की तकनीकी वैधता का प्रश्न नहीं है । राजनयिक सेवाओं से यह आशा की जाती है कि वे विदेशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करें और अपने देश के योग्य व्यवहार के स्तर को कायम करें तथा मिशन के अभिप्राय को प्रस्तुत करें। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि राजनयिक सेवाओं से सम्बन्धित कई लोग, जिनमें कुछ अपवाद भी हैं, अपनी इस स्थिति से इन तरीकों द्वारा लाभ कमाते हैं, यद्यपि वे तकनीकी दृष्टि से गलती पर न हों लेकिन यह इस धारणा को जन्म देता है कि वे लोग विदेशों में जा रहे हैं, वहां वस्तुएं खरीद रहे हैं और यहां आकर उनको ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, इसीलिए वे विशिष्ट स्थानों को जाने के लिये उत्सुक हैं, इससे राजनयिक सेवाओं पर एक प्रकार का प्रभाव पड़ता है और उनकी कार्यकुशलता पर भी असर पड़ता है । मैं जानना चाहता हूं क्या उनके माल खरीदने और उसको यहां बेचने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : जब मिशनों के प्रमुख (हैड्ज) वापिस आते हैं तो उनके कारों के बेचने पर निश्चित प्रतिबन्ध और नियम लागू होते हैं। वित्त मंत्रालय भी इस पर विचार करता है। वास्तव में, वित्त मंत्रालय ने इस विषय पर लागू होने वाले नियमों से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। लेकिन सामान्य नियम ये हैं कि उन्हें वचन देना होता है कि वे आयात की तारीख के बाद तीन साल तक अथवा खरीद के बाद चार साल तक कार को नहीं बेचेंगे और अगर वे इससे पहले बेचते हैं या बेचना चाहते हैं तो इसके लिये उन्हें सरकार की अनुज्ञा लेनी होगी।

श्री बलराज मधोक : इन अतिरिक्त लाभों के कारण ही कई राजनयिक ऐसी राजधानियों में अपनी नियुक्ति का प्रयत्न करते हैं जहां वस्तुएं सस्ते मूल्यों पर खरीदी जा सकें और वे अफ्रीका तथा एशिया के ऐसे देशों में अपनी नियुक्ति को टालते हैं जो भारत के लिये बाह्य हित की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक प्रकार से ये अतिरिक्त लाभ आकर्षण का काम करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि क्या वरिष्ठ राजनयिकों को उन देशों में नियुक्त किया जायेगा जो भले ही अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण न भी हों लेकिन भारत के हित की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ?

श्री ब० रा० भगत : किस स्थान या देश में उनकी नियुक्ति की जाती है इस बात की इससे अधिक संगति नहीं बैठती क्योंकि जहां कहीं भी उनकी नियुक्ति की जाती है उनको एकसी सुविधाएं दी जाती हैं और वे बिना कर (ड्यूटी) दिए कार खरीद सकते हैं, हमारे पास, नियुक्ति के प्रयोजन के लिये, विश्व में विभिन्न श्रेणियां तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्र हैं। हम उनकी उपयुक्तता पर विचार करते हैं और यह देखते हैं कि पहले उनकी नियुक्ति कहां की गई थी तब निर्णय लेते हैं कि उनकी नियुक्ति कहां की जाए। इस प्रकार इन सब बातों पर विचार किया जाता है।

श्री हनुमन्तय्या : मंत्री महोदय ने कहा कि यदि अधिकारियों को निश्चित समय से पूर्व कारें बेचनी होती हैं तो उन्हें सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है, मैं जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में ऐसी अनुमति दी गई है ?

श्री ब० रा० भगत : मिशनों के प्रमुखों के अतिरिक्त जो लोग इन मिशनों के हैं वे केवल राज्य व्यापार निगम को अपनी कारें बेच सकते हैं। रियायत केवल मिशनों के प्रमुखों (हैड्ज) को दी गई है। पिछले पांच सालों में कारों को बेचने से सम्बन्धित ऐसे 32 मामले हुए हैं।

श्री दिनकर देसाई : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों के दौरान इन अधिकारियों ने कितनी कारों का आयात किया ?

अध्यक्ष महोदय . इसी बात को तो उन्होंने अभी बताया।

श्री दिनकर देसाई: उन्होंने विक्रय संख्या बतायी है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों के दौरान इन अधिकारियों ने कितनी कारें आयात की हैं।

श्री ब० रा० भगत : इनमें से 17 मामले मिशनों के प्रमुखों के हैं। दूसरे मामलों में,

सामान्यतः जो भी विदेश जाता है कार खरीदता है। सभा इस बात से अवगत है कि यदि कोई कार को खरीदने के छः महीने बाद भी उसे वहां विदेशों में तथा यूरोप या अमेरीका में बेचता है तो उसका पुनर्विक्रय मूल्य बहुत ही कम होता है। इसलिये, सामान्यतः वे सब कारों का आयात करते हैं.....

श्री दिनकर देसाई : आयातित कारों की संख्या क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : इसे बताना बड़ा कठिन है क्योंकि मेरे पास इस समय ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोई भी जो विदेश में कार खरीदता है उसे यहां ले आता है क्योंकि विदेशों में पुनर्विक्रय मूल्य बहुत कम है। लेकिन जैसा मैंने कहा यदि वे कार को यहां बेचते हैं तो वे केवल राज्य व्यापार निगम को बेचते हैं। मिशनों के प्रमुखों के मामलों में कुछ निश्चित रियायत है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि हमारे एक विशिष्ट राजनयिक श्री आजिम हुसैन ने अपनी आयातित कार को राज्य व्यापार निगम के द्वारा न बेचकर एक व्यक्ति को सीधे ही 80,000 रुपये में बेचा है और उसे केवल 30,000 रुपये की रसीद दी है ; यदि हां, तो क्या सरकार को इसके बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और यदि हां, तो क्या सरकार इस राजनयिक के ऐसे आचरण के सम्बन्ध में जांच करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : श्री आजिम हुसैन ने फियट-2300 मोडल खरीदा था। यह किसी प्रकार से भी ऐसी कार नहीं ठहरती जिसे विलास (लक्सरी) कार कहा जाए। उन्होंने इसे 1964 में 10,271 रुपये में खरीदा और दिसम्बर, 1967 में बेच दिया। उनकी बाहर नियुक्ति की गई थी और तबादला होने पर उन्होंने इसे बेचा। इसलिए यह पूर्णतः एक नियमित मामला है और इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है।

Shri K. N. Tiwary: It was decided by the Government that Indian Government will use small-cars as an economic measure. Keeping this decision in view whether the Government are considering to sell those big cars to others which are being purchased and the Ministers and officers of the Government should not use them?

Shri B. R. Bhagat: The cars in question are not Government cars. These are their own cars which they purchased with their own money.

Shri Atal Bihari Vajpayee: It appears from the reply of the Hon. Minister that there are different rules for heads of the Missions and other diplomats. I would like to know the reasons thereof and whether uniform rules cannot be formed for all?

Shri B. R. Bhagat: For the heads of our Missions are the representatives of the President and are officers of very high positions, therefore they have been given the relaxation, that they can sell their cars after three years and there is no duty upon them.

Shri Kanwar Lal Gupta: Why?

Shri B. R. Bhagat: As I have stated they are very high officers. These relaxations and rights are of the same standard which are enjoyed by the heads of the Missions of the world.

We are not doing anything new. The other officers of the Missions are given the same relaxation which is available to an ordinary citizen. They cannot sell their cars during the first five years while the ordinary citizen cannot sell within seven years, ordinary citizen can bring car of the cost of their choice while the officials working in the Mission cannot bring car costing more than £1,000. If we combine both there will not be much difference.

Shri Atal Bihari Vajpayee: If there is not much difference then combine.

श्री शान्ति लाल शाह : क्या यह उचित नहीं होगा कि राज्य व्यापार निगम कारों को उस मूल्य पर खरीद ले जो उसकी लागत में से उस ह्रास को घटाकर शेष रहे जो उस कार के उपयोग करने से हुआ हो, इससे उन अधिकारियों को हानि नहीं होगी लेकिन वे लाभ भी नहीं कमा पायेंगे। क्या यह सम्भव हो सकेगा ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा मैंने कहा है कि इन मिशनों के अधिकारी जब कार बेचना चाहते हैं तो वे अपने कारों को राज्य व्यापार निगम को बेचते हैं। जब वे कारों को बेचते हैं तो उन्हें विदेश में नियुक्ति होने पर नयी कारें खरीदनी भी पड़ती हैं जिसके लिए उनको भुगतान करना पड़ता है।

श्री हेम बरुआ : लेकिन वे कारें खरीद कर बहुत अधिक ऊंची कीमतों पर बेच देते हैं।

वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास

*870. **श्री हेम बरुआ:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में 'ए बिट आफ सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास के कार्यकरण की रिपोर्ट दी गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच कर ली है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). सरकार ने विदेश-स्थित सभी मिशनों को निर्देश जारी कर दिये हैं कि वे अधिक से अधिक शिष्टाचार बरतें और दक्षता का स्तर सर्वोच्च रखें।

जहां तक इस लेख विशेष का प्रश्न है, सरकार ने इसे देखा है। इस बारे में सम्बद्ध राजदूतावास से पूछताछ की जा रही है।

श्री हेम बरुआ : 28 फरवरी, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित श्री कृष्ण भाटिया के लेख ने वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास के कार्यकरण की रिपोर्ट दी है। इसके अनुसार वहां लोगों में वैसे ही उदासीनता, सुस्ती, अकर्मण्यता तथा अभद्रता है जैसी कि यहां सचिवालय में दिखाई देती है ; और वहां वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास में लगभग 300 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में, क्योंकि उनसे आशा की जाती है कि वे वहां भारत की

प्रतिष्ठा को बनाए रखें, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इसके लिए क्या विशेष कदम उठा रही है कि विदेशों में हमारे दूतावासों के कार्यकरण में सुधार हो और जैसा यहां दिल्ली स्थित केन्द्रीय सचिवालय में होता है वैसा विदेशों में प्रस्तुत न किया जाये ?

श्री ब० रा० भगत : इस विषय पर कई बार चर्चा हुई है । भर्ती में, प्रशिक्षण में, और विदेशों में नियुक्ति के बारे में हम उन्हें काफी प्रशिक्षण देते हैं । इस पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है । चाहे यह शिष्टाचार का मामला हो अथवा दक्षता का हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस दिशा में सतत प्रयत्न किए जाएं जिससे विदेशों में हमारे दूतावास दक्षता से कार्य करें और पूर्ण शिष्टाचार बरतें जैसी कि उनसे आशा भी की जाती है ।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार ऐसे प्रयत्न कर रही है जिससे विदेशों में हमारे दूतावास दक्षता से कार्य कर सकें । क्या यह सच नहीं है कि अल्जीयर्स में हमारे राजदूत श्री मुहम्मद यूनस, जिनकी इस पद पर तीन या चार महीने पहले नियुक्ति हुई थी, बिना सरकारी कार्य के दिल्ली में प्रधान मंत्री के पुत्र के विवाह के अवसर पर उपस्थित होने के लिए तथा उससे सम्बन्धित इन्तजाम का निरीक्षण करने के लिए आए ? यदि हां, तो जब पश्चिमी एशिया में गड़बड़ थी, क्या यह ये सज्जन अपने उत्तरादायित्व और कर्त्तव्य विमुखता के लिए दोषी नहीं हैं ?

श्री हनुमन्तय्या : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) यह बिल्कुल झूठ है क्योंकि जब उन्होंने अपनी छुट्टियां मांगी तब तक विवाह की तिथि भी निश्चित नहीं हुई थी । वास्तव में वे अपने आप भारत-भ्रमण के लिये आए थे क्योंकि वे कुछ समय के लिए देश से बाहर रहे थे ।

श्री हेम बरुआ : लेकिन तथ्य, तथ्य ही रहा, और यह समाचार-पत्रों में छपा था कि श्री मुहम्मद यूनस देहली आए थे और उन्हें प्रधान मंत्री के निवास-स्थान पर विवाह के इन्तजाम का निरीक्षण करते हुए देखा गया ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं । यह किसी और से सम्बद्ध हो सकता है ।

Shrimati Laxmikanthamma : Whether the officials of our embassies abroad send the report keeping in view the movements and statements of the persons of our country who visit there? In this context I want to ask that American Government has invited the Chief Minister of Madras.....

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से बिल्कुल असम्बद्ध है । श्री शिवचन्द्र झा ।

Shri Shiv Chandra Jha : Sir, on the basis of my observation during my stay in America as a student I can say that the Indian Embassy in Washington is very inefficient. May be it has undergone some change in recent times. In this connection may I know whether some fund is kept with our cultural attache to finance the studies of needy students ?

Students of other countries are found employment during their summer vacations by the Embassies of their respective countries which is not done in the case of Indian students. May I know how many Indian students have found employment during the last two years in America ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं..

Shrimati Lakshmikanthamma : Sir, when his question is being replied, why my question cannot be answered ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा था कि मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं दे सकते । माननीय महिला सदस्य बीच में ही कुछ कहने लगीं और उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी । वह कृपया बैठ जायें ।

Shri B. R. Bhagat : Our country and our Embassies extend all possible help to the students when they are called upon to do so.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : हमारे राजदूतावास विदेशों में हमारे देश का अच्छा चित्र पेश करें, इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे राजदूतावासों की बड़ी आयोजनात्मक छानबीन की जाती है। हमारा एक निरीक्षणालय है जो मौके पर जांच करने के लिये समय-समय पर विदेश जाता है। उससे हमें प्रतिवेदन भी प्राप्त होते हैं । फिर समाचारपत्रों और संसद् में की गई आलोचना और टिप्पणी को ध्यान में रखा जाता है और राजदूतावासों के कार्य में सुधार करने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं ।

श्री लोबो प्रभु : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के निरंतर रूप से बढ़ते हुये खर्च को ध्यान में रखते हुये—इस वर्ष के बजट में 1.45 करोड़ रु० का अधिक उपबन्ध किया गया है, यद्यपि ब्रिटिश पाऊंड के अवमूल्यन से खर्च में 5.5 करोड़ रु० की कमी होनी चाहिए थी—क्या मंत्रालय ने विदेशों में अन्य मंत्रालयों, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, राज्य व्यापार निगम और पूर्ति मंत्रालय हैं, जिनके अपने अलग-अलग प्रतिनिधि एक ही कार्य को कर रहे हैं और जिन्हें प्रतिनिधिमण्डलों के शीर्षकों के अन्तर्गत राजदूतावासों द्वारा एक ही स्थान पर रखा जा सकता था, के कार्य को समन्वित करने की सम्भावना पर विचार किया है ?

श्री ब० रा० भगत : मंत्रालय के बजट की कड़ी छानबीन की जाती है और जहां भी नये राजदूतावास खोले गये हैं, खर्च को निम्नतम रखने का प्रयास किया जाता है । जहां तक विभिन्न मंत्रालयों के कार्य के एकीकरण और समन्वय का सम्बन्ध है, उस पहलू को भी ध्यान में रखा जाता है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Do our embassies make the Indian literature available to the Indian students studying abroad with a view to keeping them abreast of the country's political conditions ?

Shri B. R. Bhagat : The Indian students are necessarily connected with the embassies and whatever assistance can be given under the rules is provided to them.

श्री कण्डप्पन : मुख्य प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि लेख में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में राजदूतावास से पूछताछ की जा रही है। यह एक अजीब उत्तर है। क्या सरकार सम्बन्धित राजदूतावास से तर्क संगत उत्तर की आशा रख सकती है क्योंकि वह तो अपने आप को बचाने का प्रयत्न करेगी ? क्या सरकार इस प्रकार के मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा जांच कराने के लिये तैयार है ?

श्री ब० रा० भगत : हो सकता है कर्मचारियों पर कुछ चीजों का बुरा असर पड़ा हो जैसे कि इमारतों का देखने में अच्छा न लगना, वित्तीय कठिनाइयां आदि। हमने विस्तृत प्रतिवेदन के लिये कहा है। उन्होंने कुछ प्रतिवेदन दिया है। हम इन मामलों की जांच कर रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी हम करेंगे।

श्री कण्डप्पन : मेरा प्रश्न सर्वथा भिन्न है।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : हमारे निरीक्षक भी हैं जो इन स्थानों का दौरा करते हैं। किन्तु लिस्ट में बताई गई कुछ कठिनाइयां वास्तविक कठिनाइयां हैं। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि वे कुछ निधियों के लिये मंजूरी चाहते थे जो कि नहीं दी गई है और इसलिए वे काम नहीं कर सकते हैं। अत: हमें दोनों पक्षों को जानना चाहिए। किन्तु मैं नहीं समझती कि एक विशिष्ट राजदूतावास के बारे में किसी समाचारपत्र में छपे एक लेख को इतना महत्व दिया जाना चाहिये क्योंकि प्राय: ये व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं।

श्री बूटा सिंह : लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में अनेक बार कहा है कि भारत सप्लाई आयोग का काम उचित नहीं रहा है। क्या जनता के दिमाग से इस धारणा को दूर करने के लिये उनके मंत्रालय में कोई व्यवस्था है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों का सम्बन्ध है, हम उन पर विचार करके कार्यवाही करते हैं। समिति ने भारत सप्लाई मिशन के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के लिये कहा था और हम निर्माण, आवास तथा संभरण और वित्त मंत्रालय से इस पर बातचीत कर रहे हैं। ये सब मामले विचाराधीन हैं।

Shri Ram Charan : If Indian Foreign Service Conduct Rules are strictly observed, no such complaints would arise as the one regarding the sale of a car by Shri Azam Hussain for Rs. 80,000.....(**Interruptions**).

Mr. Speaker : This has already been taken up.

Shri Rabi Ray : May I know whether any instruction have been issued to the present Indian Ambassador to U. S. A. in connection with the mass agitation in America on the Vietnam issue, if so, the details thereof?

Shri B. R. Bhagat : We, of course, issue instructions regarding our policy but not with regard to what is being done there by certain people.

श्री नारायण राव : भारतीय विदेश सेवा एक बिल्कुल नई सेवा है, स्वतन्त्रता के पश्चात् ही यह आरम्भ की गई थी। किन्तु इसके लिए भर्ती और परीक्षा का तरीका वही है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए है। जो संक्षिप्त विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है वह अपर्याप्त है। क्या इस कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार नये पाठ्यक्रम चालू करने विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे विषय शामिल करने पर विचार करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यदि माननीय सदस्य के पास नये पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सुझाव हैं तो हम उन पर विचार करेंगे। किन्तु मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि उन्हें विदेश भेजने से पूर्व कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें कई महीनों के लिये देश का दौरा करना भी शामिल है ताकि उन्हें देश के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। थोड़े समय के लिये वे बीच में भी वापस आते हैं ताकि उन्हें यहां की घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो।

Shri G. A. Khan: May I know the language in which our embassies in foreign countries correspond with the Indians there and if they do not correspond in the national language, the reasons therefor? Do Government propose to issue instructions to them to correspond in their own language?

Shri B. R. Bhagat: At present it is done in both English and Hindi.

Shri O. P. Tyagi: Have Government of India prepared some book reflecting multifarious facets of India and the study of which has been made compulsory for the staff of our embassies in view of the fact that these people project the image of our country abroad and subjects such as Indian culture, history etc. are discussed there?

Shri B. R. Bhagat: It is not possible to prepare such a book as would reflect the complete image of India.....(**Interruptions**).....

Shri Hukam Chand Kachwai: You have not made efforts for that.

Shri B. R. Bhagat: We present the image of India here and this image is conditioned by our deeds and behaviour. Before those officials are deputed they have to undergo a training and special-lecture courses in Indian history, Indian Culture and in present Indian Conditions are held for them.

Shri O. P. Tyagi: Are culture, truth and non-violence subject to change? Sir, he is giving a wrong reply.

Shri B. R. Bhagat: Truth is immutable.

Shri Sita Ram Kesri: Have you received any complaints that our students abroad do not receive proper guidance from your embassies?

Shri B. R. Bhagat: Off and on such complaints are received and we look into them. Of course, we issue orders to our embassies to establish contacts with the students.

Shri Kanwar Lal Gupta: Just now the Hon. Prime Minister remarked that the press articles are mostly subjective. We have personally visited that place and the mismanagement there is even more than what is reported in that paper. The news of the death of Shri Deen

Dayal Upadhyaya was not reported in your weekly paper there. When the Indians there read this news in other papers, they enquired from the Indian Embassy the reason for its not publishing in the paper. This is the attitude of our people there. These things are not of recent origin, but continuing for a long time. Do Government propose to send a team of two or three Members of Parliament there to enquire into the conditions there and the image of India being projected there?

Shrimati Indira Gandhi: There are two different things **viz.**, whether the paper gives all the news or not and what Shri Krishan Bhatia has written, that is, there is no sanitation there, the people do not reach in time there.

भारत की सीमाएं

*871. **श्री रवि राय :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा और वैदेशिक-कार्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के संयुक्त दलों को भारत की वास्तविक सीमाओं को बिल्कुल स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). हमारे सीमांत-संबंधी सभी मामलों की भारत सरकार के उपयुक्त मंत्रालयों और विभागों में लगातार जांच पड़ताल होती रहती है। और यदि, आवश्यक होता है, तो अंतर-मंत्रालयीय बैठकें हो जाती हैं। माननीय सदस्य यह बात समझते होंगे कि इस प्रकार की बैठकों और विचार-विमर्शों के ब्योरों को बतलाना लोकहित में नहीं है।

Shri Rabi Ray: It is most unfortunate that we are the only country in the world whose lakhs of square miles of land has been grabbed by foreign countries. May I know the exact area of land under adverse possession of foreign countries since our country attained Independence?

Shri B. R. Bhagat: This issue has been discussed in this House several times. The Hon. Member had raised this point in a committee meeting. Now, if he wants to raise all the points once again separate time may be given for this.

Shri Rabi Ray: Sir, my question is very specific, **viz.**, the area of Indian territory grabbed by foreign countries since we gained Independence.

अध्यक्ष महोदय : यह एक नाजुक प्रश्न है और मैं नहीं समझता कि एक अनुपूरक प्रश्न के रूप में इसका उत्तर दिया जा सकता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस विषय पर चर्चा होगी।

एक माननीय सदस्य : आज ही आधे घंटे की चर्चा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री यह बता सकेंगे कि कितने वर्ग मील पर अधिकार कर लिया गया है। आप अगला प्रश्न पूछें।

Shri Rabi Ray: How many islands in the Indian ocean belong to us? Is it a fact that in the January-February issue of the Geographical Magazine Britishers have said that Mal island belongs to them?

श्री ब० रा भगत: प्रश्न संख्या 878 इन द्वीपों के बारे में है।

Shri Bal Raj Madhok: If our borders are definite, what difficulty the Hon. Minister has in stating that such and such is our border. In case he thinks that this is not going to remain our border and therefore no commitment should be made, then it is a different matter. Will he state in categorical terms that these are our borders and circulate a definite authoritative map, including all the islands in the Indian ocean, to the Members so that such questions may not be asked?

Shrimati Indira Gandhi: Once full discussion was held on this matter. Shri Chagla made a statement and discussion was held on that also. As probably Shri Vajpayee said just now that there was discrepancy in figures, he had also stated why there was discrepancy. As for example, Sikkim area was not included therein, that was included afterwards: The new methods adopted thereafter are better. Then the question of particular places is also there. He had elaborated this point at that time.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: इसका यह अर्थ निकलता है कि भारत की ठीक सीमाएं क्या हैं इस बारे में घोर सन्देह है। मैं माननीय मंत्री से स्पष्टरूप में जानना चाहूंगा कि क्या 20 साल आजाद रहने पर भी सरकार को सन्देह है कि भारत की सही सीमाएं क्या हैं? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बर्मा के जनरल नी विन की हाल की भारत यात्रा के समय उन्होंने प्रधान मंत्री से इस विषय में चर्चा की थी और क्या किसी भारतीय राज्य क्षेत्र पर बर्मा के दावे का संकेत किया था?

श्रीमती इन्दिरा गांधी: हमारी सीमाओं के बारे में कोई सन्देह नहीं है। जनरल नी विन ने ऐसा कोई दावा नहीं किया।

श्री स्वैल: हिन्द महासागर में बहुत से द्वीप विवाद का विषय बन गए हैं। कच्चाटीवू का सवाल है। कल या परसों समाचारपत्रों में नरकोंडम द्वीप का उल्लेख किया था जो अण्डमान के उत्तर में लगभग 60 मील के फासले पर स्थित है, क्या सरकार का ध्यान इस खबर की ओर आकर्षित किया गया है कि बर्मा सरकार ने इस द्वीप में अपने कब्जे के चिह्न पत्थर के लगाए हैं? क्या मंत्रालय ने इस प्रश्न का परीक्षण किया है कि क्या यह द्वीप भारत का है और क्या भारत इन पर प्रभावी नियंत्रण रखे हुए है या नहीं?

श्रीमती इन्दिरा गांधी: मैंने सभा में इस प्रश्न पर चर्चा के दौरान बताया था कि श्रीलंका की सरकार और हम इस पर सहमत हो गये हैं कि इस विषय में बातचीत द्वारा किसी फैसले पर पहुंचा जाये।

श्री स्वैल: मैंने नरकोंडम द्वीप के बारे में पूछा है कि क्या बर्मा सरकार ने वहां पर कब्जे के चिह्न पत्थर के लगाये हैं, क्या बर्मा सरकार के साथ इस बारे में बातचीत की गई है

और क्या भारत सरकार ने बर्मा सरकार के इस दावे का परीक्षण किया है और क्या इस द्वीप पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा रहा है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं जो अभी लिये जाने हैं। यह प्रश्न सीमाओं के बारे में है कि क्या परियोजना प्रतिरक्षा तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालयों को सौंपी गई है। मैं अब एक या दो अनुपूरक प्रश्नों के लिए अनुमति दूंगा।

श्री स्वैल : ये द्वीप जो हिन्द महासागर में हैं प्रतिरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्व के होंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर सहमत हूं कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। परन्तु ये मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। द्वीपों के बारे में अन्य प्रश्न हैं जो लिये जाने वाले हैं।

श्री कार्तिक ओराओं : यह सीमा विवाद भारत राष्ट्र के लिए एक पुराना रोग बन गया है चूंकि हमारी सीमाएं पाकिस्तान और चीन जैसे शत्रु देशों के साथ हैं। क्या सरकार पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ, राजस्थान और कश्मीर में, नेफा की ओर और पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं के साथ-साथ अलग करने वाली दीवार बनाने के प्रश्न पर गम्भीरता के विचार कर रही है ताकि पूर्वी पाकिस्तान के आस-पास घेरा डाला जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सरकार स्पष्ट रूप से ऐसा बताने की स्थिति में है कि सीमाओं पर ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कुछ ही स्थानों के बारे में विवाद है। कुछ पाकिस्तान और भारत के ऐसे स्थान हैं जिन पर एक दूसरे देश का कब्जा है। इसके अलावा भूमि है जिस पर कुछ देशों का गैर-कानूनी कब्जा है। इस समय सही-सही आंकड़े देना कठिन है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है 1948-49 में जो नक्शे सर्वे आफ इंडिया के अधीन नक्शा प्रकाशन निदेशक, देहरादून द्वारा तैयार किए गए थे, उन्हीं का प्रयोग चीन और पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्रों पर दावा करने के लिए किया। हममें से कुछ लोगों द्वारा जो संसद सदस्य नहीं थे, उस समय प्रतिरक्षा मंत्री के ध्यान में यह तथ्य लाये गये थे कि ब्रिगेडियर विल्सन, जो उस समय भारत में महासर्वेक्षक थे, के भाई पाकिस्तान में महासर्वेक्षक थे और उन्होंने मिलकर यह शरारत की। यह देखने के लिए कि उन्होंने हमारी सीमाओं का सही सीमांकन किया है क्या इन नक्शों की सही पड़ताल की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां।

Shri Atal Behari Vajpayee : The question was whether both the brothers, one of whom was in India and the other in Pakistan, had united and had prepared wrong maps, in reply to which the Hon. Minister has said : "Yes, Sir".

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं, प्रश्न यह था कि क्या उसकी पड़ताल की गई है। मैंने कहा "जी, हां"।

श्री स० मो० बनर्जी : इसे स्पष्ट रूप से कहिए।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझ पाया हूं प्रश्न यह था कि दोनों भाइयों ने एक गलत बात की थी। क्या उसकी पड़ताल की गई है ? उन्होंने कहा "जी, हां"।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या दोनों भाइयों की बात सही है ?

अध्यक्ष महोदय : नक्शों के सही होने के बारे में भी यदि नियमित रूप से इस पर चर्चा हो रही हो तो मंत्री तैयार होकर आयें और पूरा उत्तर दें। अब अगर एक पेचीदा प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया जाता है तब भी खतरे की बात हो जाती है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बारे में प्रश्नकर्त्ता ने कुछ बातें कहीं जो हम नहीं जानते सही हैं या गलत हैं। अब वे महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। चूंकि अब वे तथ्य सभा के सामने आ गये हैं अतः उनके बारे में कुछ न कुछ कहना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या हमारी सीमा का नक्शा पाकिस्तान के साथ गठजोड़ के कारण गलत था और ऐसा एक विशेष समय पर हुआ जिसकी बाद में पड़ताल की जानी थी। चूंकि उत्तर 'हां' में दिया गया अतः क्या हम यह समझें कि इस प्रकार की गलती वास्तव में हुई थी और बाद में उसका सत्यापन किया गया था। मंत्री महोदय इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हैं।

श्री समर गुह : विभाजन और तिब्बत का चीन को दे दिया जाना हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा सम्बन्धी विवादों के दो कारण थे। चीन द्वारा जो सीमा विवाद खड़ा किया गया है उसकी दृष्टि से क्या मैं जान सकता हूं कि जिस समिति का इस प्रश्न में उल्लेख किया गया है क्या उसने कश्मीर, नेफा और हिमालय में अन्य सीमाओं में भारत की ओर से दृढ़ता से हमारी सीमाएं उचित रूप में निश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया था ? दूसरे, रेडक्लिफ एवार्ड के बारे में विवाद है, विशेषकर पूर्वी सेक्टर में/नादिया जिले में, कूच-बिहार के क्षेत्र में, चिटगांव में और करीमगंज के कुछ गांवों में क्या यह समिति पूर्वी पाकिस्तान की पश्चिमी बंगाल और आसाम के साथ सीमा के बारे में रेडक्लिफ एवार्ड के अनुसार निशान लगाने के बारे में पुनरीक्षण करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : पहली बात यह है कि उत्तर में यह स्पष्ट किया गया था कि इस प्रकार की कोई विशेष समिति नहीं है। हमने बताया था कि स्वभावतः जब विभिन्न मंत्रालय सम्बद्ध हैं वे मिलते हैं और इन बातों पर विचार करते हैं। जहां तक देश की कुछ सीमाओं का प्रश्न है कुछ बस्तियों का तबादला किया जाना है। हम अपनी सीमाओं के बारे में पूर्णतः स्पष्ट हैं। वे या रेडक्लिफ एवार्ड के अन्तर्गत हैं या किसी न किसी समझौते के अनुसार। जैसा कि मैंने उस समय बताया इनमें से कुछ क्षेत्रों में हमें सीमा स्तम्भ लगाने हैं। थोड़े से भाग में

सीमांकन किया जाना है। एक मामले में पाकिस्तानी दल वापस बुला लिया गया था क्योंकि उन्होंने उसे बेरूबाड़ी के साथ सम्बद्ध किया। अतः इनमें से कुछ क्षेत्रों में, यद्यपि हम जानते हैं कि हमारी सीमाएं क्या हैं, सीमांकन अभी किया जाना है।

Shri Manubhai J. Patel: Even my questions were not properly replied to earlier on this point. I want to know about the actual position of India's map pertaining to our present situation?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वह समूचे भारत के नक्शे का विवरण कैसे दे सकते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने कुछ समय पहले बताया कि भारत के नक्शे के बारे में कोई सन्देह नहीं है। कुछ भूमि गैर-कानूनी तौर पर चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। कुछ भूमि के टुकड़े हैं जो विवादग्रस्त हैं या कुछ गांव हैं जहां सीमांकन किया जाना है। परन्तु भारत का नक्शा पूर्णतः निश्चित है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa: What is the detail about the borders which we consider as disputed and which have not been demarcated by Government of India? What is the total area of such border?

Shri Atal Behari Vajpayee: The original question and Shri Berwa's question have not been replied to, which are concerning the same point. At one time the matter of Kutch arose and at another time there arose the matter of Katchchativu. How much of our border is under dispute. The Government should prepare details in this regard and place them before the country whereby we may come to know how much of our border is under dispute?

Shrimati Indira Gandhi: One is Beru Bari which is before the Supreme Court now. There is the question of Chilahati which emerged from Redcliffe Award and which is in our possession. Then there are the Cooch Behar enclaves, which are yet to be exchanged and demarcated. Some disputed territory is on Assam—East Pakistan border. Pakistan is not in occupation of 249 acres. Boria Bari is in Assam. Then there is Isachari and Patichari Mauza on Pheni river between Tripura and East Pakistan which is five square miles and Pakistan has claimed it. These are very small areas. Chilahati is 513 acres. You can add all this and get the total (**Interruptions**).

Shri Atal Behari Vajpayee: This information may be laid on the Table of the House.

Shri Madhu Limaye: Satisfactory reply has not been given to any of the questions asked. I also want to know the exact borders of India which are beyond any doubt. There are land borders, such as with Tibet, with China and likewise with Burma. But there are sea borders also where there are our islands. Therefore the argument of the Hon. Minister is not tenable that since they are not covered by it so he would not tell about islands.

Regarding Katchchativu the Hon. Minister had stated that they are neither in our possession nor in that of Ceylon. He said that communication had been sent in this regard. Whether she came to know after that that Ceylon's police and naval ships have arrived in Katchchativu

and has her attention been drawn to this report published in "Amrita Bazar Patrika" of Calcutta on 25th March that.....

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पढ़कर न सुनायें । बंगला कोई नहीं समझता ।

Shri Madhu Limaye : A news report has appeared in "Amrita Bazar Patrika" dated the 25th March that when Indian Officials reached Narcondam island for this purpose they found that Burmese have erected pillars on the Narcondam island and have occupied it. You may recall that we had given a call attention Notice here that immediately after the decision about Kutch Pakistani newspapers had started doing propaganda to the effect that India has no claim over Andaman and Nicobar islands and that they should be divided among four nations. One of them was Burma about which this news report has appeared. Recently Shri Ne Win visited India. An assurance was given here that Katchchativu was not in occupation of any power but thereafter Ceylone's police and Naval frigates arrived there. There was no dispute about Andaman and Nicobar Border was definite, but Burma has interfered in Narcondam island. I want to know whether Government are aware of that and have any measures been adopted for defence ?

Shrimati Indira Gandhi: Andaman belongs to us. All the islands belong to us. Our Navy patrols there. I have also seen reports in the press about Narcondam and we are looking into it.

Shri Madhu Limaye : I had asked have Ceylon's police and Naval frigates reached there. This question should be replied to. She should not treat the House in this manner.

Shrimati Indira Gandhi: I had replied to his question there and then. Possession meant that none is in physical possession of that island. But I had also said that ever since illegal smuggling or immigration started there and the people from here go to Ceylon through Katchchativu, from that time they send their Immigration officer.....

Shri Madhu Limaye: I asked about police and Naval frigates.

श्री एस० कण्डप्पन : श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना वहां थी । श्रीलंका वायुसेना के विमानों ने वहां भूमि से 200 फुट की ऊंचाई पर उड़ाने की हैं ।

Shri Madhu Limaye: The House is being misled. I seek your protection.

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं है । उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि पुलिस या सेना वहां है या नहीं । मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता न ही उसे गलत बता सकता हूं ।

Shri Madhu Limaye: The Hon. Minister should say. I am not asking of you. I had asked whether Ceylon's police and Naval frigates have reached there and whether Government are aware of that or not. I am not asking about Immigration officers.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उनकी नौसेना गश्त लगाती है हमारी नौसेना भी गश्त लगाती है । हम यह देखने के लिए बेताब हैं..... **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Madhu Limaye: Previously she said that it is not in occupution of any country and later on she said that police and naval frigates go there. What else the possassion means? Due to our weakness we are bring attacked by all. All are encroaching upon India's territory.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : हमारी सीमाओं के सीमांकन के विषय में दो बातें हैं। एक हमारी पाकिस्तान के साथ सीमा के बारे में और चीन द्वारा गैर-कानूनी ढंग से अधिकृत भूमि के बारे में रेडक्लिफ एवार्ड और बग्गे एवार्ड है और दूसरी उन द्वीपों के बारे में है जो श्री लंका और बर्मा के निकट हमारे कब्जे में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो दल सीमांकन के लिए या हमारे देश की सही सीमाएं सुनिश्चित करने के लिये बनाये गये क्या वे पंचाटों की उपपत्तियों के अनुसार यह कार्य कर रहे हैं और कि क्या हमारे और हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका और बर्मा, के बीच कोई विवाद रहा है? इन बातों की गहराई से छानबीन की गई है तो क्या सीमांकन अथवा हमारे देश की सही सीमाओं का पता लगाने के पहलू पर भी विचार किया गया है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : पाकिस्तान के साथ सीमा के बारे में विवाद है। जहां तक कच्चाटीवू और श्रीलंका का सवाल है, सभा में हमने चर्चा की थी और मैंने स्थिति की व्याख्या की थी। श्री मधु लिमये के प्रश्न के उत्तर में मैं फिर कहती हूं कि दोनों देश उस क्षेत्र में गश्त की व्यवस्था किये हुए हैं। परन्तु इस विशेष उत्सव के समय पर श्री लंका के समक्ष एक विशेष समस्या गैर-कानूनी आप्रवास की आती है। उस गैर-कानूनी आप्रवास को रोकने के लिए ही वह कुछ कदम उठाते हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस वर्ष वे कोई नई कार्यवाही नहीं करेंगे। हमने वहां पर अपने उच्चायुक्त से इस मामले में पूछताछ की है। स्वभावतः वह भी श्रीलंका की सरकार से बात करेंगे। हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां तक अन्य माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, जब कभी भारत की सीमा और इसके क्षेत्र पर विचार होता है तो इन द्वीपों के बारे में भी विचार होता है।

अध्यक्ष महोदय : हमने लगभग 40 मिनट तक इस प्रश्न पर चर्चा की है। मैं पूर्णतः सहमत हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे यकीन है कि सरकार इसके महत्व को समझती है। परन्तु मैं समझता हूं कि हमारे पास उपयोगी जानकारी नहीं है। आज से सभी मांगें ली जायेंगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो सकती है। मैं नहीं कह सकता कि इन बातों पर कैसे चर्चा की जा सकती है कि ज्यादा प्रचार न होने पाये। मैं समझता हूं कि सरकार को और विरोधी पक्ष के नेताओं को आपस में बात करनी चाहिए और कोई तरीका निकालना चाहिये·····

Shri Madhu Limaye: What is the harm in publicity? Why hush hush? Our borders are being encroached upon.

अध्यक्ष महोदय : प्रचार के अलावा आपकी तुष्टि भी होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाये जिससे आप इन बातों पर चर्चा कर सकें।

श्री हेम बरुआ : कच्चाटीवू के बारे में हम सन्तुष्ट नहीं हुए हैं। वहां पर जो नई घटनाएं हुई हैं उनकी जानकारी उन्हें नहीं है।

श्री बलराज मधोक : अध्यक्ष महोदय, क्या आप उन उत्तरों से सन्तुष्ट हैं जो दिये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : तो क्या मैं अपना विचार व्यक्त करूं ? मैं चाहता नहीं था कि ऐसा किया जाये । इसमें सन्तुष्ट होने का सवाल नहीं है । यदि अनुपूरक प्रश्न में समूचे भारत के नक्शे का प्रश्न उठाया जाये तो मैं नहीं समझता कि श्री मधोक मुझे यकीन कर सकते हैं । यह बहुत कठिन है । यह गंभीर विषय है । हम इन बातों के स्पष्टीकरण के लिये कोई और अवसर ले सकते हैं ।

Shri Atal Behari Vajpayee : You are right in this. Therefore you can direct the Government to place a detailed statement in this regard on the Table of the House. It should show which of our borders as disputed the area of the disputed territories, to what extent discussions have been held with our neighbouring countries in this regard and what is the present position of these islands, etc.

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि एक पत्र सभा-पटल पर रख दिया जाये जिसमें जो बातें प्रधान मंत्री ने कहीं हैं और अन्य बातें, जिनका सुझाव श्री वाजपेयी ने दिया है, जांच पड़ताल के पश्चात दी जायें । मैं उससे सहमत हूं । बाद में सदस्यगण उसका अध्ययन कर सकते हैं और सावधानी से उनका परीक्षण कर सकते हैं । (**अन्तर्बाधा**) प्रधान मंत्री ने पत्र पढ़ा और जानकारी दी । इतने शोर के कारण हम उसे ठीक तरह सुन न सके ।

श्री क० ना० तिवारी : हम आपके सुझाव से सहमत हैं । मेरा अनुरोध है कि आप प्रधान मन्त्री जी से कहें कि यथासम्भव शीघ्र बैठक बुलाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचें और इस बारे में सभा को जानकारी दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी बैठक का सुझाव नहीं दिया । केवल जो जानकारी उन्होंने दी उसे विवरण का रूप देकर सभा-पटल पर रख दी जाये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Sharing of Expenditure on Kutch Tribunal

*872. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Chengalraya Naidu :
Shri Shri Chand Goel :
Shri Valmiki Choudhary :
Shri Tulshidas Jadhav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement was reached between the Governments of India and Pakistan in regard to the sharing of expenditure in connection with the Kutch Tribunal ;

(b) if so, the ratio of the expenditure that was to be borne by the two countries respectively as per the agreement ; and

(c) the amount of expenditure involving foreign exchange component out of that incurred in connection with the Kutch Tribunal, which has been borne by the Government of India?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) At the first session of the Indo-Pakistan Western Boundary Case Tribunal held in February, 1966, the Tribunal adopted certain procedural rules according to which "Each Party will pay its own costs. The remuneration and expenses of the Members and of the Secretary-General of the Tribunal and the costs of the Tribunal, will be shared equally between the Parties". These procedural rules were adopted by the Tribunal with the agreement of both Parties.

(b) Under the procedural rules adopted by the Tribunal, the two countries were to share the expenditure equally.

(c) The Government of India have so far contributed a sum of $160,000 in foreign exchange as India's share towards the remuneration and expenses of the Members and the Secretary-General of the Tribunal and the costs of the Tribunal.

Removal of Cash-Boxes of Gurdwaras in Pakistan

*873. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cash-boxes of the Gurdwaras in Pakistan were got broken forcibly by the Muslim Wakf Board and the cash taken out of them ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir.

(b) The Government have lodged a protest with the Pakistan Government on this subject.

फिजी के भारतीयों की शिकायतें

*874. **श्री श्रीधरन :**
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फिजी में रहने वाले भारतीयों से हाल ही में कोई शिकायतें प्राप्त हुईं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

बर्मा में नजरबन्द भारतीयों को भारत में लाना

*875. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 18 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4795 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में तथाकथित "आर्थिक अपराधों" के आधार पर नजरबन्द भारतीय राष्ट्रजनों को भारत में लाने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या बर्मा की क्रांतिकारी परिषद के प्रधान, जनरल नेविन, के साथ इस विषय पर उस समय विचार-विमर्श किया गया था, जब वह हाल में भारत यात्रा पर आये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 27 मई, 1964 के पहले जो भारतीय आर्थिक अपराधों के लिये रोके गए थे वे सब रिहा कर दिए गए हैं। और उनमें से ज्यादातर भारत आ गए हैं। बाकी जो थोड़े से लोग बर्मा में रह गए हैं, वे भी छोड़े जाने वाले हैं। 27 मई, 1964 के बाद किए गए अपराधों के लिए जो लोग पकड़े गए थे, उनकी संख्या 24 है जिनमें से 2 जमानत पर हैं और 22 जेल में हैं। बर्मा सरकार प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोष के आधार पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग). जी हां। बर्मा सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई है और आशा की जाती है कि इससे मामले पर जल्दी-जल्दी निर्णय लिया जा सकेगा।

Pak. Propaganda About Kutch Award

*876. **Shri Shashibhushan Bajpai :**
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that Pakistan Press and Radio is indulging in threatening and contemptuous propaganda against India in regard to the Kutch award in spite of the fact that the Government of India are themselves pledged to endeavouring for the implementation of the Kutch Award ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b). As on the matter, Pakistani propagandists have followed their usual practice in carrying on such propaganda against India on the Kutch Award. Government believe that India's position is well understood in the world, despite such false and futile propaganda which hardly needs any countering. Everything necessary is constantly done to put across our point of view.

नागा तथा मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में भारत और बर्मा के बीच परामर्श

*877. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा तथा मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों को संयुक्त रूप से कुचलने के लिये भारत तथा बर्मा सरकार के बीच कोई परामर्श हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में दोनों सरकारों के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). हमारी दोनों सरकारें आपसी हित के सभी मामलों पर एक दूसरे से सलाह मशवरा करती ही हैं। सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि इससे अधिक कुछ कहना वांछनीय नहीं होगा।

भारत के नियंत्रणाधीन द्वीप

*878. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री श्रीधरण :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री निहाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर तथा अरब सागर में कितने द्वीप भारत के नियन्त्रणाधीन हैं ;

(ख) इन सागरों में यदि कोई द्वीप ऐसे हैं जिनके स्वामित्व के बारे में किसी अन्य देश के साथ विवाद हैं, तो उन द्वीपों की संख्या कितनी है ;

(ग) उन द्वीपों की रक्षा के लिए क्या प्रतिरक्षात्मक तैयारियां की गई हैं तथा अन्य क्या नई तैयारियां की जा रही हैं ; और

(घ) यदि इन द्वीपों की रक्षा के लिए कोई प्रतिरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत के नियंत्रण में 300 से ज्यादा द्वीप और चट्टानें हैं। इसमें सुंदरबन, अंडमान, निकोबार, लूकादिव और मनार खाड़ी और कच्छ खाड़ी समष्टियां शामिल हैं।

(ख) एक।

(ग) और (घ). सरकार ने इन द्वीप समूहों की सुरक्षा के लिये समुचित कदम उठाये हैं और समय-समय पर उनकी जांच करती रहती है।

प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल की धमकी

*879. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 से 26 फरवरी, 1968 तक जबलपुर में हुई अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ की बैठक में 15 मई, 1968 को सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनके प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-629/68**]

(ग) मामला विचाराधीन है।

भारत-मूलक लोगों को सिंगापुर में रोक लिया जाना

*880. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि कई हजार ऐसे भारत-मूलक व्यक्तियों को, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, सिंगापुर में रोक लिये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या यह स्थिति आप्रवास सम्बन्धी नये ब्रिटिश कानून तथा उसके प्रतिकार स्वरूप भारत सरकार की संभावित कार्यवाही से उत्पन्न हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन भारत-मूलक व्यक्तियों को स्थायी रूप से बसने के लिये अपने देश में लौटने दिया जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). सिंगापुर में भारतीय मूल के ऐसे व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में ठीक-ठीक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं जिनके पास ब्रिटेन तथा उपनिवेशों के पासपोर्ट हैं। परन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या अनुमानतः 5000 से अधिक नहीं है। ब्रिटेन में हाल ही में अधिनियमित राष्ट्रमंडल आप्रवास नियम के अन्तर्गत, वे व्यक्ति ब्रिटेन द्वारा आप्रवास-नियंत्रण से शासित होंगे जिनके पास ब्रिटेन तथा उपनिवेशों के पासपोर्ट हैं ; परन्तु यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनका ब्रिटेन के साथ कुछ ठोस सम्बन्ध है, जैसे या तो ब्रिटेन में जन्म हुआ हो या उनके दादा-दादी ब्रिटिश हों। इसके बाद भारत सरकार

ने जो कार्रवाई की हैं उसका असर केवल उन्हीं ब्रिटेन-एवं-उपनिवेश पासपोर्टधारियों पर पड़ता है जो आमतौर से कीनिया में रहते हैं।

इस समय प्रचलित नियमों के अनुसार इस प्रकार के व्यक्ति भारत लौट सकते हैं। सिंगापुर की सरकार उन लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने का प्रयत्न कर रही है जो ब्रिटेन के सिंगापुर अड्डे से हट जाने के कारण बेरोजगार हो जायेंगे। इसमें खलबली का कोई कारण नहीं है।

कीनिया में एशिया-मूलक लोग

*881. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीनिया में रहने वाले एशिया-मूलक लोगों के न्यायोचित अधिकारों की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को सम्बन्धित सरकारों के साथ राजनयिक सूत्रों के माध्यम से समुचित कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्द-चीन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

*882. **डा० रानेन सेन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द-चीन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग ने पैथेट लाओ द्वारा की गई इन शिकायतों के बारे में जांच की है कि अमरीकी सैनिक विमान लाओस में पैथेट लाओ के नियन्त्रणाधीन क्षेत्रों में नियमित रूप से आक्रमण कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). पाथेट लाओ प्रदेश पर हवाई आक्रमण के बारे में पाथेट लाओ की शिकायतों पर आयोग की बैठकों में विचार किया गया है। लेकिन, सम्बन्ध इलाकों की यात्रा की सुविधाओं के अभाव के कारण आयोग जांच पड़ताल नहीं कर पाया है। परिणामस्वरूप, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और आयोग ने अपना फैसला नहीं दिया है।

तिब्बत की स्वतन्त्रता के लिये राजनैतिक समर्थन

*883. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री स्वैल :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दलाई लामा ने हाल में भारत सरकार को तिब्बतियों के

स्वतन्त्रता-संग्राम को अधिक राजनैतिक समर्थन देने की अपील की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). माननीय सदस्य संभवतया उन समाचारों का उल्लेख कर रहे हैं जो कि दलाई लामा के हाल ही के वक्तव्य के बारे में अखबारों में छपी थीं ।

भारत सरकार की नीति मोटेरूप से वही है जो कि 13 नवम्बर, 1967 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (ग) के उत्तर में बताई गई थी ।

उगांडा में एशियाई लोग

*884. **श्री स्वैल :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उगांडा सरकार ने ब्रिटिश तथा भारतीय पासपोर्टधारी एशियाई लोगों को देश छोड़ने के आदेश दिये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उगांडा सरकार के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारत के प्रतिरक्षा व्यय पर अमरीका की आपत्ति

*885. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की सरकार भारत के प्रतिरक्षा व्यय और प्रतिरक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण पर आपत्ति करती रही है और भारत को दी जा रही अपनी आर्थिक और खाद्य सहायता पर रोक अथवा उसमें कटौती करने के संकेत दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). अमरीका के ताजा विदेश सहायता विधान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगी कि अमरीका सरकार उनके व्यय के बारे में क्या रुख अपनाती है । लेकिन, अमरीकी सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है जिसका भारत की सहायता पर कोई असर पड़ता हो ।

राष्ट्रमण्डल अनुशासित समिति

*886. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

श्री म० ला० सोंधी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमण्डल के सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रमण्डल अनुशासित समिति की बैठक 12 मार्च, 1968 को लन्दन में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद से कहा है कि वह रोडेशिया को डाक, दूरसंचार तथा विमान सेवायें बन्द कर दे ;

(ग) क्या भूतकाल में ऐसी अनुशास्ति असफल सिद्ध हुई है ; और

(घ) इस बार इन अनुशास्तियों को सफल बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) राष्ट्रमण्डल प्रतिबंध समिति की बैठक 15 मार्च, 1968 को लंदन में हुई ।

(ख) सुरक्षा परिषद के सामने कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रखे गये हैं ।

(ग) रोडेशिया की विद्रोही सरकार के विरुद्ध जो विशिष्ट आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए गए हैं उनसे इस सरकार को समाप्त करने में सफलता नहीं मिली है ।

(घ) रोडेशियाई संकट का समाधान ब्रिटेन की कानूनी, नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है । इसके फलस्वरूप ब्रिटेन की सरकार से हमारा यह आग्रह रहा है कि चूंकि विशिष्ट प्रतिबन्ध कारगर सिद्ध नहीं हुये हैं, इसलिये संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के सातवें अध्याय के अनुच्छेद 41 और 42 के अन्तर्गत, व्यापक आदेशात्मक प्रतिबंधों को थोपकर अधिक कड़ी कार्रवाई की जाए । भारत सरकार ने अपने इस दृष्टिकोण को भी दोहराया है कि इस गैर-कानूनी जाति-भेद मूलक अल्पसंख्यक सरकार को समाप्त करने के लिये ब्रिटेन सभी साधनों को काम में लाये जिनमें बलप्रयोग भी शामिल हो ।

'सती अरुन्धति' तेलुगु फिल्म का प्रदर्शन

*887. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र विधान सभा में तेलुगु फिल्म 'सती अरुन्धति' के प्रदर्शन के विरुद्ध गम्भीर आपत्ति उठाई गई है और इस फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). जी, हां। आंध्र प्रदेश की विधान सभा के हरिजन सदस्यों ने "सती अरुन्धति" के गौतम ऋषि को सन्तान के रूप में दिखाये जाने पर बड़ी सख्त आपत्ति की थी जबकि उनके विचार में वह मातंगा महर्षि की कन्या थी जो हरिजन सम्प्रदाय के एक धार्मिक व्यक्ति थे। राज्य सरकार ने इस त्रुटि को दूर करने के लिए भारत सरकार को कहा है।

(ग) केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड इस प्रश्न पर विचार कर रहा है और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

एयरो-इंजन फैक्टरी, सुनावेडा

*888. **श्री सूपकार :**
श्री सुरेन्दनाथ द्विवेदी :
श्री रवि राय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुत जिले के सुनावेडा में एयरो-इंजन फैक्टरी का प्रबन्ध, जो कि अभी उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, भारत सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). सुनावेडा की एयरो-इंजन फैक्टरी शुरू से ही भारत एयरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रबन्ध में है न कि उड़ीसा सरकार के प्रबन्ध में। इसलिए उड़ीसा सरकार से फैक्टरी को अपने हाथ में लेने का प्रश्न उठता ही नहीं।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों की मांगें

*889. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रबन्धकों तथा कर्मचारी संघों के बीच कर्मचारियों की मांगों तथा शिकायतों के सम्बन्ध में हो रही बातचीत में संतोषजनक प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों द्वारा की गई पेशकश की मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड तथा उसके कर्मचारियों के बीच विवाद को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कर्मचारियों को एक तदर्थ भत्ते की अदायगी के लिए प्रबन्ध और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कोरापुट, कानपुर, नासिक और हैदराबाद डिवीजनों के कार्मिक संघों से एक समझौता तय पाया है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर डिवीजन के प्रबन्ध और कर्मचारी संघ के बीच कर्मचारी संघ द्वारा की गई मांगों के सम्बन्ध में अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-630/68**]

आकाशवाणी का "टुडे इन पार्लियामेंट" कार्यक्रम

*890. **श्री कृष्णमूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी से संसद् की कार्यवाही सम्बन्धी कार्यक्रम "टुडे इन पार्लियामेंट" और "स्पाट लाइट" को समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

श्री एस० एस० खेड़ा द्वारा लिखित "इन्डियाज डिफेन्स प्राबलम" नामक पुस्तक

*891. **श्री रविराय :**

श्री सूपकार :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मार्च, 1968 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित इस समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव तथा प्रतिरक्षा सचिव, श्री एस० एस० खेड़ा ने "इन्डियाज डिफेंस प्राबलम" नामक एक पुस्तक लिखी है जो "ओरिएन्ट लांगमैंस लिमिटेड" दिल्ली द्वारा शीघ्र प्रकाशित की जाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस पुस्तक की अग्रिम प्रति मिली है और क्या 1962 में नेफा में सैनिक पराजय के लिए इस पुस्तक में भारत के सेनाध्यक्ष तथा गुप्त वार्ता विभाग के प्रधान (महानिदेशक) को और सबसे ज्यादा प्रतिरक्षा मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Ceylon Naval Units Deployed in Katchchativu Island

*892. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Ceylon Navy Personnel have been deployed in Katchchativu Island ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b). Presumably, the Hon'ble Member is referring to some press reports. They are being looked into. So far as the Government of Ceylon are concerned, they had assured our High Commissioner, in the friendliest of terms, that in the matter of observance of the festival on the Island this year, nothing would be done beyond what has been done in previous years.

भारत-पाकिस्तान वार्ता

*893. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने सभी पुराने मामलों का अंतिम हल निकालने के लिए भारत से विचार-विमर्श करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). दोनों देशों के बीच के सभी विवादों पर बातचीत करने के हमारे कई प्रस्तावों के जवाब में, पाकिस्तान सरकार ने यही कहा है कि इस तरह की बातचीत से पहले काश्मीर पर "अर्थपूर्ण बातचीत" होनी चाहिए। सरकार की निगाह में ऐसी कोई चीज नहीं आई है जिससे उनके रुख में कोई परिवर्तन दिखाई देता हो।

यूनिवर्सल प्रेस सर्विस को मान्यता

*894. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिवर्सल प्रेस सर्विस, जिसे हाल में प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो ने मान्यता दी है, नई दिल्ली स्थित पश्चिम जर्मन दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति भारतीय भाषाओं में भी तैयार करती है ;

(ख) क्या यूनिवर्सल प्रेस सर्विस द्वारा वितरित अनेक राजनैतिक किस्सों का मूल श्रोत पश्चिम जर्मन दूतावास होता है ; और

(ग) इस विदेश-नियंत्रित संस्था को भारतीय समाचार एजेन्सी के रूप में सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) मान्यता मिलने के बाद यूनिवर्सल प्रेस सर्विस ने पत्र सूचना कार्यालय को सूचित किया है कि वह भारत के कुछ समाचार-पत्रों को डाईन्स्ट ओस डियूट्सचियांड जो हम्बर्ग का एक गैर-सरकारी प्रचार संगठन बताया जाता है, से प्राप्त सामग्री अंग्रेजी में और अनुवाद करने के बाद कुछ भारतीय भाषाओं में वितरित कर रहा है।

(ख) इसकी जांच की जा रही है।

(ग) केन्द्रीय संवाददाता स्वीकृति समिति की सिफारिश पर पत्र सूचना कार्यालय द्वारा अगस्त, 1967 में एजेन्सी के एक प्रतिनिधि को मान्यता दी गई थी, परन्तु उस प्रतिनिधि ने अब पत्र सूचना कार्यालय को सूचित किया है कि उसने फरवरी, 1968 के अंत से एजेन्सी के लिए काम करना बन्द कर दिया है।

लन्दन में भारतीयों द्वारा विरोध प्रदर्शन

*895. **श्री म० ला० सोंधी** :

श्री निहाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कीनिया में रहने वाले एशियाई लोगों पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी हाल के आप्रव्रजन विधेयक के विरोध में लन्दन में 3000 भारतीयों ने जलूस निकाला था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). हाल ही के राष्ट्रमंडल आप्रवास अधिनियम के प्रति विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से लंदन में कई प्रदर्शन हुए हैं जिनमें भारतीयों ने भाग लिया है। भारत सरकार के दृष्टिकोण को राजनयिक सरणियों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति मिली है और 29-2-68 को इस सदन में दिये गये वक्तव्य से भी।

छोटे आकार का केन्द्रीय मंत्रिमंडल

*896. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 मार्च, 1968 को प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रधान ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल को छोटा करने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) आयोग ने ऐसा कोई सुझाव अभी तक नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Order for Supply of Goods Placed on Dhanda Engineers (P) Ltd., Faridabad

*897. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Kanwar Lal Gupta : **Shri Shri Chand Goel :**
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Defence Supply Department has placed an order for the supply of goods to a firm named "Dhanda Engineers (P) Ltd., Faridabad ;"

(b) if so, the value of the goods for the supply of which orders were placed with the said firm during the financial years 1966-67 and 1967-68 ;

(c) the value of the goods for the supply of which orders are proposed to be placed with the said firm in 1968-69 ;

(d) whether this firm has been approved as suppliers by the Director-General of Supplies and Disposals ; and

(e) the number of other such firms with which such orders have been placed during the current financial year ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) Manufacture of only one item has been entrusted to the firm. The value of the orders placed in 1966-67 and 1967-68 was Rs. 3.5 lakhs and Rs. 24.92 lakhs respectively.

(c) The firm submitted quotations for the manufacture of some other items. Their quotations along with those of other firms are under consideration.

(d) Yes, Sir.

(e) The Department of Defence Supplies has so far placed orders for about 4000 items of the value of Rs. 15 crores on a large number of firms all over the country, for Defence items which were hitherto being imported. Separate figures for the current financial year are not readily available.

Schemes for Fourth Five Year Plan by Maharashtra

5398. **Shri Deorao Patil :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Maharashtra Government have submitted its schemes for inclusion in the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the salient points thereof ; and

(c) the estimated expenditure to be incurred thereon ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir ; schemes for the Fourth Five Year Plan (1969-74) have not yet been called for from the State Governments.

(b) and (c) Do not arise.

Documentary on Koyna Earthquake

5399. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any documentary film on Koyna earthquake has been produced ; and

(b) if so, the amount of expenditure incurred on the production of the said documentary ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) One documentary film and one newsreel was produced by the Films Division and a short film by the Film Institute of India. The total expenditure incurred on the production, dubbing into various languages and making of prints for all-India release comes to Rs. 1,19,780/- approximately.

रंगीन वृत्त चित्र

5400. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने रंगीन तथा सादे वृत्त चित्र बनाये गये तथा प्रदर्शित किये गये और सरकार की प्रत्येक वृत्त चित्र पर कितनी लागत आई ;

(ख) वृत्त चित्र डिवीजन में कितने व्यक्ति काम करते हैं ;

(ग) माउन्ट एवरेस्ट पर विजय सम्बन्धी भारतीय अभियान (यह सफलता तीन वर्ष पहले प्राप्त की गई थी) जैसे सामयिक महत्व के वृत्त चित्रों को इतनी देर से, जबकि उसके बारे में लोग भूल चुके होते हैं, प्रदर्शित किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या ऐसी फिल्मों को उनके पुरानी पड़ने से पहले प्रदर्शित करना सम्भव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-631/68**] फिल्म प्रभाग द्वारा एक 300 मीटर लम्बे सादे वृत्त चित्र के बनाने पर इस समय औसतन लगभग 32,000 रुपये और रंगीन वृत्त चित्र के बनाने पर 66,000 रुपये खर्च किये जाते हैं।

(ख) फिल्म प्रभाग में काम करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 928 है जिसमें वृत्त चित्र और समाचार-चित्रों के बनाने और उनके वितरण करने के काम पर लगे अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं।

(ग) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं पर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये फिल्म प्रभाग के साप्ताहिक इण्डियन न्यूज रिव्यू में उचित कहानियां दी जाती हैं। भारतीय एवरेस्ट अभियान ने माउन्ट एवरेस्ट पर मई, 1965 के तीसरे और चौथे सप्ताहों में विजय प्राप्त की थी और यह सफलता इण्डियन न्यूज रिव्यू संख्या 868, 869 और 871 में दी गई थी जो देश भर में क्रमशः 28 मई, 4 जून और 18 जून, 1965 को रिलीज की गई

थी। इसके बाद पूरी लम्बाई का एक वृत्त चित्र बनाया गया जो मई, 1967 में भारतीय एवरेस्ट अभियान द्वारा माउन्ट एवरेस्ट पर विजय की दूसरी जयन्ती के अवसर पर रिलीज किया गया था।

(घ) सवाल नहीं उठता।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल पर व्यय

5401. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में, वर्षवार, प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय छात्र सेना दल पर सरकार ने कितनी राशि खर्च की ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिये पर्याप्त अधिकारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ख) सभी स्वीकृत स्थानों की पूर्ति के लिये नियमित अफसर प्राप्य नहीं हैं, परन्तु सेवा-निवृत्त अफसरों को पुनः बुलाकर और अन्य को भर्ती करके, कि जिन्हें एन० सी० सी० कमीशनें प्रदान की गई हैं, कमियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।

कोरापुट में नया हवाई अड्डा

5403. **श्री नरसिम्हा राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुदारी के निकट एक हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है और यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है और इसके बन कर तैयार होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ;

(ख) यह जैपुर स्थित मिग विमान कारखाने से कितनी दूर है ; और

(ग) इस छोटी सी दूरी पर दो हवाई अड्डे बनाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में आण्विक खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण

5404. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तारापुर और अणुशक्तिनगर (राजस्थान) में स्थापित की जा रही आण्विक

शक्ति परियोजनाओं को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने मध्य प्रदेश में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर यूरेनियम, थोरियम, वेरेलियम, कोलम्बियम, टैंटालम और अन्य आण्विक खनिज पदार्थों का वाणिज्यिक आधार पर खनन करने की संभाव्यता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं की यूरेनियम सम्बन्धी आवश्यकता किन श्रोतों से पूरी होती है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक आधार पर यूरेनियम, थोरियम, वेरेलियम, कोलम्बियम, टैंटालम और अन्य आण्विक खनिज पदार्थ वाणिज्यिक आधार पर खनन करने का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं हुआ है ।

(ख) तारापुर तथा राजस्थान परमाणु बिजली घरों की यूरेनियम सम्बन्धी आवश्यकता मुख्यतः सिंहभूम ताम्र क्षेत्र, बिहार की खानों से पूरी होगी ।

Border Roads Organisation

5405. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that machinery costing about Rs. 70 lakhs is lying idle with the Border Roads Organisation ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government for improving the working of the Border Roads Organisation ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it becomes available.

सरकारी प्रचार में हिन्दी का प्रयोग

5406. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी प्रचार साधनों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति देखने के लिए एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) प्रचार साधनों में तथा उनके माध्यम से हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग सम्बन्धी मामलों पर इस मंत्रालय को सलाह देने और समय-समय पर की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए "सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति" के नाम से एक समिति गठित की गई है ।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 12(6)167-प्रशासन-1, तारीख 12 जनवरी, 1968, जिसमें समिति का ब्योरा दिया हुआ है, की एक प्रति अतारांकित प्रश्न संख्या 311 के उत्तर में 14 फरवरी, 1968 को सदन की मेज पर रख दी गई थी। श्री एस० एम० जोशी और डा० राधा नाथ रथ भी इस समिति के सदस्य होंगे।

Conversion of Tibetan Refugees by Foreign Christian Missionaries

5407. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether cases of conversion of Tibetan refugees by foreign Christian Missionaries have come to the notice of Government ;

(b) whether it is a fact that foreign Christian Missionaries have adopted the children of these refugees and sent them to foreign countries with a view to convert them ; and

(c) if so, the number of such refugees converted so far and the children sent to foreign countries with their names ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). No such cases have come to the notice of Government.

(c) Does not arise.

रेडियो तथा ट्रांजिस्टर बनाने वाली कम्पनियां

5408. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रेडियो तथा ट्रांजिस्टर बनाने वाली विदेशी और भारतीय मालिकों की कम्पनियों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं तथा वे किन-किन स्थानों में हैं और उनके पते क्या हैं और प्रत्येक कम्पनी में कितनी-कितनीं पूंजी लगी हुई है, उनके निदेशकों के नाम क्या हैं ; और उनमें यदि कोई विदेशी सहयोग है, तो प्रत्येक के सम्बन्ध में उसका क्या ब्योरा है ;

(ख) वर्ष 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में प्रत्येक कम्पनी द्वारा तैयार किये गये उत्पादों के नाम, उनका ब्योरा तथा उनकी मात्रा और उनका मूल्य क्या है ;

(ग) प्रत्येक निर्माता कम्पनी को उपरोक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्चने की अनुमति दी गई और आयात की गई वस्तुओं का ब्योरा क्या है तथा उन वस्तुओं का विशिष्ट प्रयोजन क्या है ; और

(घ) प्रत्येक कम्पनी द्वारा उपरोक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितने मूल्य के उत्पादों का और किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). संगठित क्षेत्र में फर्मों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

उद्योग के राज्य डायरेक्टर छोटे पैमाने के क्षेत्र की फर्मों से सम्बन्ध रखते हैं, और ऐसी फर्मों के बारे में जहां तक सूचना प्राप्य होगी, उद्योग के डायरेक्टरों से प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

रेडियो तथा ट्रांजिस्टर बनाने वाली कम्पनियां

5409. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो तथा ट्रांजिस्टर बनाने वाली विदेशी मालिकों की कम्पनियों ने गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष अपने लाभ से कितनी राशि विदेशों में भेजी है;

(ख) प्रत्येक कम्पनी में कितने विदेशी काम करते हैं, उनका वेतन कितना-कितना है तथा वे विदेशों में प्रति वर्ष कितना धन भेजते हैं; और

(ग) उपरोक्त अवधि में रेडियो तथा ट्रांजिस्टर बनाने वाली प्रत्येक कम्पनी ने प्रति वर्ष कितना लाभ कमाया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

परमाणु शक्ति से विद्युत जनन

5411. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) परमाणु शक्ति तथा कोयला आधारित तापीय केन्द्र से विद्युत जनन में प्रति यूनिट और प्रति 100 मैगावाट पर कितनी लागत आती है; और

(ख) तारापुर राणाप्रताप सागर की परमाणु शक्ति को वरीयता देने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) अवमूल्यन से पूर्व आयातित जनित्रों का प्रयोग करके कोयला आधारित 100 मैगावाट की क्षमता वाले बिजलीघरों की लागत लगभग 12 से 13 करोड़ रुपये थी । यदि राजस्थान का पहला यूनिट अवमूल्यन से पहले पूरा हो जाता, तब प्रति 100 मैगावाट की लागत 17 करोड़ रुपये के लगभग होती । राजस्थान और पश्चिमी क्षेत्र में कोयला आधारित बिजलीघरों की बिजली की अनुमानित औसत लागत 6 पैसे प्रति यूनिट से अधिक होगी । तारापुर और राजस्थान के बिजलीघरों की बिजली की लागत पूंजी, संचालन तथा देखभाल के व्यय को शामिल करके क्रमशः 4.50 पैसे प्रति किलोवाट घंटे तथा 5.71 पैसे प्रति किलोवाट घंटे होगी ।

(ख) तारापुर और राजस्थान के बिजलीघरों की न्यूक्लीय बिजली इसी समय में निर्मित कोयला आधारित बिजलीघरों में उत्पादित बिजली से सस्ती होगी ।

'दि हिन्दू' समाचार-पत्र को विश्व प्रेस सफलता पुरस्कार

5412. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के 'दि हिन्दू' समाचार-पत्र को अमरीका के समाचार-पत्र प्रकाशक संघ फाउंडेशन का वर्ष 1968 का विश्व प्रेस सफलता पुरस्कार प्राप्त हुआ है जैसे कि फाउंडेशन के प्रधान मिस्टर रोवर्ट टेलर द्वारा 27 फरवरी, 1968 को न्यूयार्क में घोषणा की गई है;

(ख) क्या पुरस्कार पर लिखी टिप्पणी के अनुसार 'दि हिन्दू' समाचार-पत्र द्वारा पुरस्कार प्राप्ति का एक मुख्य कारण था कि 'दि हिन्दू' समाचार-पत्र राजनीतिक दृष्टि से भारत सरकार की असंबद्धता की नीति का आलोचक रहा है और प्रजातन्त्री देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का अनुरोध करता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) माननीय सदस्य ने जिस उद्धरण का उल्लेख किया है, वह श्री टेलर के पंचाट की घोषणा में है।

(ग) 'दि हिन्दू' एक स्वच्छंद समाचार-पत्र है और किसी पंचाट को इस तरह स्वीकार करना या न करना इसके प्रकाशकों का और संपादक का काम है। इससे सरकार को कोई सरोकार नहीं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारियों और सहायकों की वरिष्ठता सूची

5413. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों की नवीनतम वरिष्ठता सूची पिछली बार कब निकाली गई थी; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि नवीनतम वरिष्ठता सूचियां प्रतिवर्ष निकाली जायें सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रक्षा मंत्रालय के सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों और सहायकों की नवीनतम वरिष्ठता सूचियां सबसे पिछली बार इस प्रकार जारी की गई थीं :

अनुभाग अधिकारी	4 मार्च, 1968
स्थायी सहायक	16 मार्च, 1968
अस्थायी सहायक	22 जून, 1967

(ख) मंत्रालय में नवीनतम वरिष्ठता सूचियां कायम रखी जाती हैं और सभी अनुभाग अफसरों और सहायकों के लिए देखने के लिए प्राप्य रहती हैं। सूचियों को हर वर्ष जारी करना आवश्यक नहीं है।

Editorial in 'Saraswati' regarding Undesirable Advertisement in Hindi Newspapers

5414. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the editorial comments under the caption "Beginning of undesirable, vulgar or obscene advertisements in Hindi newspapers" appearing in the February, 1968 issue of "Saraswati" ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) Since it is difficult to have a cast-iron definition of obscenity, opinions differ on the subject. The State Governments are however empowered to take appropriate action wherever any obscene writing or picture contravenes the relevant provision of the Indian Penal Code. Other cases which are regarded as offending public taste and violate accepted principles of journalistic ethics can be dealt with by the Press Council of India, if brought to the notice of the Council.

Pak. Criticism of Unlawful Activities (Prevention) Act

5415. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Radio Pakistan and the various responsible leaders of Pakistan have at various occasions severely criticized the Unlawful Activities (Prevention) Act passed by the Indian Parliament ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi). (a) Yes, Sir. The Permanent Representative of Pakistan complained to the President of the Security Council in December, 1967 that the Act was allegedly designed to curb the movement for self-determination in Kashmir and prejudice a peaceful settlement of the Kashmir problem.

(b) We have exposed this Pakistani propaganda as an attempt to prejudice Indian jurisdiction in one of the constituent States of the Indian Union. The Permanent Representative of India wrote to the President of the Security Council on January 10, 1968 that Pakistan's letter referred to matters pertaining to the domestic jurisdiction of India which were of no concern of Pakistan and amounted to gross interference in the internal affairs of India. Our Permanent Representative also pointed out that the Government of India were not prepared to engage in any discussion or exchanges thereon.

तारापुर, राणाप्रताप सागर और कलपक्कम में परमाणु बिजलीघर

5416. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तारापुर, राणा प्रताप सागर और कलपक्कम में परमाणु बिजलीघर किस तारीख तक बनकर तैयार हो जायेंगे;

(ख) प्रस्तावित बिजलीघरों का स्वरूप क्या होगा तथा परमाणु सामग्री तैयार करने की उनकी क्षमता कितनी होगी; और

(ग) इन बिजलीघरों को पूरा करने में विलम्ब होने के क्या करण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). परमाणु बिजलीघरों के चालू होने की अनुमानित तिथि तथा उनकी क्षमता इस प्रकार है :

बिजलीघर का नाम	पूरी क्षमता से चालू होने की अनुमानित तिथि	बिजलीघर की क्षमता
1. तारापुर परमाणु बिजलीघर (पहला और दूसरा यूनिट)	1968 (अक्टूबर)	380 मैगावाट
2. राजस्थान परमाणु बिजलीघर		
पहला यूनिट	1970-71	200 मैगावाट
दूसरा यूनिट	1971-72	200 मैगावाट
3. मद्रास परमाणु बिजलीघर	1972-73	200 मैगावाट

तारापुर स्थित बिजलीघर समृद्ध यूरेनियम वायलिंग वाटर रिऐक्टरों और राजस्थान तथा मद्रास बिजलीघर मंदित तथा भारी पानी द्वारा शीतल किए गये प्राकृतिक यूरेनियम रिऐक्टरों पर आधारित है। इन रिऐक्टरों में उपोत्पाद के रूप में कुछ प्लूटोनियम का भी उत्पादन किया जायेगा जिसका रिऐक्टरों में खण्डनीय सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। राजस्थान और मद्रास बिजलीघरों में रेडियधर्मी कोवाल्ट का उत्पादन किया जायेगा।

(ग) आशा है कि तारापुर परमाणु बिजलीघर का निर्माण निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जायेगा। राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट निर्धारित कार्यक्रम से कुछ महीने बाद में चालू होगा क्योंकि अंशतः निर्धारित कार्यक्रम बहुत सुगठित था और अंशतः कनाडा के साथ-साथ भारतीय सप्लायरों द्वारा कुछ उपकरणों का देर से सप्लाई करना है।

आकाशवाणी के एक संवाददाता की मृत्यु के बारे में जांच

5417. **श्री बाबू राव पटेल :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कन्नड़ एकक के एक कर्मचारी श्री एल० एच० जोशी जिनकी

रफी मार्ग और राजपथ, नई दिल्ली के चौराहे पर आकाशवाणी की कार के गन कैरिज से टकरा जाने से 1 फरवरी, 1968 को मृत्यु हो गई थी, की पत्नी और लड़के को कितना मुआवजा दिया जायेगा;

(ख) क्या आकाशवाणी के कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस दुर्घटना की जांच कराने का है और यदि हां, तो कब;

(ग) क्या यह सच है कि प्रयोग में आने वाली मोटरगाड़ियों की यांत्रिक हालत की कोई उचित निगरानी नहीं की जाती है और ड्राइवरों के पास काम भी अधिक होता है ; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) आकाशवाणी के समाचार विभाग, नई दिल्ली के स्टाफ आर्टिस्ट श्री एल० एच० जोशी, जिनकी 1 फरवरी, 1968 को कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, की विधवा पत्नी को 500 रुपये तुरन्त अनुग्रह के रूप में दिए गए । इस राशि के अलावा, श्रीमती जोशी को 500 रुपये और, अनुग्रह के रूप में दिए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, निर्धारित प्रक्रिया में ढील करते हुए, सरकार की स्वीकृति से श्रीमती जोशी को आकाशवाणी के बम्बई केन्द्र में जनरल एसिसटेन्ट (स्टाफ आर्टिस्ट) नियुक्त किया गया है । इसको ध्यान में रखते हुए श्रीमती जोशी को अलग से कोई प्रतिकर देने का विचार नहीं है । फिर भी, प्रतिकर का दावा करने के लिये उसे ऐसी कानूनी कार्यवाही करने की स्वतंत्रता है, जिसकी उसे सलाह दी जाये ।

(ख) आकाशवाणी के कुछ स्टाफ आर्टिस्ट महा-निदेशक से मिले और उनसे दुर्घटना की जांच कराने के लिये कहा । उन्हें यह बताया गया था कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है । विभागीय जांच भी की जा रही है । अलग से सैनिक जांच भी की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं । किन्तु समाधान के लिए इसकी भी जांच की जा सकती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी में ड्राफ्ट्समैनों के सलेक्शन ग्रेड के पद

5418. **श्री अब्दुल गनी दार:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 13 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आकाशवाणी में ड्राफ्ट्समैनों के सलेक्शन ग्रेड के पद बना दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने पद बनाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) से (ग). जी, नहीं । मामले पर सरकार ध्यान दे रही है । तथापि, इस पर निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा क्योंकि प्रस्ताव के बारे में अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों से भी सलाह करनी होगी ।

कीनिया से आने वाले भारतीय

5419. **श्री अंबचेजियान :** **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री बलराज मधोक : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री दीवीकन : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि वह भारतीय जिन्हें कीनिया की सरकार ने बलात देश से बाहर निकाल दिया था और जिन्हें ब्रिटेन में घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी भारत आ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक भारत आने वाले इन भारतीयों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इनको क्या सुविधायें दी गई हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार को पिछले महीने में कीनिया और भारत के बीच सामान्य यातायात में कोई खास वृद्धि होने के बारे में ज्ञान नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Truce Violations by Nagas

5420. **Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of times truce violations were committed by the Naga guerillas so far ; and

(b) whether there was a hand of these guerillas in recent riots in Assam ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) A statement showing violations of Agreement on Suspension of Operation by Underground Nagas from 1st May, 1967 to 31st January, 1968 is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T.-632/68].** A similar statement for the period from November, 1966 to April, 1967 was laid on the Table of the House in reply to Unstarred Lok Sabha Question No. 733 dated 29-5-1967.

(b) No such evidence has come to the Notice of the Government of India.

Catholic Church in Katchchativu Island

5421. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Catholic Church, Katchchativu Island comes under the jurisdiction of the Bishop of Madras;

(b) whether information in this regard has been sought for from the Cardinal Gracias of Bombay ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). The question of Katchchativu is under examination. No reference has been made to Cardinal Gracias, but enquiries are being made from all relevant quarters including the Church authorities in Madras State and the available records are being studied.

Land for Soldiers in Rajasthan

5422. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to allot land to some soldiers in Rajasthan;

(b) if so, the number of soldiers who have been allotted land during the last six months and the acreage of land so allotted; and

(c) the acreage of land so allotted in Kotah, Rajasthan and the names of the places where it has been allotted?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). So far, the State Government has allotted 4765 acres of land up to Anupgarh Shakha in the Rajasthan Canal Project Area to 305 families of soldiers killed in the Chinese and Indo-Pakistan conflicts. Further details regarding acreage and places where the land has been allotted during the last six months is not available.

Defence Department Farms

5423. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all the farms of the Defence Department are running into loss;

(b) if so, whether Government propose to entrust the work of running the said farms to State Governments or Co-operative Societies; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir. The working of the military farms during 1966-67 has resulted in an overall net profit of approximately Rs. 66.38 lakhs.

(b) and (c). Do not arise.

Sainik Schools

5424. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of students who had passed their examinations from the Sainik Schools last year, the number of students, out of them, who joined the Army, and those who were selected for Gazetted Posts and who got ordinary posts separately;

(b) whether Government have laid down any policy under which all the requirements of Defence Department in regard to recruitment could be met from the Sainik Schools; and

(c) whether some seats are reserved for any particular class or caste in the Sainik Schools and if so, the details thereof?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) The information is being collected from the Sainik Schools and a statement will be laid on the Table of the House in due course.

(b) No.

(c) Admission to Sainik Schools is made only on the basis of the rank obtained in the All India Entrance Examination. However, the policy of the Board of Governors of the Sainik Schools Society is that every Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidate who obtains the minimum qualifying marks at the Entrance Examination should be offered admission irrespective of his rank in the merit list even though he would not have secured such admission if the admission had been made strictly in the order of merit. In addition, the Administrations of Andaman and Nicobar Islands and Laccadive and Minicoy Islands have been permitted to nominate two Tribal boys each to Sainik Schools. Special facilities have been offered to Nagaland, J and K Government and NEFA Administration to nominate a certain quota of boys to Sainik Schools.

News Broadcast about Kutch Award by A. I. R.

5425. **Shri Kanwar Lal Gupta:**
Shri R. S. Vidyarthi:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleaeed to state:

(a) whether it is a fact that after the announcement of the Kutch Award, All India Radio continued to broadcast that the said award was in favour of India and that India had gained as a result thereof;

(b) whether it is also a fact that the broadcast said that such parties as do not accept the award are devoid of national approach; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) No, Sir.

(b) and (c). No, Sir. The tone was that the national honour demanded the acceptance of the Award.

भूतपूर्व ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीकी राज्य-क्षेत्रों से स्वदेश लौटने वाले भारत-मूलक लोग

5426. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत दो वर्षों में कीनिया, तंजानिया और उगांडा सहित ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका के राज्य क्षेत्रों से कितने भारत-मूलक व्यक्ति वापिस भारत आये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ परिवार पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका से भी आये हैं; और

(ग) उन लोगों को पुनः बसाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जायगा ।

(ख) भारतीय मूल के लगभग 450 परिवार 1965 के दौरान मोजाम्बिक (पुर्तगाली पूर्व-अफ्रीका) से आ गए हैं ।

(ग) मोजाम्बिक (पुर्तगाली पूर्व-अफ्रीका) से स्वदेश-प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था अधिकांशतः गुजरात में कर दी गई है । राज्य सरकार ने ऋण इत्यादि देकर उनके पुनर्वास में सहायता की है । मोजाम्बिक में उन्होंने जो आस्तियां छोड़ी हैं उनके लिए पुर्तगाली अधिकारियों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार मैक्सिको की सरकार के जरिए बातचीत कर रही है, परन्तु इसमें कोई सफलता नहीं मिली है ।

आयुध कारखाना, मुरादनगर

5427. **श्री देवेन सेन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादनगर के आयुध कारखाने के लगभग चार हजार कर्मचारियों के लिये मकानों की अत्यन्त कमी है, क्योंकि इसके आसपास कोई ऐसी बस्ती नहीं है, जहां कर्मचारियों को किराये पर मकान मिल सकें ;

(ख) क्या यह सच है कि 1943 में कारखाना आरम्भ होने के बाद से अब तक और क्वार्टर नहीं बनाये गये हैं और सड़कों तथा सफाई व्यवस्था में भी कोई सुधार नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से विद्यमान क्वाटरों को बेकार तथा रहने अयोग्य घोषित कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के लिये नये क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). आर्डनेंस फैक्टरी, मुरादनगर में कर्मचारियों की संख्या लगभग 3300 है, और संपत्ति में विद्यमान, हर किस्म के वास्य भवनों की संख्या 1221 ।

1954 से 249 क्वार्टरों का निर्माण किया गया है । इसके अतिरिक्त उन सभी क्वार्टरों का जो फैक्टरी की स्थापना के समय शुरू में खड़े किए गए तीन प्रावस्थाओं में नवीकरण/मरम्मत की गई है । क्षेत्र के लिए नालियों की योजना 1959 में स्वीकार की गई थी, और अब तक कार्यान्वित की जा चुकी है । सम्पत्ति की सड़कों का 1954-55 में पुनः तलनिर्माण किया गया था । फैक्टरी और सम्पत्ति सड़कों की मरम्मत के लिये एक प्रायोजना स्वीकार की गई है, और एक प्रावस्थित कार्यक्रम के अनुसार अन्य वृहद् निर्माणकार्यों के साथ कार्यान्वित की जायगी ।

(ग) 622 पुराने क्वार्टर बेकार घोषित किये गये हैं।

(घ) जी हां। अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

Obscenity in Indian Films

5428. **Shri O. P. Tyagi**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have permitted kissing, embracing and semi-nude appearance of women actors in Indian Films;

(b) if so, whether this is in keeping with the Indian culture and the sentiments of the people;

(c) whether it is likely to have an immoral effect on the young boys and girls in the country; and

(d) if so, Government's reaction in the matter?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) No Sir. Government have merely issued Directions to the Board of Film Censors setting out the principles which shall guide the Board in sanctioning films for public exhibition.

(b) to (d). In view of answer to part (a), the question does not arise.

Indians in Kenya

5429. **Shri O. P. Tyagi**:
Shri Sradhakar Supakar:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of Indians in Kenya before Kenya attained Independence;

(b) the number of Indians out of them who were British citizens and of those who were Indian citizens;

(c) the number of Indians who took citizenship of Kenya after Kenya attained Independence upto the end of 1967; and

(d) the number of Indians who left Kenya for good after Kenya attained independence, the number out of them who came to India and of those who went to U. K. and to other countries?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) The total number of persons of Indian origin (i. e. from undivided India) in Kenya at the time of her Independence were about 186,000; out of which 20,000 are of Pakistani origin.

(b) There were about 130,000 British citizens, including British protected persons and 4,000 Indian citizens.

(c) Out of the number mentioned in part (a) 40,000 persons have become citizens of Kenya automatically by birth and 9,000 persons have acquired citizenship by registration; while the application for citizenship of 10,000 other is under consideration by the Kenyan authorities.

(d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विदेशों में नियुक्त अधिकारी

5430. **श्री कामेश्वर सिंह :**

श्री श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में नियुक्त अधिकारियों में से बहुत से लोगों को पिछले 7 वर्षों में वापस भारत में नियुक्त नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वैदेशिक-कार्य मुख्यालय में काम कर रहे अधिकारियों को विदेशों में नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). भारतीय विदेश सेवा, सूचना सेवा और भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख) के कुछ वर्गों के अधिकारियों को, जिन्हें मुख्यालय पर रखा जा सकता है और विदेश-स्थित भारतीय मिशनों में भी भेजा जा सकता है, मुख्यालय के मुकाबले विदेशों में ज्यादा समय के लिये रखना पड़ता है क्योंकि इन वर्गों में विदेश-स्थित मिशनों में मुख्यालय के मुकाबले काफी ज्यादा पद हैं। फिर भी, इस तरह के अधिकारियों की संख्या अनुचित रूप से ज्यादा नहीं है।

Central Assistance to Madhya Pradesh for Projects

5431. **Shri G. C. Dixit:** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have approached the Planning Commission for more assistance from the Centre as they are facing difficulties to meet the outlay in respect of the schemes of the State ;

(b) whether it is also a fact that the Government of Madhya Pradesh have not been able to provide finances for the important projects necessary for food production due to inadequate resources ; and

(c) the recommendations made by the Planning Commission in this regard and the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). It is presumed that the reference is to the current financial year 1967-68.

In the approved Plan of Rs. 60.38 crores, there was a provision of Rs. 12.9 crores for agricultural production programmes against which the State Government made a budget provision of Rs. 10.98 crores only. The State Government proposed additional assistance of Rs. 4 crores for undertaking additional minor irrigation and rural electrification programme outside the Annual Plan 1967-68. In view of the severe constraint of resources, it was not possible to provide additional Central assistance to the State Government.

Indian Military Academy, Dehra Dun

5432. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the number of Cadets from Madhya Pradesh studying at present in the Indian Military Academy, Dehra Dun?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): 18 (Eighteen)

Backward Areas of Madhya Pradesh

5433. **Shri G. C. Dixit:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number and the names of Districts in Madhya Pradesh which have been declared as backward areas;

(b) in case such a declaration has not been made, the reasons therefor; and

(c) in case certain Districts have been declared as backward areas, the amount allocated for each of such Districts during the current year and the items on which that would be spent?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Attention is invited to the reply given to the Unstarred Question No. 3704 on December 11, 1967.

(b) The State Government have not considered it necessary to declare specific areas as backward, in view of the general policy followed of weightage given in the allocation of plan funds to a few backward areas e. g. districts predominantly inhabited by the Scheduled tribes and Scheduled castes and other backward areas in some comparatively advanced districts.

(c) Does not arise.

रूस द्वारा भारत को सैनिक सहायता

5434. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1968 को दैनिक समाचार-पत्र 'स्टेट्समैन' में "पाकिस्तान और भारत को अमरीकी हथियारों की कोई बिक्री नहीं" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि वाशिंगटन में यह धारणा बनी हुई है कि रूस को भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः युद्ध छिड़ने से उत्पन्न होने वाले खतरों का पता है और वह भारत को सैनिक सहायता देने में कुछ संयम बरत रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दूसरों द्वारा बांधी गई तथाकथित धारणा की तुलना में सरकार, भारत और यू० एस० एस० आर० के बीच वर्तमान दृढ़ मैत्रीपूर्ण संबंध के प्रतिकार को तरजीह देगी।

आकाशवाणी केन्द्र, कटक

5435. **श्री स० कुण्डू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी केन्द्र, कटक के कार्यकलापों का विकास तथा विस्तार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). जी हां । आकाशवाणी की चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में भुवनेश्वर में सहायक स्टूडियो सहित कटक में एक शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमीटर और स्थायी स्टूडियो के लगाने की व्यवस्था है । इस प्रस्ताव को साधनों के उपलब्ध होने पर कार्यान्वित किया जाएगा ।

अमरीका में भारतीय राष्ट्रजन

5436. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में चिरकाल से रह रहे भारतीय राष्ट्रजनों को अब भी वहां पर सम्पत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो अमरीका में अब तक कितने भारतीय लोगों ने किसी न किसी रूप में सम्पत्ति खरीदी है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सुलभ सूचना के अनुसार संयुक्त राज्य में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों पर जमीन या असली जायदाद खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि बिकवाल और खरीदार आपस में इसके लिए राजी हों ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संयुक्त राज्य में बहुत से भारतीयों की किसी-न-किसी रूप में जायदाद है, लेकिन आंकड़े सुलभ नहीं हैं ।

भारत और रूस के बीच नियमित रूप से परामर्श

5437. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के प्रधान मंत्री के साथ हुई वार्ता में यह स्वीकार किया गया था कि विदेशी मामलों पर भारत और रूस के बीच नियमित रूप से परामर्श होना चाहिये;

(ख) क्या अमरीका सरकार द्वारा भी परामर्श के लिये इसी प्रकार का सुझाव दिया गया था ; और

(ग) क्या अमरीका के उस सुझाव को भारत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी हां । सिद्धांत रूप में यह तय हो गया है कि भविष्य में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका निश्चित समयावधि पर आपस में विचार-विमर्श किया करेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्धे लोगों के कल्याण सम्बन्धी विश्व परिषद्

5438. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्धे लोगों के कल्याण सम्बन्धी विश्व परिषद् ने इस वर्ष किसी समय दिल्ली में अपना सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या अन्धे लोगों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन ने भारत में अपना सम्मेलन आयोजित करने के लिये इसी प्रकार से अनुमति मांगी थी, जो उन्हें नहीं दी गई थी और यदि हां, तो इस फेडरेशन का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) अन्धे लोगों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन को अनुमति न दिये जाने के क्या कारण थे, जबकि अन्धे लोगों के कल्याण सम्बन्धी विश्व परिषद् को इस प्रकार की अनुमति दी गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

नाथूला में तैनात सैनिक अधिकारियों को मुफ्त राशन

5439. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम-नाथूला क्षेत्र में तैनात सैनिक अधिकारियों को 1962-64 में दिये गये मुफ्त राशन के एवज में उनसे 100 रुपये प्रति मास के हिसाब से राशि मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). 1 फरवरी, 1964 से पहले सिक्किम में स्थित अफसर निःशुल्क राशन समेत फील्ड सेवा रियायतों के अधिकारी न थे । इनके स्थान पर वह सिक्किम प्रतिकर भत्ते के अधिकारी थे, जो अतिरिक्त जीवन खर्च को आवृत्त

करने के लिये उद्दिष्ट था। तदपि राशन की स्थानीय उपलब्धि में कठिनाइयों के कारण, पूर्वी कमान के मुख्यालयों ने 6 दिसम्बर, 1962 से सिक्किम स्थित अफसरों को राशन जारी करने का इस शर्त पर प्रबंध किया था, कि अगर सरकार सिक्किम स्थित अफसरों को निःशुल्क राशन जारी करने का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिये सहमत न हो, तो राशन की कीमत उनसे वसूल की जायगी।

निःशुल्क राशन की सप्लाई समेत फील्ड सेवा की रियायतें सिक्किम स्थित अफसरों के लिये केवल 1 फरवरी, 1964 से लागू की गई थीं, और उनके साथ ही सिक्किम प्रतिकर भत्ता बन्द कर दिया गया था।

तदनुसार, 6 दिसम्बर, 1962 से 31 जनवरी, 1964 तक की अवधि के दौरान सिक्किम स्थित अफसरों को जारी किये गये राशन की लागत 100 रुपये मासिक की किस्त पर उनसे वसूल की जा रही है। वसूल की जाने वाली राशि उपरोक्त दोनों तिथियों के बीच सिक्किम में अफसरों की वास्तविक रियायत के लिए 92 रुपये प्रतिमास की समान दर पर निर्धारित की गई है। वसूली की कुल राशि की संगणना करते समय अफसरों की वार्षिक छुट्टी और अस्थायी ड्यूटी का समय शामिल नहीं किया गया है।

सैनिक इन्जीनियरी सेवा में पुनर्वर्गीकरण

5440. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वर्गीकरण के आदेशों के कारण देश भर में सैनिक इन्जीनियरी सेवा के कर्मचारियों में अत्यधिक असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) क्या 25 वर्ष से अधिक आयु में भर्ती किये गये व्यक्तियों को न तो पदोन्नत किया जायेगा और न ही स्थायी बनाया जायेगा;

(ग) क्या कर्मचारी संघों ने इस आदेश के विरोध में हड़ताल करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ). स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-633/68]**

जम्मू तथा काश्मीर में सैनिक इन्जीनियरी सेवा के कर्मचारियों के लिये राशन भत्ता तथा कपड़ों की सुविधाएं

5441. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 मार्च, 1968 से जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र के एम० ई० एस० कर्मचारियों को 'फील्ड' रियायत के अन्तर्गत राशन भत्ता, कपड़ा तथा अन्य सुविधायें देना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) व्याप्त असंतोष को रोकने के लिये राशन भत्ता, कपड़ा तथा अन्य सुविधायें देना पुनः आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। जम्मू और काश्मीर क्षेत्र के जम्मू, श्रीनगर और ऊधमपुर में सेवा कर रहे (एम० ई० एस० आर्डनेंस और अन्य) असैनिक रक्षा कर्मचारियों को दी गई, फील्ड सेवा रियायतें जिनमें मुख्यतः शामिल हैं निःशुल्क राशन, निशुल्क वास्य भवन और निःशुल्क वस्त्र, कुछ हालतों में 1-3-1968 से बन्द कर दी गई हैं।

(ख) यह रियायतें इन क्षेत्र में लड़ाका सेविवर्ग को देय रियायतों के सादृश्य के कारण रक्षा कर्मचारियों को दी गई थीं। लड़ाका सेविवर्ग से इन रियायतों को वापस ले लेने पर, वह साथ-साथ असैनिक रक्षा सेविवर्ग से भी वापस ले ली गई हैं।

(ग) कुछ वैकल्पिक रियायतें प्रदान करने के लिए आदेश जारी कर दिये गए हैं, जैसे कि :

(1) सी० एस० डी० मदों के क्रय के लिये सुविधाएं, और ए० एस० सी० साधनों से नकद इशु रेट पर राशन प्राप्त करना भी।

(2) किसी पर्वतीय स्थान या 'सी' श्रेणी के नगर में सेवा कर रहे असैनिक कर्मचारियों को देय प्रतिकर (पर्वतीय) भत्ता, शिशिर भत्ता, या किराया मकान भत्ता।

व्यापारिक प्रसारण सेवाओं का विस्तार

5442. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री देवीकन : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवाओं के सलाहकार बोर्ड ने इस सेवा को सात अन्य केन्द्रों में चालू करने का हाल ही में सुझाव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो किन अतिरिक्त केन्द्रों से कार्यक्रम चालू करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित अतिरिक्त केन्द्र ये हैं :

1. कलकत्ता
2. दिल्ली
3. मद्रास

4. अहमदाबाद

5. लखनऊ—कानपुर

6. हैदराबाद और

7. बंगलौर

(ग) प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

कीनिया से भारत-मूलक लोगों का स्वदेश लौटना

5443. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कीनिया से बड़ी संख्या में भारत-मूलक लोगों के प्रस्थान के बारे में नैरोबी से सरकार को कोई सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रव्रजकों की संख्या कितनी है, इनमें से कितने प्रव्रजकों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं और कितने भारतीय राष्ट्रीयता वाले हैं ;

(ग) ये लोग कीनिया में कितने मूल्य की चल तथा अचल सम्पत्ति छोड़ कर आये हैं ; और

(घ) उनकी सम्पत्तियों को लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ऐसे अनेकों लोग, जो भारतीय मूल के हैं परन्तु जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, कीनिया छोड़कर ब्रिटेन जा रहे हैं लेकिन सम्बन्धित प्राधिकारियों ने अभी तक उनकी ठीक-ठीक संख्या निर्धारित नहीं की है । भारतीय राष्ट्रजन इस कोटि के अन्तर्गत नहीं आते ।

(ग) हमारे हाई कमीशन ने यह सूचना दी है कि भारतीय नागरिकों की आस्तियां असल में नगण्य ही हैं । वे भारतीय मूल के उन व्यक्तियों की आस्तियों पर कोई विचार व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हैं जिनकी राष्ट्रिकता विदेशी है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्यम आकार के टर्बो-प्राप विमान

5444. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मध्यम आकार के टर्बो-प्राप विमान बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड पहले से ही मध्यम आकार के टर्बो-प्राप एच० एच०-748 विमानों का निर्माण कर रहे हैं।

सिक्किम और भूटान को दी गई सहायता

5445. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत पांच वर्षों में सिक्किम और भूटान को उनकी अपनी योजनायें बनाने के लिये किस प्रकार की सहायता दी गई है ;

(ख) उक्त अवधि में इन राज्यों में मुख्य परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इन दोनों राज्यों के लिये कितना धन नियत करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत सरकार इन दोनों देशों की विकास-योजनाओं को वित्त-व्यवस्था अनुदानों और ऋणों के रूप में करती है। इसके अलावा, जब सहायता मांगी जाती है तो यह कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करके और तकनीकी सलाह देकर की जाती है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जैसे, संचार साधन, कृषि, वनपालन, शिक्षा (जिसमें भारत में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां शामिल हैं), पशुपालन, सार्वजनिक परिवहन, विद्युत-शक्ति का उत्पादन, खनिज सर्वेक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य। जब भारत सरकार से अनुरोध किया गया तो उसने समय-समय पर योजनाएं तैयार करने और प्रगति का पुनरीक्षण करने के रूप में सहायता दी।

(ख) भूटान के लिये 31 अक्तूबर, 1967 तक 15,44,59,203 रुपये। सिक्किम के लिए, 1961–1966–दूसरी योजना की अवधि में, 6,41,33,000 रुपये।

(ग) **भूटान :**

भूटान को दूसरी पंचवर्षीय योजना–अप्रैल 1966–मार्च 1971 के लिये लगभग 20 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक।

सिक्किम :

सिक्किम को तीसरी पंचवर्षीय योजना–1966-71 के लिये लगभग 9 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक।

बद्रीनाथ मन्दिर के निकट चीनी चौकी

5446. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-चीन सीमा पर अन्तिम चीनी चौकी बद्रीनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर से कितनी दूर है ;

(ख) यदि भारत और चीन के बीच अचानक युद्ध छिड़ जाये तो क्या इस चौकी से इस मंदिर तथा नगर को कोई खतरा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मन्दिर तथा नगर को बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तीर की सीध में लगभग 72 किलोमीटर ।

(ख) संकट उस क्षेत्र से अधिक या कम नहीं कि जिसमें मन्दिर स्थित है । स्पष्ट रूप से यह कहना असंभव है कि संकट है क्या ।

(ग) समग्रतः क्षेत्र की सुरक्षा का अपनी योजना में पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है ।

देश में आकाशवाणी केन्द्र

5447. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में, राज्यवार, कुल कितने आकाशवाणी केन्द्र काम कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : एक विवरण जिसमें देश में काम कर रहे रेडियो केन्द्रों के नाम दिए हुए हैं सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-634/68**]

देश के दुर्गम क्षेत्रों में आण्विक रिएक्टरों की स्थापना

5448. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसे क्षेत्रों में, जहां शत्रु के विमान सुगमता से नहीं पहुंच सकते, आण्विक रिएक्टर स्थापित करने की वांछनीयता का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). आण्विक रिएक्टरों की स्थापना मुख्य रूप से सम्बद्ध आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रख कर की जाती है । आवश्यक संयंत्रों तथा ऐसे संयंत्रों जो शत्रु की मार में आ सकते हों की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध अवश्य किया जाता है ।

प्रैशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का विकास

5449. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रैशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के विकास में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या बिजली तैयार करने के लिये भी इनका प्रयोग किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो प्रति 100 मैगावाट बिजली पर कितनी पूंजी लगेगी तथा प्रतिकिलो-वाट बिजली तैयार करने की लागत क्या होगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा-गांधी) : (क) हमने कोई ऐसा बड़ा बिजलीघर नहीं बनाया है जो प्रैशराइज्ड हैवी वाटर पर निर्भर करता हो ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रेजिडेन्ट अय्यूब खां

5450. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि माओ की विचार धारा के नमूने पर प्रेजिडेन्ट अय्यूब की विचार धारा का मुद्रण निकट भविष्य में पाकिस्तान में वितरित किये जाने के लिये किया जा रहा है ;

(ख) क्या भारत में ऐसे पत्रों का परिचालन रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत सरकार के देखने में अखबारों में ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में वितरण के लिए एक "हरी किताब" छापी गई है जिसमें राष्ट्रपति अय्यूब खां की उक्तियां दी गई हैं । यह किताब पूर्व पाकिस्तान के गवर्नर अब्दुल मोनेम खां द्वारा प्रकाशित की गई है और पूर्व पाकिस्तान सरकार के प्रेस में छपी है । बताया जाता है कि पूर्व पाकिस्तान के गवर्नर ने यह कहा है इस विचार की प्रेरणा उन्होंने चीन से ली है ।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार, यह किताब भारत में प्रचारित नहीं की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Military Training Centres

5451. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in some of the military training centres, jawans are not given all the rationed articles to which they are entitled ;

(b) if so, whether Government contemplate to appoint a committee of Members of Parliament to look into this matter ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No such Complaint has been received either by Government or by Army Headquarters.

(b) and (c). Do not arise.

मद्रास में राष्ट्रीय छात्रसेना दल

5452. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में राष्ट्रीय छात्रसेना दल को फिर से आरम्भ करने के लिये सरकार का विचार राष्ट्रीय छात्रसेना दल के महानिदेशक को मद्रास भेजने का है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ख) मद्रास सरकार की इस प्रार्थना को कार्यरूप देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल में प्रयुक्त होने वाले आदेश या तो अंग्रेजी में हों या तामिल में ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). एन० सी० सी० में कमान शब्दों की भाषा के सम्बन्ध में मद्रास सरकार के सुझाव के बारे में भारत सरकार के विचार मद्रास सरकार को बता दिए गए हैं ।

प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल एस्टेबिलिशमेंट, बालासोर

5453. **श्री स० कुण्डू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के परीक्षण लेखा-परीक्षा अधिकारियों ने प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल एस्टेबिलिशमेंट, बालासोर (उड़ीसा) की छः टन वाली एक क्रेन की मरम्मत के सम्बन्ध में 29,000 रुपये की फिजूलखर्ची के सम्बन्ध में वर्ष 1967 में एक मामले का पता लगाया था;

(ख) क्या विभागीय जांच न्यायालय को इन तथ्यों के बारे में जांच करने तथा इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने का आदेश दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कोर्ट आफ इंक्वायरी के निष्कर्ष निरीक्षणाधीन हैं ।

प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल एस्टेबिलिशमेंट, बालासोर के अधिकारी

5454. **श्री स० कुण्डू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1965 से 1 मार्च, 1968 तक की अवधि में प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल एस्टेबिलिशमेंट, बालासोर के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कितने सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूर्ण हुई है अथवा चल रही है ;

(ख) ऐसे अधिकारी कितने हैं, कौन-कौन से हैं तथा किन-किन पदों पर काम करते हैं ;

(ग) इस जांच के पश्चात् उनमें से कितने अधिकारियों की बदली बालासोर से अन्यत्र की गई है और उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या उनकी बदली के बाद से मामले समाप्त कर दिये गये हैं अथवा अभी चल रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). सी० बी० आई० ने कई अफसरों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। कई दूसरों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रगतिशील है। ऐसा विचार है कि जांचों की सम्पूर्ति से पहले सभा में विस्तार प्रकट करना वांछनीय न होगा।

प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल डिपार्टमेंट, बालासोर

5455. **श्री स० कुण्डू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पहले सरकार ने प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के आने-जाने के लिये 52 सीटों वाली एक बस की मंजूरी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच बस खरीद ली गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) नवम्बर, 1965 में सरकार द्वारा 52 सीटों वाली दो बसों के लिए स्वीकृति दी गई थी।

(ख) और (ग) . अगरचे यात्रिक बसों की बाडियों के निर्माण के लिए डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल्ज के साथ कन्ट्रेक्ट 31-10-1966 को हुआ था, बाडियों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों को गाड़ियों की चेसियों की विमुक्ति तब तक रुकी रही थी, जब तक कि चेसियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षण प्राप्त नहीं हुए थे। इन्डेम्निटी बांड प्राप्त होने पर दो चेसियां 19-2-1968 को विमुक्ति की गई थीं। बसों के जुलाई-अगस्त, 1968 तक तैयार हो जाने की आशा है।

मद्रास परमाणु बिजलीघर परियोजना का कार्यालय

5456. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि मद्रास सरकार ने लोक-सभा के लिये दक्षिण मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव के लिये 7 नवम्बर, 1967 को परक्राम्य पत्र अधिनियम के अन्तर्गत छुट्टी घोषित कर दी थी, किन्तु मद्रास परमाणु बिजलीघर परियोजना के कार्यालय में उस दिन छुट्टी घोषित नहीं की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). सब कर्मचारियों को सुबह देर से दफ्तर आने और मध्याह्न में जल्दी वापिस जाने की इजाजत दी गई थी। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 50% से अधिक कर्मचारियों को इस निर्वाचन क्षेत्र से वोट देने का अधिकार नहीं था।

1967-68 में मद्रास परमाणु बिजली परियोजना के लिये धन का नियतन तथा कर्मचारियों की संख्या

5457. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1967-68 में मद्रास परमाणु बिजली परियोजना के लिये कितनी राशि नियत की गई थी ;

(ख) इस परियोजना की लेखा शाखा तथा अन्य शाखाओं में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) यात्रा भत्ते समेत उनके वेतन तथा भत्ते क्या हैं ; और

(घ) कुल धन नियतन की तुलना में यात्रा भत्ते समेत वेतन तथा भत्तों पर होने वाले व्यय का अनुपात क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) 1.5 करोड़ रुपये।

(ख) अधिकारी 38

अकाउंट्स ब्रांच के कर्मचारी 19

अन्य कर्मचारी ... 176

(ग) लगभग 10.5 लाख रुपये

(घ) लगभग 7%

शास्त्री भवन में मद्रास परमाणु बिजली परियोजना कार्यालय

5458. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) शास्त्री भवन, मद्रास में मद्रास परमाणु बिजली परियोजना कार्यालय के लिये कुल कितना स्थान लिया गया है ;

(ख) इस समय कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) प्रति व्यक्ति कितना स्थान है ; और

(घ) इसी भवन में अन्य कार्यालयों में प्रति व्यक्ति कितना स्थान है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 10,440 वर्ग फुट

(ख) 116

(ग) और (घ). शास्त्री भवन एक बहुमंजिली इमारत है जिसमें 40 से ज्यादा सरकारी दफ्तर हैं। मद्रास परमाणु बिजली परियोजना ही एक मात्र ऐसी परियोजना है जिसका कार्यालय इस भवन में है। इस परियोजना की जरूरतें कुछ खास किस्म की हैं और उनका मुकाबला किसी आम कार्यालय की जरूरतों से नहीं किया जा सकता। अलग-अलग कार्यालयों के लिये जगह की जरूरत अलग-अलग होती है और हर दफ्तर के संगठन के तरीके, इसके काम के स्वभाव तथा इसमें जन-सम्पर्क की सीमा पर निर्भर करती है। इस परियोजना, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, के लिये कार्यालय के लिए जगह देते समय जिन जरूरतों को ध्यान में रख कर अधिक जगह देनी आवश्यक है, वे हैं : क्रय तथा स्टोर सेक्शन, नक्शे और डिजाइन तैयार करने वाले विंग तथा दूसरे संगठनों, विशेषतः परमाणु ऊर्जा विभाग के संघटक यूनिटों के अफसरों तथा प्रतिनिधियों के साथ कान्फ्रेंसें और मीटिंगें।

मद्रास परमाणु बिजली परियोजना

5459. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मद्रास परमाणु बिजली परियोजना, कलपाक्कम द्वारा इस वर्ष अब तक कुल कितने मूल्य का सामान खरीदा गया है; और

(ख) स्टोर तथा क्रय प्रभाग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर कितनी राशि खर्च हुई ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) लगभग 50 लाख रुपये के मूल्य का स्टोर या तो खरीदा जा चुका है या उसके लिए आर्डर दिया जा चुका है।

(ख) लगभग 98,000/- रुपये।

आण्विक शक्ति संस्थान, कोटा में अग्नि-कांड

5460. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा के आण्विक शक्ति संस्थान में हाल में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा अनुमानतः कितनी हानि हुई थी; और

(ग) क्या इस अग्निकांड के परिणामस्वरूप परियोजना के पूरा होने में विलम्ब होगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा स्थापित आउटडोर सब-स्टेशन में 7 मार्च, 1968 को एक मामूली अग्नि दुर्घटना हुई । आग कुछ ही मिनटों में बुझा दी गई ।

(ख) इस अग्निकांड से परियोजना की सम्पत्ति को कोई हानि नहीं पहुंची । स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी अग्निकांड के कारणों की जांच कर रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

देशी मशीनरी से परमाणु बिजलीघर की स्थापना

5461. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा में इस समय जो परमाणु बिजलीघर स्थापित किया जा रहा है, वह भारतीय इंजीनियरों द्वारा देश में निर्मित मशीनों से बनाया जा रहा है;

(ख) क्या इस संयंत्र के लिये अपेक्षित भारी जल भारत में तैयार करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा की कुल कितनी बचत की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का 200 मैगावाट क्षमता का पहला यूनिट भारतीय इंजीनियरों द्वारा कनाडा के सलाहकारों की सहायता से स्थापित किया जा रहा है । इस पर होने वाले व्यय का 60% विदेशी मुद्रा में होगा । दूसरे यूनिट पर होने वाले खर्च का केवल लगभग 40% ही विदेशी मुद्रा में होगा ।

(ख) प्रतिवर्ष 100 मीट्रिक टन भारी पानी उत्पादन करने का निर्णय किया गया है । यह भारी पानी राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट तथा भविष्य में बनने वाले बिजलीघरों के लिये आवश्यक होगा ।

(ग) प्रस्तावित भारी पानी संयंत्र, जो प्रतिवर्ष 100 मैगावाट क्षमता के पावर रिएक्टर के लिये काफी भारी पानी तैयार करेगा, पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा कुल 5 करोड़ रुपये के लगभग है । 100 मैगावाट क्षमता के एक पावर रिएक्टर के लिए जितना भारी पानी चाहिए उसका मूल्य लगभग 3.5 करोड़ रुपये होगा ।

मनीपुर घाटी में शक्तिशाली ट्रांसमीटर

5462. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर घाटी में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव थोड़े समय के लिये रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मनीपुर में राष्ट्रीय छात्र सेना दल पर व्यय

5463. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 और 1967-68 में राष्ट्रीय छात्र सेना दल पर केन्द्रीय सरकार तथा मनीपुर सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया है; और

(ख) इस समय राष्ट्रीय छात्र सेना दल में कितने कैडेट हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) 1966-67 और 1967-68 के दौरान मणिपुर सरकार द्वारा एन० सी० सी० पर किया गया खर्च क्रमशः लगभग 3.71 लाख रुपये और 3.13 लाख रुपये रहा है । केन्द्र में ऐसे खर्च का अलग हिसाब नहीं रखा जाता । तदपि, इन दो वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया गया बजटशुदा खर्च है क्रमशः 4.61 लाख रुपये और 3.05 लाख रुपये ।

(ख) इस समय मणिपुर में एन० सी० सी० छात्रों की जनशक्ति 6724 है ।

मनीपुर में सीमावर्ती सड़कें

5464. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के संघ राज्य-क्षेत्र में कितनी सीमावर्ती सड़कें बनाई जा रही हैं तथा उन सड़कों का ब्योरा क्या है ;

(ख) इन सड़कों के निर्माण के लिये मनीपुर सरकार को अब तक कितनी राशि दी गई है तथा यह राशि किस-किस तारीख को दी गई है; और

(ग) सड़कों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) निम्न दो सड़कें जो मणिपुर राज्य की सीमा में हैं, सीमा सड़क विकास बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल हैं :

(1) सिलचर-इम्फल सड़क का जीरीबम-इम्फल भाग (लगभग 150 मील) ।

(2) ऐजल-तुपैमुख-इम्फल सड़क का तुपैमुख-इम्फल भाग (लगभग 95 मील) ।

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित दोनों सड़कों में से किसी के निर्माण पर सीमा सड़क विकास बोर्ड के बजट से कोई खर्च नहीं किया गया है । तदपि, जीरीबम-इम्फल सड़क के सर्वेक्षण पर 44,000 रुपये खर्च किए गए हैं । अन्त जनवरी, 1968 तक मणिपुर सरकार द्वारा जीरीबम-इम्फल सड़क पर कुल 2.47 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं ।

(ग) जीरीबम-इम्फल सड़क पर निर्माण कार्य प्रगतिशील हैं। अब तक निम्न निष्पत्ति की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं :

तल कटाई (16 फुट) वर्तमान समेत	131 मील
सोलिंग तथा मेटलिंग	21 मील

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र सेना दल पर व्यय

5465. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्र सेना दल पर केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है; और

(ख) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). 1966-67 और 1967-68 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एन० सी० सी० के लिए बजटशुदा खर्च क्रमशः 71.89 लाख रुपये और 73.90 लाख रुपये था। इन दो वर्षों में मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार का अनुमानित खर्च था क्रमशः 72.36 लाख रुपये और 59.35 लाख रुपये। इस मामले में भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार के प्रतिकर का प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में प्रतिरक्षा प्रधान उद्योग

5466. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में प्रतिरक्षा प्रधान कोई उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिये, कि मध्य प्रदेश में ऐसा उद्योग कहां तक उपयुक्त होगा, कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश में पहले से चल रहे 3 कारखानों के अतिरिक्त, जबलपुर में एक विहीकल फैक्टरी स्थापनाधीन है।

(ख) और (ग). विभिन्न संगत तथ्यों के अध्ययन के पश्चात् ही फैक्टरी के स्थान के लिए निर्णय लिया गया था।

श्रीलंका तथा अन्य देशों में निरुद्ध भारतीय लोग

5467. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि वीजा की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने तथा अवैध आप्रवास के संदेह में श्रीलंका तथा अन्य देशों में इस समय कितने भारतीय निरुद्ध हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : बर्मा में कोई 60 भारतीय आप्रवास संबंधी अपराधों के लिए नजरबन्द हैं और 27 भारतीय श्रीलंका में वीजा अवधि से अधिक निवास के लिए और कोई 180 इसलिए नजरबंद हैं कि उन पर अवैध आप्रवास का संदेह किया जाता है।

बताया जाता है कि 3 भारतीय यूनाइटेड किंगडम में निर्धारित अवधि से ज्यादा रहने के लिये जेल में बन्द हैं, उन्हें वापस भेजा जाना है। अन्य देशों में इस अपराध के लिए कोई भारतीय नजरबन्द नहीं है।

एक सूचना अधिकारी की मृत्यु

5468. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो आदिवासियों के एक दल के साथ यात्रा कर रहे एक सूचना अधिकारी हाल में रेलवे के डिब्बे में मृत पाये गये ;

(ख) क्या उनकी मृत्यु के कारणों की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के एक अधिकारी, श्री एन० एस० वेन्कोबाराव की रेलगाड़ी में तब मृत्यु हो गई जब कि वे एक गैर-सरकारी अधिकारियों के दल के साथ सिलचर जा रहे थे।

(ख) जी, हां।

(ग) सिलचर के सहायक सर्जन, जिन्होंने सिलचर के सिविल हस्पताल में पोस्ट मार्टम किया था, के अनुसार मृत्यु का वास्तविक कारण पता न लग सका परन्तु निष्कर्ष से यह मालूम पड़ता है कि उनको दिल की बीमारी (कोरोनरी थ्रोम्बोसिस) थी।

नई दिल्ली में चीनी राजनयिक

5469. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 मार्च, 1968 को चीनी राजनयिक को जब वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा दूरभाष पर बुलाया गया, तो उसने किसी न किसी बहाने से दूरभाष पर बात करने से इन्कार कर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं । चीन के कार्यनायक 8 मार्च को विदेश मंत्रालय आए थे । लेकिन, 7 मार्च को उन्हें समय सुझाया गया था उसे अस्वीकार करके उन्होंने असहयोगी रवैया अपनाया ।

(ख) अपने प्रत्यायन के देश की सरकार के काम को वरीयता न देकर, चीन के कार्यनायक ने सामान्य राजनयिक व्यवहार की अवहेलना की है । चीनी अधिकारियों को यह बता दिया गया है कि भारत सरकार चीनी कार्यनायक के आचार को बहुत गम्भीर समझती है । इस मामले में इस कार्यनायक को भी खासतौर पर चेतावनी दे दी गई ।

पाकिस्तानी उच्च आयोग का विरोध पत्र

5470. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 मार्च, 1968 को पाकिस्तानी उच्च आयोग के कुछ अधिकारियों के साथ पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा किये गये बर्ताव के विरुद्ध नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग ने सरकार को विरोध-पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). हमारी पूछताछ से पता चलता है कि पाकिस्तान के हाई कमीशन के आरोप मनगढ़ंत और निराधार थे क्योंकि पालम हवाई अड्डे पर 5 मार्च, 1968 को, या किसी और समय ही, हमारे हवाई अड्डे के, अथवा कस्टम के किसी कर्मचारी ने पाकिस्तानी कर्मचारियों के साथ रूखा बर्ताव नहीं किया था ।

वाणिज्यिक विज्ञापनों के एजेंट

5471. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों अथवा फर्मों के नाम तथा उनकी नियुक्ति की तारीखें क्या हैं, जिन्हें आकाशवाणी के वाणिज्यिक सेवा के लिये विज्ञापन प्राप्त करने तथा/अथवा विज्ञापन बुक करने का अधिकार दिया गया है;

(ख) ये नियुक्तियां किन शर्तों पर की गई हैं;

(ग) ये नियुक्तियां किस तरीके से की गई हैं; और

(घ) क्या एजेंटों की नियुक्ति के लिये आये किसी आवेदन-पत्र को नामंजूर किया गया है और यदि हां, तो किन आधारों पर ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन व्यक्तियों या फर्मों के नाम तथा उनकी नियुक्ति-पत्रों की तारीखें दी हुई हैं, जिन्हें आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवा के लिए इस समय विज्ञापन बुक करने का अधिकार दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-635/68]**

(ख) नियुक्तियों की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :

(1) एजेंसी एक अच्छा साज सज्जा युक्त कार्यालय रखेगी और इस बात का पूरा प्रयत्न करेगी कि उसके द्वारा दिये जाने वाले सभी विज्ञापन विधिसम्मत, स्वच्छ, ठीक और सत्ययुक्त हों।

(2) विज्ञापन देने के लिए एजेंसी का पारिश्रमिक 15 प्रतिशत के स्टैंडर्ड एजेंसी कमीशन के रूप में होगा।

(3) एजेंसी वह सारा कमीशन और पारिश्रमिक रखेगी जो वह एक विज्ञापन एजेंसी के रूप में अर्जित करेगी और वह किसी भी समय ऐसे कमीशन या पारिश्रमिक का कोई अंश किसी भी विज्ञापनकर्त्ता या किसी भी विज्ञापनकर्त्ता के एजेन्ट को नहीं देगी जिसके लिए वह विज्ञापन एजेंसी के रूप में काम कर रही हो या किया हो।

(4) एजेन्सी किसी भी विज्ञापनकर्त्ता से किसी भी विज्ञापन के समय के लिये वाणिज्यिक प्रसारण सेवा द्वारा निश्चित दरों से कम या अधिक नहीं लेगी।

(5) एजेन्सी वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के बिलों का वाणिज्यिक प्रसारण सेवा द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों और उसके द्वारा निर्धारित की गई अवधि के अन्दर-अन्दर भुगतान करेगी और यदि वाणिज्यिक प्रसारण सेवा की राय में एजेन्सी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल रहती है तो उसकी एजेन्सी समाप्त की जा सकेगी।

(ग) विज्ञापन एजेन्टों/एजेन्सियों की नियुक्ति सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच करने के लिये गठित एक विशेष समिति की सिफारिश पर मंजूर की जाती है।

(घ) एक आवेदन पत्र नामंजूर किया गया क्योंकि फर्म का वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के साथ काम बुक करने योग्य नहीं समझा गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि आवेदनकर्त्ता को विज्ञापन के क्षेत्र में अनुभव नहीं था न ही वह अच्छे स्तर का विज्ञापन एजेन्ट था।

भारतीय वायु सेना द्वारा इटली से हिस्पानों कार्तूसों की खरीद

5472. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना के उन अधिकारियों तथा असैनिक कर्मचारियों के नाम और पदनाम क्या हैं, जिनके द्वारा 1953-54 में इटली से 20 एम एम हिस्पानों कार्तूसों की खरीद में सरकार को धोखा दिये जाने के मामले में उनके विरुद्ध जांच कराई गई थी या जिनका कोर्ट-मार्शल किया गया था;

(ख) इन अधिकारियों अथवा असैनिक कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) इस मामले में अन्तर्ग्रस्त कितने अधिकारी अभी भी प्रतिरक्षा सेनाओं में या अन्य सरकारी सेवा में हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). स्विटजरलैंड की एक फर्म से 20 एम एम अम्यूनीशन के क्रय से सम्बन्धित परिस्थितियों और इससे संलग्न मामलों की जांच की गई थी, और अन्त में सरकार ने फरवरी, 1969 में तत्कालीन विधि उपमंत्री की अध्यक्षता में इस मामले की छानबीन के लिये एक कमेटी नियुक्त की थी। कई सेवाओं के तथा असैनिक अफसरों के विरुद्ध कुछ आरोपों की भी कमेटी द्वारा जांच की गई थी। कमेटी की रिपोर्ट का निरीक्षण किया गया था, और ऐसा विचार किया गया था कि वायु सेना के किसी अफसर या किसी असैनिक अफसर के विरुद्ध इस सौदे के संबंध में किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

इटली की किसी फर्म से 1953-54 में 20 एम एम एम्यूनिशन नहीं खरीदा गया था।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

5473. **डा० रानेन सेन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने टेलीविजन ट्रांसमिशन उपकरण तथा टेलीविजन रिसीवरों के कुछ पुर्जे बनाने के लिये जापान की फर्म निपेज के साथ सहयोग करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). टी० वी० चित्र ट्यूबों के निर्माण के लिये सहयोग निमित्त भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड विदेशी फर्मों से बातचीत कर रहें हैं—उनमें से एक हैं जापान के सर्वश्री निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी।

Talks between Officials of Atomic Energy Commission and U. S. Atomic Energy

5474. **Shri Nihal Singh :** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Starrred Question No. 15 on the 13th November, 1967 and state :

(a) whether the conclusions drawn at the talks between the United States Atomic Energy Officials and the Indian Atomic Energy Commission have since been studied by the latter ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). A Working Group constituted by the Indian Atomic Energy Commission is studying the implications of an agro-indusrial complex around low cost nuclear energy centres. The study has not yet been completed.

कीनिया के प्रेजिडेन्ट का वक्तव्य

5475. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कीनिया के दैनिक समाचार पत्र 'डेली नेशन' में प्रकाशित हुए कीनिया के राष्ट्राध्यक्ष जोमो केन्याटा के भाषण के समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि मिस्टर केन्याटा ने कहा है कि "यह जानते हुये भी कि भारत और पाकिस्तान में जनसंख्या बहुत अधिक है तथा वहां लोग टिड्डी दल की तरह हैं और उनके सामने खाद्य की कमी की विकट समस्या है, मैंने यह निर्णय किया है कि कीनिया में एशियाई लोग अपना बोरिया विस्तरा बांध कर ब्रिटेन चले जायें"; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कीनिया सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना-मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ; हमारे हाई कमिश्नर ने कीनिया के विदेश कार्यालय से राष्ट्रपति केन्याटा की टिप्पणी का आधिकारिक पाठ मांगा था, लेकिन उन्हें बताया गया कि 'इस प्रकार' का कोई बयान नहीं दिया गया है ।

(ख) इसलिए विरोध प्रकट करने का प्रश्न नहीं उठता ।

'नाइट इन लन्दन' फिल्म का प्रदर्शन

5476. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नाइट इन लन्दन' नामक फिल्म में कैबरे नृत्य तथा कैन कैन नृत्य दिखाये गये हैं, जिनका प्रदर्शन विदेशों में नाबालिगों के लिये निषिद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इसका अप्रतिबंधित प्रदर्शन करने देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस फिल्म को दोबारा सेंसर करने के लिये फिल्म सेंसर बोर्ड को कहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 'नाइट इन लन्दन' नामक फिल्म में कुछ कैबरे नृत्य के दृश्य हैं। कैबरे नृत्य में प्रविष्टि के नियम देश-देश के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। कुछ देशों में 18 वर्ष की आयु से कम के युवकों को कैबरे नृत्य गृहों में जहां शराब आदि दी जाती है, जाने की मनाही है। जहां शराब आदि नहीं दी जाती वहां ऐसी मनाही नहीं है।

(ख) फिल्म 'नाइट इन लन्दन' को उसमें से वे दृश्य निकालने के बाद प्रमाणित किया गया है, जो केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा इस विषय पर अनुदेशों की दृष्टि से आपत्तिजनक पाए गए।

(ग) जी, नहीं।

परमाणु खनिजों का आयात तथा निर्यात

5476क. **श्री समर गुह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत से अशोधित यूरेनियम और थोरियम का निर्यात किया जाता है और यदि हां, तो प्रति वर्ष इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है तथा उसका मूल्य कितना है ;

(ख) क्या भारत खण्डनीय यूरेनियम थोरियम तथा प्लुटोनियम का आयात बाहर से करता है और यदि हां, तो प्रति वर्ष ऐसे परमाणु खनिज कितनी मात्रा में आयात किये जाते हैं तथा उनका मूल्य कितना होता है ;

(ग) क्या भारत ने स्वदेशी यूरेनियम और थोरियम को शुद्ध करने तथा उनके हल्के आइसोटोपों को अलग करने की विधि विकसित की है ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये किन विधियों को अपनाया जाता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) थोरियम और प्लुटोनियम का आयात नहीं किया गया है।

सन् 1967 से तारापुर परमाणु बिजलीघर और राजस्थान परमाणु विद्युत प्रायोजना के लिये क्रमशः 10 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से लगभग 80 मीट्रिक टन समृद्ध यूरेनियम और 1 करोड़ 5 लाख की लागत से 28 मीट्रिक टन यूरेनियम आक्साइड निर्यात किया गया है।

(ग) से (ङ). भारत ने यूरेनियम और थोरियम को शुद्ध करने की प्रणालियों का विकास किया है। ये सामान्य विलायक निस्सारण प्रणालियां हैं।

यूरेनियम और थोरियम से हल्के आइसोटोपों को अलग करने की विधियों का विकास नहीं किया गया है क्योंकि भारत का आगामी न्यूक्लीय बिजली कार्यक्रम प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित है और समृद्ध यूरेनियम पर नहीं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिमी बंगाल के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"पश्चिमी बंगाल के प्राइमरी स्कूलों के लगभग 900 अध्यापकों द्वारा 25 मार्च, 1968 को दिल्ली में किया गया प्रदर्शन।"

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल अध्यापक संघ की ओर से एक प्रतिनिधिमण्डल 23 मार्च, 1968 को मुझे मिला था और उसने भारत के राष्ट्रपति को जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है उसमें दिये गये विभिन्न विषयों के बारे में मुझसे बातचीत की थी। बातचीत के समय दो संसत्सदस्य सर्वश्री भूपेश गुप्त और निरेन घोष प्रतिनिधिमण्डल में शामिल थे। मैंने ज्ञापन-पत्र का अध्ययन कर लिया है। उसमें कुछ मसले राजनीतिक हैं तथा बहुत से प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में हैं।

यह सही है कि पश्चिमी बंगाल में प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था में बहुत सी खामियां हैं तथा निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा की सुविधायें ज्यादातर शहरी क्षेत्र में और विशेषकर कलकत्ता में हैं। इसका एक कारण तो यह है कि पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में प्राइमरी शिक्षा को जितनी वरीयता दी जानी थी उतनी नहीं दी गई है दूसरे विस्थापित व्यक्तियों के बड़ी मात्रा में आने के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी। इन खामियों को दूर करने के लिये प्राइमरी शिक्षा के लिये आवर्ती व्यय में काफी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और यह केवल तभी सम्भव होगा जब क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

जहां तक प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाने का सम्बन्ध है पश्चिम बंगाल सरकार ने एक वेतन आयोग नियुक्त किया है जिसका प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है। महंगाई भत्ता बढ़ाने की समस्या पर भी विचार किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के

लिये सेवानिवृत्ति के संशोधित लाभों के बारे में अब आदेश जारी कर दिये गये हैं। अन्य खामियों को दूर करने के उपाय पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान से सुना है। चाहे माननीय मंत्री शिक्षाशास्त्री हैं और उन्होंने अपना आधा जीवन पश्चिम बंगाल में व्यतीत किया है परन्तु फिर भी मैं देखता हूं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के प्रति सहानुभूति प्रगट नहीं की है। मैं प्रश्न पूछने से पहले सारी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में शिक्षा आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रही है। पश्चिम बंगाल के लगभग 15,430 गांवों में कोई भी स्कूल नहीं है। वहां पर प्राइमरी शिक्षा की सुविधायें केवल 6 से 10 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों के लिये की गई हैं। वहां पर नगरीय क्षेत्रों में लड़कों के लिये शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य भी नहीं है जबकि आंध्र प्रदेश और मद्रास में शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क है। पश्चिमी बंगाल में केवल 70.57 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं जबकि केरल में लगभग शत प्रतिशत। जनसंख्या के अनुपात से प्राइमरी स्कूल नहीं खोले गये हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता के लिये कोई प्राइमरी शिक्षा अधिनियम भी नहीं बनाया है।

जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है केवल 38 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षण-प्राप्त हैं। उनको पुलिस के कांस्टेबल से भी कम वेतन मिलता है। उनका महंगाई भत्ता केवल 28 रुपये है जबकि वह केन्द्रीय सरकार के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को 67 रुपये मिलता है। आर्थिक संकट के कारण अध्यापकों ने आत्म-हत्या भी की है। इन परिस्थितियों में मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल की कांग्रेस सरकार ने क्या किया है।

डा० त्रिगुण सेन : मुझे इस बात का खेद है कि मुझ पर सहानुभूति न करने का आरोप लगाया गया है। मेरे पर यह भी आरोप लगाया गया है कि ज्ञापन-पत्र में उठाये गये प्रश्नों का मैंने उत्तर नहीं दिया है। परन्तु जैसे मैं पहले कह चुका हूं ऐसे बहुत से प्रश्न राजनीतिक प्रश्न थे जिनका उत्तर देना मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। दूसरे, शिक्षा राज्यों का विषय है। हम तो केवल मंत्रणा और सहायता ही दे सकते हैं। तथापि हम चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी शिक्षा को वरीयता देंगे।

श्री समर गुह (कंटाई) : अध्यापक राष्ट्र के निर्माता होते हैं। अतः यह बड़े खेद की बात है कि उनकी अवहेलना की जा रही है। विशेषकर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की दशा तो दयनीय ही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राजनीतिक प्रश्न उठाये गये थे परन्तु मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है तथा उनका ध्येय केवल अपनी दशा में सुधार करना है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अपने दोनों सुझावों, अर्थात् प्राइमरी शिक्षा समवर्ती विषय होना चाहिये दूसरे राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड बनाया जाना चाहिये, को कार्यान्वित करेंगे। उपर्युक्त संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकार पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की श्रेणियों को समाप्त करने के लिये दबाव डालेगी, क्या प्राइमरी शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया जायेगा, क्या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जायेगा, क्या प्राइमरी

स्कूल के अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा दी जायेगी तथा क्या प्राइमरी शिक्षकों की सेवायें प्रौढ़ शिक्षा के लिये प्रयोग में लाई जायेंगी ।

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठायें हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिये मैं सदा राज्य सरकार से अनुरोध करता आ रहा हूं । मैंने उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये उन्हें मार्गोपाय भी बताये थे ।

चूंकि शिक्षा राज्यों का विषय है इसलिये हम प्राइमरी शिक्षा के लिये उन्हें कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं । बहुत से राज्यों ने इन सुझावों को कार्यान्वित कर लिया है । हम अपनी ओर से यथासम्भव कार्यवाही कर रहे हैं ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

वर्ष 1968-69 के लिये दामोदर घाटी निगम के बजट अनुमान

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1968-69 के बजट अनुमानों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-627/68]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा को हरयाणा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1968 के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा 20 मार्च, 1968 को पास किया गया था, लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि राज्य सभा को हरयाणा विनियोग विधेयक, 1968 के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा 20 मार्च, 1968 को पास किया गया था, लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(तीन) कि राज्य सभा को पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1968 के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा 22 मार्च, 1968 को पास किया गया था, लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(चार) कि राज्य सभा को पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक, 1968 के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा 22 मार्च, 1968 को पास किया गया था, लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

पच्चीसवां प्रतिवेदन

Shri Hardayal Devgun (East-Delhi): Sir, I beg to present the Twenty-fifth Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions

---

अनुदानों की मांगें (गृह-कार्य) 1968-69
DEMANDS FOR GRANTS (HOME AFFAIRS) 1968-69

अव्यक्ष महोदय : अब सभा में गृह-कार्य मंत्रालय की मांग संख्या 38 से 52, 117 और 118 पर विचार और मतदान होगा । इसके लिये 8 घंटे नियत किये गये हैं । जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे 15 मिनट के अन्दर लिख कर भेज दें ।

वर्ष 1968-69 के लिये गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
38	गृह-कार्य मंत्रालय	1,24,05,000
39	मंत्रिमण्डल	55,86,000
40	न्याय प्रशासन	2,11,000
41	पुलिस	37,94,22,000
42	जनगणना	1,09,58,000
43	अंक-संकलन	2,94,82,000
44	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	1,31,000
45	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशने	15,63,000

1	2	3
46	दिल्ली	31,12,89,000
47	चण्डीगढ़	4,98,17,000
48	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,96,87,000
49	आदिम जाति क्षेत्र	20,56,51,000
50	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	46,93,000
51	लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीन द्वीप समूह	89,92,000
52	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,95,40,000
117	संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी-परिव्यय	19,72,95,000
118	गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	62,62,000

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं की इन मांगों पर वरीयता नहीं दी जानी चाहिये । उन मांगों के लिये आठ घंटे नियत किये गये हैं उन पर उस समय चर्चा की जा सकती है । अब श्री पोलु मोडी बोलेंगे ।

श्री पोलु मोडी (गोधरा) : यह बड़े दुख की बात है कि मुझे गृह मंत्रालय की खामियों की निन्दा करनी पड़ रही है। इस मंत्रालय का बजट तो बढ़ गया है । परन्तु सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है । हम देखते हैं कि कार्यकुशलता कम हो गई है । सारा देश चाहता है कि प्रशासनिक खर्च में कमी की जानी चाहिये परन्तु हम देख रहे हैं कि मंत्रालय में संयुक्त सचिवों, उप सचिवों आदि की संख्या बढ़ा दी गई है । हम देख रहे हैं कि मंत्रियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है । मेरा निवेदन यह है कि मंत्रियों की संख्या में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये । दल के लोगों को प्रसन्न करने के लिये उन्हें मंत्री बनाना देश के साथ उपहास करना है । मंत्रियों की संख्या पर कानूनी तौर पर सीमा लगा दी जानी चाहिये ।

गृह मंत्री ने लगभग 55.53 करोड़ रुपये की मांग की है । परन्तु समाचारपत्रों को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि गृह मंत्रालय हमारे देश में है ही नहीं । गृह मंत्रालय देश में दंगे, छात्रों में असंतोष, हड़ताल, घेराव, तस्करी तथा चोर बाजारी को नहीं रोक सका है । वास्तव में ये सभी चीजें बढ़ रही हैं । हम कभी नहीं देखते कि बड़े-बड़े अपराधियों को दण्ड दिया गया हो । जब कभी प्रश्न उठाया जाये तो कह दिया जाता है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि यही बात है तो गृह मंत्री और मंत्रालय फिर किस लिये हैं ।

राजस्थान के सम्बन्ध में गृह मंत्री ने कहा कि बहुमत को तब तक सरकार बनाने से वंचित रखना सही है जब तक कि अल्पमत बहुमत को खरीद नहीं लेते ।

हरियाना में क्रय-विक्रय होता रहा और अन्त में अस्थिरता के आधार पर सरकार को बर्खास्त कर दिया गया ।

पश्चिम बंगाल में वैध कारणों के होने पर भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया और राष्ट्रपति-शासन लागू नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस जनमत का सामना करने की स्थिति में नहीं है ।

पहले संविधान के अनुच्छेद 356 का दर्जनों से अधिक बार प्रयोग किया गया है । गत वर्षों में राष्ट्रपति-शासन की उद्घोषणा और उसकी समाप्ति से कांग्रेस को लाभ ही हुआ है । लगता है कि अनुच्छेद 356 कांग्रेस दल की आवश्यकताओं के उपयुक्त बनाया गया है ।

पिछले 20 वर्षों में हमने देखा है कि हमारे देश में राजनीति का स्तर गिर रहा है, सत्ता के लिए लालच बढ़ रहा है । इससे भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा अवसरवाद बढ़ रहा है । दल बदलने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है । इन सब बातों के लिए केवल कांग्रेस जिम्मेदार है ।

सत्तालोलुपता के नशे के कारण जनता के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई है । बहुमत के आधार पर प्राप्त राजनीतिक सत्ता से संतुष्ट न होकर उन्होंने न्यायिक शक्ति और न्यायिक स्वतंत्रता में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है लेकिन उनकी भूख तब तक शांत नहीं होगी जब तक कि आर्थिक शक्ति भी उन्हें प्राप्त न हो जाये । इस प्रकार समाजवाद और जनता के नाम पर उन्होंने परमिट, लाइसेन्स और कोटा प्रणाली पर आधारित पंचवर्षीय योजनाओं में हमें उलझा दिया है ।

कांग्रेस सत्ता, धन और संरक्षण चाहती है और पिछले दस वर्षों में कांग्रेस ने विपुल धनराशि जमा करली है । कांग्रेसजनों ने पिछले 20 वर्षों में जो धनराशि जमा की है यदि वे उसे राजकोष में डाल दें तो हम अपने विदेशी ऋणों का भुगतान कर सकते हैं, राष्ट्रीय ऋण कम कर सकते हैं और चौथी योजना आरम्भ कर सकते हैं ।

जहां तक भाषा विवाद का प्रश्न है, इसके लिए हमें सामान्य देवनागरी लिपि बनानी चाहिये । लेकिन यह सामान्य भाषा की दिशा में केवल पहला कदम हो सकता है और भाषा विवाद अगली पीढ़ियों पर छोड़ दिया जाना चाहिये ।

जिस समय अंग्रेज यहां से गये, उस समय हमने विदेशों से भारी रकम लेनी थी लेकिन अब हमारे ऊपर लगभग 6000 करोड़ रुपये का कर्जा है । इसके अलावा, उस समय हमारी प्रशासनिक सेवा पहले दर्जे की थी लेकिन इसमें राजनीतिज्ञों के घुस आने और बेहद विस्तार के कारण इस समय इसमें रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अकुशलता का बोलबाला है ।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमने प्रगति की है लेकिन हमने अपेक्षित प्रगति नहीं की है । लेकिन प्रगति की परीक्षा यह है कि हम कठिनाई का सामना कैसे करते हैं ।

गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाये रखना है। देश में कानून और व्यवस्था इतनी खराब पहले कभी नहीं थी जितनी की इस समय है। इसलिए गृह मंत्रालय की मांगें रद्द की जानी चाहियें।

श्री ब्रह्म प्रकाश (बाहरी दिल्ली) : पिछला वर्ष बड़ा कठिन वर्ष रहा और कई समस्यायें पैदा हुईं। लेकिन मंत्री महोदय ने उन्हें हल करने के लिये सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने समाधान ढूंढने में बड़ा साहस दिखाया है।

भाषा विवाद बड़ा जटिल है। निस्संदेह हमने इसे आंशिक रूप से हल करने का प्रयास किया है लेकिन पूरे समाधान के लिए काफी कुछ करना बाकी है, जिससे देश की अखण्डता ज्यों की त्यों बनी रहे। इसमें हिन्दी समर्थकों की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें अधिक सहनशील होना चाहिये और इस समस्या को ऐसे ढंग से हल करने में पूरी सहायता देनी चाहिये जिससे अहिन्दी भाषी लोग पूरी तरह संतुष्ट हों।

असम और नागालैण्ड की समस्यायें भी हल करनी होंगी। इसका सैनिक हल कभी नहीं हो सकता। इसे भी भाषा समस्या की तरह हल किया जाये। हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिये कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को यह संतोष हो कि सम्पूर्ण देश उनके साथ है और उनके विकास और प्रगति में वह उन्हें सहयोग देगा।

अल्पसंख्यकों के हितों, उनकी भाषा तथा संस्कृति के लिए कांग्रेस दल ने काफी काम किया है। लेकिन देश में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पुराने ढंग से सोचते हैं। यदि कोई दल या वर्ग ऐसा रवैया अपनाता है जो अल्पसंख्यकों के हितों के प्रतिकूल है तो गृह-मंत्री को उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा पीठासीन हुईं**
Shrimati Lakshmikantamma in the Chair]

श्री ब्रह्म प्रकाश : दिल्ली की अनेक समस्यायें हैं जिन्हें हल करना होगा। 1912 से, जब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था, सभी प्रशासनों ने दिल्ली की समस्या के साथ खिलवाड़ किया और कोई सही और संतोषजनक हल नहीं ढूंढा। पिछले 15 वर्षों में हमने कुछ अच्छी नीतियां बनाईं। लेकिन जनसंघ ने, जो इस समय दिल्ली प्रशासन का भारसाधक है, उन्हें तिलांजलि दे दी है। उदाहरण के तौर पर हमने गन्दी बस्ती हटाने की नीति बनाई थी लेकिन

इसे ताक पर रख दिया गया है। इसके अलावा, भूमि अर्जन के सम्बन्ध में एक नीति बनाई गई थी और यह निश्चय किया गया था कि खेती की कुछ भूमि अर्जित नहीं की जायेगी। उस फैसले को भी रद्द कर दिया गया है और हजारों एकड़ कृषि भूमि का अर्जन किया जा रहा है।

दिल्ली के प्रशासनिक और राजनीतिक संकट को समाप्त करने के लिए भारत सरकार और गृह-मंत्रालय को कदम उठाने चाहियें। यदि वे चाहें तो नई दिल्ली को राजधानी के रूप में अपने अधिकार में ले सकते हैं लेकिन बाकी दिल्ली का पूरा राज्य बनाया जाना चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो अधिकारियों में झगड़ा चलता रहेगा।

कुछ समय पूर्व पुलिस में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई थी और पुलिस वालों के विरुद्ध कुछ मामले विचाराधीन थे। गृह-कार्य मंत्री को पुलिसवालों को क्षमा प्रदान करने के बारे में विचार करना चाहिये।

दिल्ली पुलिस में भर्ती के बारे में यह कहा जा रहा है कि दिल्ली के आसपास क्षेत्र से भर्ती नहीं की जा रही है। यदि ऐसी बात है तो यह दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की जनता के साथ बड़ा अन्याय है, क्योंकि दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों के लोग पुलिस में भर्ती होना चाहेंगे।

जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, इसे अब संघीय राज्य क्षेत्र नहीं बनाये रखना चाहिये। इसे पूरे राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये।

गृह मंत्री को भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां और विशेषाधिकार समाप्त करने के बारे में कठोर कार्रवाही करनी चाहिये।

वर्ष 1968-69 की गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
31	31	श्री रामावतार शास्त्री	प्रशासनिक सुधार की नीति को जनोन्मुख नीति के रूप में निर्धारित करने में असफलता।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय
	32	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली बाढ़ समन्वय समिति द्वारा बाढ़ रोकने के लिये सफल योजना तैयार करने में असफलता।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय
	33	श्री रामावतार शास्त्री	उच्च अधिकारियों की संख्या में कमी करने में असफलता।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
	34	श्री रामावतार शास्त्री	अधिकारियों के वेतन को अधिक से अधिक 1000 रुपया प्रति मास तक सीमित करने में असफलता।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय
	35	श्री रामावतार शास्त्री	अधिकारी-बोझिल प्रशासन को समाप्त करने में असफलता।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय
39	40	श्री रामावतार शास्त्री	मन्त्रिमण्डल पर हो रहे व्यय में कमी करने में असफलता।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय
40	43	श्री रामावतार शास्त्री	सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध करने में असफलता।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय
	52	श्री रामावतार शास्त्री	किसानों, मजदूरों, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों तथा जन-साधारण के आन्दोलनों को कुचलने में पुलिस का प्रयोग करना।	100 रुपये
	53	श्री रामावतार शास्त्री	पूंजीपतियों तथा जमींदारों की रक्षा करने में पुलिस का प्रयोग करना।	100 रुपये
	54	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग जन-आन्दोलनों को कुचलने में करने से रोकने में असफलता।	100 रुपये
	55	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को पश्चिम बंगाल की जनता का क्रूरता से दमन करने की छूट देना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
	56	श्री रामावतार शास्त्री	पश्चिम बंगाल में जन-आन्दोलनों को कुचलने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग करना ।	100 रुपये
	57	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस द्वारा किये जाने वाले दमन को रोकने में असफलता।	100 रुपये
	58	श्री रामावतार शास्त्री	खुफिया पुलिस विभाग का असंतोषजनक कार्य ।	100 रुपये
	59	श्री रामावतार शास्त्री	गल्ला चोरों और मुनाफा-खोरों को पकड़ने या उनका पता लगाने में खुफिया पुलिस की असफलता ।	100 रुपये
	60	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय खुफिया विभाग की पुलिस द्वारा राज-नैतिक कार्यकर्त्ताओं, विशेष-कर प्रगतिवादी विरोधी दलों के कार्यकर्त्ताओं का पीछा किया जाना ।	100 रुयये
	61	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे स्टेशनों पर खुफिया पुलिस द्वारा विरोधी दलों के संसद्-सदस्यों के आने-जाने की जानकारी देने के लिये रेल कर्मचारियों को बाध्य करना ।	100 रुपये
	62	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में असफलता ।	100 रुपये
41	63	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय जांच ब्यूरो का असंतोषजनक कार्य ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
41	64	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस अधिकारियों के वेतन में कमी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
41	65	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस सिपाहियों को जनता का सेवक बनाने में असफलता ।	100 रुपये
41	66	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस के अक्षुण अधिकारों को नियंत्रित करने में असफलता ।	100 रुपये
41	67	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस संहिता में परिवर्तन करने में असफलता ।	100 रुपये
41	68	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस सिपाहियों की दिक्कतों को दूर करने में असफलता ।	100 रुपये
41	69	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली पुलिस सिपाहियों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर उनके असंतोष को दूर करने में असफलता ।	100 रुपये
41	70	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली पुलिस को दमन का शिकार बनाने की नीति में परिवर्तन करने में असफलता ।	100 रुपये
41	71	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस सिपाहियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
41	72	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस अफसरों के नौकरशाह रवैये में परिवर्तन करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
41	73	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस का इस्तेमाल गल्लाचोरों, चोरबाजारियों, मुनाफाखोरों, समाज-विरोधी तत्वों, डकैतों, भ्रष्टाचारी मंत्रियों एवं अफसरों के विरुद्ध करने में असफलता ।	100 रुपये
41	74	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस द्वारा जन-आन्दोलन कुचलना रोकने में असफलता ।	100 रुपये
38	77	श्री अब्राहम	अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी० आई० ए०) के अधिकारियों और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) के कुछ अधिकारियों के बीच बढ़ता हुआ सम्पर्क ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
38	78	श्री अब्राहम	विदेशी दूतावासों के कुछ कर्मचारियों द्वारा दूतावासों की कारों की सहायता से तस्करी की वस्तुओं और शराब के बेचे जाने को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
38	86	श्री अब्राहम	भारत की सभी भाषाओं को समान स्थान देकर भाषा-आन्दोलन को निष्पक्ष रूप में समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
38	87	श्री अब्राहम	साम्प्रदायिक तत्वों के विरुद्ध जिनके द्वारा देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे किये जा रहे हैं, कड़ी कार्यवाही करने में असफलता ।	100 रुपये
38	88	श्री अब्राहम	विभिन्न राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें उलटना ।	100 रुपये
38	89	श्री अब्राहम	केरल-मैसूर तथा महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद के सम्बन्ध में महाजन आयोग का पंचाट ।	100 रुपये
38	90	श्री अब्राहम	केरल के आन्तरिक मामले में भारी हस्तक्षेप ।	100 रुपये
38	91	श्री अब्राहम	गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों के प्रति बदले की नीति के परिणामस्वरूप केन्द्र तथा राज्यों के बिगड़ते जा रहे सम्बन्ध ।	100 रुपये
38	92	श्री अब्राहम	केरल राज्य से सम्बन्धित मामलों के बारे में केरल के संसद सदस्यों से परामर्श करने में असफलता ।	100 रुपये
38	93	श्री अब्राहम	संसद सदस्यों के टेलीफोनों का बीच में सुना जाना तथा उनके पत्रों को सेंसर करना बन्द किये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
38	94	श्री अब्राहम	भूतपूर्व रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के बहुत से कर्मचारियों को पहले दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में खपाने में असफलता ।	100 रुपये
38	95	श्री अब्राहम	असम के लिए पृथक पहाड़ी राज्य बनाने में असफलता ।	100 रुपये
38	96	श्री अब्राहम	नागा और मिजो लोगों की समस्या को शाँतिपूर्ण ढंग से हल करने में असफलता ।	100 रुपये
38	97	श्री अब्राहम	ऋषिकेश में विदेशी खुफिया एजेन्टों की गतिविधियों को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
38	98	श्री अब्राहम	गृह मंत्री के आश्वासनों के बावजूद भी काश्मीर में कर्मचारी संघ कार्यकर्ताओं की निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी ।	100 रुपये
39	99	श्री अब्राहम	मंत्रिमण्डलीय स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
41	117	श्री अब्राहम	उच्च-अधिकारियों में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
46	118	श्री अब्राहम	दिल्ली पुलिस की हालत में सुधार के बारे में खोसला आयोग की सिफारिशों का लागू न किया जाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
46	119	श्री अब्राहम	कार्मिक संघों के आन्दोलनों में पुलिस की ज्यादतियां ।	100 रुपये
46	120	श्री अब्राहम	कार्मिक संघों के आन्दोलनों तथा लोकतन्त्रात्मक आन्दोलनों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का अंधाधुंध प्रयोग ।	100 रुपये
46	121	श्री अब्राहम	चाँदनी चौक में दुकानों के सामने लकड़ी के तख्तों तथा चबूतरों के किराये में 400 प्रतिशत वृद्धि रोकने में असफलता ।	100 रुपये
46	122	श्री अब्राहम	"फर्स्ट प्वाइंट" बिक्री कर प्रणाली लागू किया जाना सुनिश्चित करने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये की आय की हानि हो रही है ।	100 रुपये
46	123	श्री अब्राहम	दुकानों के क्षेत्र में दूकानदारों द्वारा साइनबोर्ड लगाने के लिए करों की अनधिकृत वसूली रोकने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
46	124	श्री अब्राहम	दिल्ली जनरल मर्चेंट्स एसोसियेशन द्वारा भेजे गये स्मरण-पत्र पर कार्यवाही करने में असफलता ।	100 रुपये
46	125	श्री अब्राहम	दुकानों के निरीक्षकों द्वारा भ्रष्टाचार जो दुकानदारों को दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के लिए उत्साहित करते हैं ।	100 रुपये
46	126	श्री अब्राहम	दिल्ली राज्य-क्षेत्र में करों की वसूली सम्बन्धी तंत्र में भ्रष्टाचार के गम्भीर मामले ।	100 रुपये
46	127	श्री अब्राहम	नजफगढ़ रोड स्थित औद्योगिक आवास कालोनी में भ्रष्टाचार ।	100 रुपये
46	128	श्री अब्राहम	दिल्ली में कारों और स्कूटरों की चोरियों की संख्या में हो रही वृद्धि ।	100 रुपये
46	129	श्री अब्राहम	दिल्ली प्रशासन द्वारा सीमा-कर में वृद्धि ।	100 रुपये
46	130	श्री अब्राहम	तिहार जेल की हालत में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
46	131	श्री अब्राहम]	पुलिस कर्मचारियों के संघ को सरकार द्वारा मान्यता न दिया जाना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
47	132	श्री अब्राहम	चंडीगढ़ के दर्जे के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
48	133	श्री अब्राहम	मुख्य आयुक्त के कार्यालय में पक्षपात ।	100 रुपये
48	134	श्री अब्राहम	द्वीप समूहों में नागरिक स्वतन्त्रता का दमन ।	100 रुपये
48	135	श्री अब्राहम	औद्योगिक विवादों में पुलिस द्वारा मालिकों के पक्ष में हस्तक्षेप ।	100 रुपये
49	136	श्री अब्राहम	पहले दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी त्रिपुरा के आदिमजाति क्षेत्र में गैर-आदिमजातियों के लोगों का आकर बस जाना रोकने में असफलता ।	100 रुपये
49	137	श्री अब्राहम	आदिम जातियों के लोगों के लिए निर्धारित राशि का गैर-आदिमजातियों के लोगों के लिए उपयोग करना ।	100 रुपये
50	138	श्री अब्राहम	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने में असफलता ।	100 रुपये
50	139	श्री अब्राहम	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र में भूमि सुधार कानून लागू करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
50	140	श्री अब्राहम	भूमिहीन श्रमिकों और गरीब कृषकों में भूमि वितरित करने में असफलता ।	100 रुपये
50	141	श्री अब्राहम	गरीब किसानों को पर्याप्त मात्रा में कृषि ऋण देने में असफलता ।	100 रुपये
38	257	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
38	158	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	देश में अव्यवस्था में बढ़ोतरी होना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
38	163	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	गम्भीर अपराधों का पता लगाने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की असफलता ।	100 रुपये
38	164	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	घुसपैंठ तथा तोड़-फोड़ की गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए सीमा सुरक्षा दल को सुदृढ़ न बनाना ।	100 रुपये
38	165	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	विदेशी शक्ति गुटों के जासूसी एजेंटों की काली करतूतें रोकने में पुलिस की असफलता ।	100 रुपये
38	166	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	समाज-विरोधी तत्वों द्वारा विदेशों से शस्त्र आयात किये जाने तथा उन्हें बनाने से रोकने में पुलिस की असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
38	167	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	साधारण पुलिस कर्मचारियों की असंतोषजनक सेवा-शर्तें ।	100 रुपये
39	168	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	अधिक उप-मंत्रियों की अनावश्यक नियुक्ति ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
41	175	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल में गुप्तचरों के प्रशिक्षण में त्रुटियां ।	100 रुपये
45	190	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	ब्रिटिश शासकों द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों को जारी रखना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
46	205	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	दिल्ली में धड़ाधड़ हो रहे अपराधों को रोकने में दिल्ली पुलिस की असफलता ।	100 रुपये
46	206	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	लोगों की स्वतंत्रता में पुलिस द्वारा किया जाने वाला अनुचित हस्तक्षेप ।	100 रुपये
46	207	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	दिल्ली में श्रमिकों के प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
46	208	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	अपाहिज बच्चों के लिए शिक्षा तथा आवास की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
46	209	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	भवनों को अच्छी अवस्था में न रखना ।	100 रुपये
46	210	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	दिल्ली में गंभीर भू-रक्षण ।	100 रुपये
48	223	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का विकास धीमी गति से होना ।	100 रुपये
49	224	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	आदिम जाति क्षेत्रों में शिक्षा, संचार तथा उद्योग के विकास में की गई उपेक्षा ।	100 रुपये
50	225	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र में पिछली लगभग अकाल जैसी स्थिति में प्रशासन की असफलता ।	100 रुपये
51	226	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लोगों की दशा सुधारने में असफलता ।	100 रुपये
51	227	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	लक्षद्वीप द्वीपसमूह में संचार का विकास करने में विलम्ब ।	100 रुपये
51	228	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	लक्षद्वीप द्वीपसमूह में मत्स्य पालन उद्योग के विकास में उपेक्षा ।	100 रुपये
38	229	श्री फ्रैंक एन्थनी	धर्म निरपेक्षता के उद्देश्य में गिरावट तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति को बढ़ता हुआ खतरा ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
47	230	श्री विश्वनाथ मेनन	किराया नियंत्रण अधिनियम लागू करने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप किराये बढ़ गये हैं और किरायेदारों को बड़ी संख्या में मकान खाली करने के नोटिस मिले हैं।	100 रुपये
47	231	श्री विश्वनाथ मेनन	औद्योगिक विवादों में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप।	100 रुपये
47	232	श्री विश्वनाथ मेनन	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा उनके संगठनों के शान्तिपूर्वक संघर्ष में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप।	100 रुपये
47	233	श्री विश्वनाथ मेनन	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले कार्मिक संघों के कार्यकर्ताओं तथा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 506 का अत्यधिक प्रयोग।	100 रुपये
47	234	श्री विश्वनाथ मेनन	पुलिस प्रशासन पर अत्यधिक व्यय।	100 रुपये
47	235	श्री विश्वनाथ मेनन	प्रारम्भिक लोक-सुविधाओं की उपेक्षा करके गुलाब की फुलवाड़ी पर जनता के धन का दुरुपयोग।	100 रुपये
47	236	श्री विश्वनाथ मेनन	बुलडोजरों का प्रयोग करके नेहरू मार्केट, जनता मार्केट	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			तथा रंधावा मार्केट का गिराया जाना तथा फल-स्वरूप 500 दुकानदारों को उजाड़ना और उन्हें बदले में कोई स्थान तथा मुआवजा न देना ।	
48	237	श्री विश्वनाथ मेनन	शहर भर में सदैव ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू किये रखना ।	100 रुपये
47	238	श्री विश्वनाथ मेमन	पुलिस कर्मचारियों द्वारा जीवन बीमा निगम, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों के कार्मिक-संघ अधिकारों का दमन करने के लिये इस निगम के कुछ अधिकारियों के हित में कार्यवाही किया जाना ।	100 रुपये
47	239	श्री विश्वनाथ मेनन	केन्द्रीय सरकार के कर्म चारियों को 1962 में समाप्त किया गया प्रतिकर भत्ता पुनः देने में अस-फलता ।	100 रुपये
47	240	श्री विश्वनाथ मेनन	केन्द्रीय सरकार के कर्म-चारियों को क्वार्टरों का अपर्याप्त प्रबन्ध ।	100 रुपये
47	241	श्री विश्वनाथ मेनन	चण्डीगढ़ शहर में नगर-पालिका अथवा नगर निगम बनाने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
48	242	श्री चक्रपाणि	मैसर्स अण्डमान टिम्बर इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा उनके कर्मचारियों के बीच विवाद के दौरान अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त द्वारा कर्मचारियों के हित में हस्तक्षेप न करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
48	243	श्री चक्रपाणि	राज्य परिवहन के कर्मचारियों के उनकी मांगों के बारे में प्राधिकारियों के साथ विवाद में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त द्वारा हस्तक्षेप न किया जाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
48	244	श्री विश्वनाथ मेनन	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को, जो 1952 के पश्चात् वहां बसाये गये थे, दिये गये ऋणों को बलपूर्वक वापस लेने की नीति ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
48	245	श्री विश्वनाथ मेनन	मिडिल अण्डमान स्थित बोर्निअल में बसाये गये शरणार्थियों को पेय जल सम्बन्धी सुविधाओं की कमी ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
48	246	श्री विश्वनाथ मेनन	पंचवटी गांव में, जो कि धान की खेती के लिये उपयुक्त नहीं था, शरणार्थियों को भूमि का आवंटन किया जाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
48	247	श्री विश्वनाथ मेनन	वितरण के लिये तथा धान की खेती के लिये भूमि उपलब्ध होते हुए भी मोपला लोगों को भूमि न दिया जाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
48	248	श्री चक्रपाणि	उत्तर जेटी से मिडिल अण्डमान में कदमतला बस्ती के मुख्य क्षेत्र तक तीन मील लम्बा मार्ग बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	249	श्री चक्रपाणि	धमपुरम गांव को मिडिल अण्डमान के बेटापुर क्षेत्र में सी० एफ० नाले पर बड़ी सड़क (रंगट-माया बन्दर) के साथ मिलाने के लिये लिंक रोड बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	250	श्री चक्रपाणि	बसाये गये शरणार्थियों से ऋण की वसूली करने में भेदभाव ।	100 रुपये
48	251	श्री चक्रपाणि	मिडिल अण्डमान में बोर्नि-अल तथा पंचवटी में बसाये गये शरणार्थियों की दशा ।	100 रुपये
48	252	श्री चक्रपाणि	बेटापुर जेटी के पुराने परित्यक्त स्थान पर एक छोटा पुल बनाकर संचार व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
48	253	श्री चक्रपाणि	कठिनाई के समय छोटी-छोटी राशियां अग्रिम के रूप में देकर महाजनों द्वारा गरीब किसानों का उनकी फसल लेकर शोषण ।	100 रुपये
48	254	श्री चक्रपाणि	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के बहुभाषी लोगों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध हिन्दी का थोपा जाना ।	100 रुपये
48	255	श्री चक्रपाणि	अण्डमान नागरिक समाज पोर्ट ब्लेयर द्वारा भेजे गये ज्ञापन के आधार पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भाषा समस्या को हल करने में असफलता ।	100 रुपये
48	256	श्री चक्रपाणि	निकोबार द्वीपसमूह के सभी भागों में पुनः सप्लाई स्टोर खोलने में असफलता ।	100 रुपये
48	257	श्री चक्रपाणि	आकूजियों द्वारा अपने लाभ के लिये राजकीय व्यवस्था का उपयोग करते हुए कदाचार करने को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
48	258	श्री चक्रपाणि	अगस्त, 1967 में आकूजियों का नया लाइसेंस न बनाये जाने के बाद निकोबार कमर्शियल कम्पनी और निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से उन्हें	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			अपना व्यापार चलाने देने में सरकारी अधिकारियों की सहायता ।	
48	259	श्री चक्रपाणि	निकोबार द्वीपसमूह में भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	260	श्री चक्रपाणि	6 नवम्बर, 1967 को अन्दमान और निकोबार किसान सभा द्वारा दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही न किया जाना ।	100 रुपये
48	261	श्री चक्रपाणि	अन्दमान और निकोबार भूमि-पट्टा विनिमय, 1926 का निरसन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	262	श्री चक्रपाणि	तकावी ऋणों की अदायगी में लाल फीता शाही और विलम्ब ।	100 रुपये
48	263	श्री चक्रपाणि	द्वीपसमूहों में आर्थिक गति-विधियों को सुविधापूर्वक चलाने के लिये बन्दोबस्त क्षेत्र में सड़कों का विकास करने की आवश्यकता।	100 रुपये
48	264	श्री चक्रपाणि	धान के खेतों को हिरनों और जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि से बचाने के लिए आरक्षित वन के चारों ओर बाड़ लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
48	265	श्री चक्रपाणि	आवारा हाथियों के भोजन की व्यवस्था और उनके द्वारा लोगों की सम्पत्ति को पहुंचाई जाने वाली हानि से बचाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	266	श्री चक्रपाणि	द्वीपसमूह में आदिम जाति के लोगों और गैर-आदिम जाति के लोगों के बीच सामाजिक सम्बन्ध बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	267	श्री चक्रपाणि	अण्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में उद्योगों का विकास करने में असफलता ।	100 रुपये
48	268	श्री चक्रपाणि	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाने के लिए सुआयोजित पुनर्वास कार्यक्रम का न होना ।	100 रुपये
48	269	श्री चक्रपाणि	द्वीपसमूह के लोगों के लिए लोकतन्त्रात्मक प्रणाली की स्थापना करने में असफलता ।	100 रुपये
48	270	श्री चक्रपाणि	द्वीपसमूह में कार्मिक संघों और लोकतन्त्रवादी आन्दोलनों के विरुद्ध पुलिस का प्रयोग ।	100 रुपये
48	271	श्री चक्रपाणि	मुख्य आयुक्त द्वारा लोगों के हित के विरुद्ध अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
48	272	श्री चक्रपाणि	जिन लोगों के पास ऐसी भूमि है जो कि धान की खेती के लिए उपयोगी नहीं है उन्हें उसके बदले में दूसरी जमीन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	273	श्री चक्रपाणि	जिन किसानों के पास ऐसी जमीन है जो कि धान की खेती के लिए उपयोगी नहीं है उनको राशन कार्ड देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	274	श्री विश्वनाथ मेनन	द्वीपसमूह में बसाने के लिए लाये गये मुख्य परिवारों के बच्चों को भूमि देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	275	श्री विश्वनाथ मेनन	जिन दिनों खेती का मौसम न हो उस अवधि में किसानों और कृषि श्रमिकों को दूसरे प्रकार के रोजगार की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	276	श्री विश्वनाथ मेनन	आगामी शिक्षा वर्ष में विम्बरलीगंज (दक्षिण अण्दमान) स्थित मिडिल स्कूल को उच्चतर माध्यमिक स्कूल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	277	श्री विश्वनाथ मेनन	(दक्षिण अण्दमान) में सम्पूर्ण सुविधाओं से युक्त एक अस्पताल स्थापित	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			करने की आवश्यकता, जिसमें पर्याप्त संख्या में शय्याएं हों ।	
48	278	श्री चक्रपाणि	दक्षिण अण्दमान में राइटम्यो से शोलबे तक चार मील लम्बा मार्ग बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	279	श्री चक्रपाणि	दक्षिण अण्दमान में किथोरी नगर जेट्टी से भीतरी स्तियों के क्षेत्र तक तीन मील लम्बा एक मार्ग बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	280	श्री चक्रपाणि	उत्तर अण्डमान में काली-घाट जेटी से रामनगर तक पांच मील लम्बा एक मार्ग बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	281	श्री चक्रपाणि	उत्तर अण्डमान में काली-घाट से कालरा गांव तक तीन मील लम्बा एक मार्ग बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	282	श्री चक्रपाणि	हैवलक द्वीपसमूह में जेट्टी से भीतरी गांवों तक तीन मील लम्बा एक मार्ग बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	283	श्री चक्रपाणि	उत्तर अदण्मान में तूगापुर से बजोटा तक दस मील लम्बा एक मार्ग बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Chairman, six weeks have passed since the dead body of Pandit Deen Dayal Upadhyaya, the Jan Sangh leader was found lying by the rail track on 10th February, yet the mystery surrounding his death remains to be solved. The enquiry being conducted by the C. B. I. appears to be slow. The question arises what was the motive behind the murder. The circumstances in which the body was found does not prove that it was a case of accident nor the theory of murder with the intent of looting is believable. I would like the Hon. Home Minister to make a statement in this regard since it is not against public interest. The Hon. Home Minister will agree that the circumstances leading to the death of Shri Upadhyaya have caused a sensation in the country and he can well imagine the sentiments of the workers and supporters of Jan Sangh. We seek an assurance that a thorough inquiry will be made covering all the angles and that the persons connected with the conspiracy to murder him will not be allowed to escape the consequences. The Hon. Minister may kindly classify how far this report is correct that Mr. Lobo, who was conducting the investigations has been entrusted some other job. This enquiry is to be pursued very seriously.

The communal disturbances in the various parts of the country during the last few weeks are a blot on the fair name of India. They make us a laughing stock in foreign countries and jeopardise the very sense of national integration. We have to pay a serious thought as to the reasons of these disturbances even after 20 years of independence. Let me make it very clear that we very much want communal harmony and amity to prevail in the country. Any allegations made against my party in this regard are motivated by political considerations. We are prepared to face any impartial inquiry to prove our fair conduct. I completely fall in line with those who advocate full protection to the rights of minorities, linguistic or religious. But at the same I will also emphasise that the minorities should also discharge fully their duties towards the nation. Rights and duties are two sides of one and the same coin. Nobody can deny the fact that minor incidents have been turned into big flare ups for lack of patience and wisdom on the part of the minority community. In Karimganj a cow belonging to a Muslim had strayed into the house of a Hindu. When a boy was taking that cow to the stray cattle house, he was attacked and the riots broke out. Similarly trouble started in Ranchi when a anti-urdu procession was attacked. Is it not a fact that a Jan Sangh worker was murdered in Ranchi in broad day light. In Meerut Sheikh Abdullah was shown black flags. Though we do not approve of it keeping in view Sheikh Abdullah's non-entity as a national figure, still it is not a crime to show black flags. Why a controversial figure like Sheikh Abdullah be called to any conference and an attempt be made to install him as a leader of all the muslim in the country. Whatever may be the status of a man, he is not to be tolerated by the people if he indulges in anti-national activities.

The hon. Home Minister is well aware of riots in his home state of Maharashtra on the eve of Ganesh festival as a result of stone-throwing on devotee processionists. On 14th March in Calcutta objectionable remarks were passed and an attempt was made to molest the women who were bathing in a tank and the disturbances broke out. Every group, every community should discharge its obligation. Since our neighbours are eagerly waiting to grab every opportunity to proclaim our weakness, we should not indulge in any activity which may jeopardise national unity and provide a handle to our neighbours. How could radio Pakistan broadcast the news about disturbances in Allahabad within an hour of their occurrence, that too giving the details of the localities ? Somebody must have transmitted the news through a secret transmitter. It is a question of national security. It should be looked into.

We opted for a secular State in India of our own sweet will. It is very strange that Pakistan, who declared itself to be an Islamic State, should try to espouse the cause of secularism in India. Our culture has imbibed in us a sense of tolerance of other faiths and a will to grant freedom of pursuing any faith and religion. There should be no discrimination in education, trade, issue of licences, employment, etc. on the basis of religion. If it is bad if anybody is denied a job on the basis of his religion, then it is also equally bad if someone is given preference in service because of his religion. Recruitment to various services should be based on merit irrespective of the religion of the candidate. I was surprised to know that some Congress M.Ps. had approached the Prime Minister for reservation of seats in services for muslims on communal basis. It is a pity that in twenty years we have not been able to infuse and strengthen the idea of nationalism in our countrymen. One reason for communal hostilities is an air of violence in the country. Therefore, it is essential that we keep out violence from our public life and people's movements. In a democracy all movements are to be conducted in a peaceful and non-violent manner. All the political parties should join hands to draw up and follow such a code of conduct.

Are our Congress friends setting good examples in this regard ? The Jan Sangh is running the administration in Delhi. We should not be allergic to criticism and listen to it with patience. But may I ask the Hon. Home Minister if he can compare the performanc of Congress opposition in the Delhi Metropolitan Council and the D. M. C. with that of Jan Sangh opposition there. Let him advise his Congress friends in Delhi to work as a healthy opposition. It was decided in a meeting with the Home Minister that the issue of Jhuggi-Jhopri will not be made a political question. Let me warn my Congress friends in Delhi that politics is a double-edged weapon. If they start an agitation against high taxation, it is something to be understood. Is it not a fact that agitation against demolition of Jhuggis in Delhi was aimed at arousing communal passions. It is a low level of politics. Now, under political pressure Central Government is going to take such steps that conditions are created in which the Lieutenant Governor will find it difficult to continue. It is because he is not acting according to the dictates of the Congress leaders. If you give up a scheme for party consideration then it would be difficult to lay down a healthy tradition and enforce the conduct of conduct.

The Hon. Home Minister will agree that the situation in our border areas is very serious, particularly in Assam. I am afraid if the conspiracy of foreign countries succeeds there, it will be a great blow to our unity. My request is that stern measures should be taken one of which should be to remove all the foreign missionaries from the border areas, particularly in Assam. Foreign missionaries should not be allowed to preach disintegration. It should also be looked into whether any foreign money was involved behind the Gauhati disturbances. Foreigners who own tea plantations cannot be allowed to remain in the strategic areas.

The Prime Minister should not have made the policy statement on 13th February on the eve of general elections about the reorganisation of Assam. It has created a difficult situation for the Government of India. They should take a firm decision in the matter. The activities of Sheikh Abdullah in the Kashmir Valley, movement of Naga hostiles to China and their coming back, the victory of Shiv Sena etc, are not so serious matters for concern than the failure of Delhi to make proper assessment of problems facing the country and to pursue a firm policy. We should give up indecisiveness. Our rulers in Delhi should give up playing up the various issues. Our democratic set up is threatened. No difficulty is unsurmountable provided Government acts with determination and pursues a firm policy.

We demand unitary State in India. Misuse of the office of Governors by the centre is not going to build healthy traditions for our democracy. Congress high command has extended its support to Gill Government in Punjab. The situation calls for consideration on the moral plain also apart from its constitutional aspects. The opposition parties in Punjab have never supported a man who does not hesitate in ordering the police to enter into the House to establish his majority. Congress is still the largest party in the country. If on being thrown in the opposition it starts throwing the democratic traditions to the walls, it will not serve the interests of the country. We should not be averse and allergic to change. After all change is the law of nature.

There is substance in the complaint of the opposition parties that they are consulted only when Government finds themselves in trouble. It is very unfortunate that Government did not consult them before bringing forward the language bill. Had they done so, consensus could be obtained and the present difficulty would have been avoided. Language is a medium and not the goal. Unity of the country is supermost.

The C.B.I. is looking into the charges of receipt of foreign money by our political parties. Election expenses are rising. How the persons and parties with small means exist in such a situation. I would suggest holding of an open inquiry by a judge of the Supreme Court into these charges. A commission of enquiry has been appointed under the chairmanship of Shri Raghbar Dayal to look into the communal disturbances. In consists of three members, one each from Hindu, Muslim and Christian Communities. This enquiry is being conducted in camera. I feel that all the politieal parties are allowed to appear before the commission. The enquiry should be conducted in such a way which may satisfy all sections of the society.

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Shri Chavan deserves congratulations for the fact, imagination and efficiency that he has displayed in handling the various issues. I do not agree with Shri A. B. Vajpayee when he says that Congress Government think of the opposition only when they are in deep waters. My allegation against the opposition parties is that they have never extended their co-operation willingly for nation building. There are certain fundamental things which we are losing fast. I often said and repeat it again that materialistic approach is not going to solve our problem. We must introduce the element of spiritualism in our thinking, in our handling of various issues whether they be Hindu-Muslim disturbances or linguistic riots.

Then, there are two issues, the language and cow protection which, in my opinion, are very important. The language has got a direct link with the mind and our mental faculties can be developed through Indian languages alone and not through a foreign language. Similarly the question of cow protection is connected with our body. A committee was set up to find the ways of imposing a ban on cow slaughter and not to consider whether it should be banned or not. It is going beyond its terms of reference. Unless a ban on cow slaughter is imposed, our agricultural production connot go up. Horses, mules, buffaloes etc. can not replace the bull in agriculture. Then, India has got the largest number of vegetarians in the whole world. Can tractors and machines supply us milk and ghee, which are very vital for our body ? Body has got no value without a healthy mind and a mind has no existence without a body. Thus those two issues are inter-connected. When the language Bill was introduced here I had enquired from the Hon. Home Minister as to whom he wanted to please. I want all the Indian languages to be developed together with Hindi.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि चूंकि माननीय सदस्य सेठ गोविन्द दास ने सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला उठाया है, क्या इसको यहां पर उठाना उनके लिये उचित है ?

Dr. Govind Das: The point at issue in the Supreme Court is different.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): On a point of order, since the Hon. Member has filed a case in the Supreme Court and may put forth certain arguments which is discussing here. It is a **sub judice** matter and it is not proper for us to go into its merits.

Dr. Govind Das: I have raised this point in the Supreme Court that the Bill passed in 1967 is **ultra vires** of the constitution.

Mr. Chairman: There is no point of order.

Dr. Govind Das: Nobody is satisfied with this legislation. If the Hon. Minister tries to satisfy the Hindi-speaking people, the non-Hindi speaking people will not be satisfied. Similarly if he satisfies non-Hindi speaking people, Hindi-speaking people will not be satisfied. Thus the question cannot be solved. Whole dispute is about 300,400 or 500 seats in Government service. This difficulty can be overcome if a quota is fixed in the central services for each state on the basis of population.

A committee set up by Government is looking into the question of banning cow slaughter. If the report of the committee is not found to be satisfactory, I am afraid a countrywide agitation on an unprecendented scale may not be started. Thereforee, the committee should address itself to the only question of suggesting means of imposing a ban on cow slaughter.

There have been many instances recently when it was alleged that foreign money is disturbing peace in our country, commenting on the linguistic riots in Mysore, the Chief Minister alleged the hand of outsiders in the riots. Some charges were repeated in other parts of the country. I will request a thorough probe into the sources of this money and the way it is spent. Before concluding I will appeal Shri Chavan to seek the co-operation of the opposition party but at the same time I may expect from my friends on the opposite side to extend their full co-operation in solving the various issues leaving aside their politics.

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : देश को संगठित करने की माननीय गृह मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । अंग्रेजों ने भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक कर दिया था, हमारा संविधान संघीय अधिक है और इसके अन्तर्गत केन्द्र को व्यापक अधिकार दिये गये हैं । चौथे आम चुनाव से पहले भी, जब सारे भारत में केवल एक ही दल के हाथ में सत्ता थी, केन्द्र और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच मतभेद थे, इसी कारण से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था ।

मैं समझता हूं वर्तमान प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है जो इस समस्या पर विचार कर रहा है और आशा है वह इसका वास्तविक मूल्यांकन करेगा और सरकार केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न करेगी ।

मैं इस बात को सुनकर हैरान हूं कि लोग अभी तक देश के लिये एकात्मक संविधान की मांग कर रहे हैं, केन्द्र को अधिक शक्तियां दिये जाने के कारण ही आज हमें इन बुराइयों और

व्याधियों का सामना करना पड़ रहा है । कार्य करने की स्वतंत्रता तथा विकास के लिये आवाज उठाने वाली विभाजक शक्तियां नहीं बल्कि देश में विभिन्न सजातीय और सांस्कृतिक रूप से विकसित एककों का समाज है, हमें इन प्रवृत्तियों की निन्दा करने की आवश्यकता नहीं है । वास्तव में हमें इन नई प्रवृत्तियों का उचित समाधान करना होगा और देश की एकता तथा देश को मजबूत बनाने का वही एकमात्र तरीका है । प्रतिवेदन से पता चलता है कि सरकार का विचार केन्द्रीय स्तर पर कुछ नये विभाग बनाने का है, किन्तु मैं समझता हूं इस समय विभागों को बढ़ाने की नहीं अपितु घटाने की आवश्यकता है । सरकार को इस मामले पर विभिन्न राज्यों के साथ परामर्श करके विचार करना चाहिए ।

सभी राज्य, चाहे वहां कांग्रेस सरकार है अथवा गैर-कांग्रेसी सरकार मांग कर रहे हैं कि उनके कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते का एक भाग केन्द्र वहन करे । मैं मानता हूं कि केन्द्र इसे वहन नहीं कर सकता और संवैधानिक तौर पर भी केन्द्र राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिये वाध्य नहीं है, दूसरी ओर, हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पूर्णतः केन्द्र द्वारा रिजर्व बैंक के माध्यम से नियंत्रित होती है और देश के आर्थिक क्षेत्र में भी जो कुछ होता है, वह केन्द्र की वित्तीय नीतियों के ही परिणामस्वरूप होता है । केन्द्र की आर्थिक नीतियों के कारण देश में कीमतें बढ़ रही हैं जिसके परिणामस्वरूप राज्य कर्मचारी अधिक मंहगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं और क्या ऐसी परिस्थिति में राज्यों की यह मांग उचित नहीं है कि इन कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते का एक भाग केन्द्र वहन करे ? ऐसे मामलों पर केवल सैद्धान्तिक रूप से नहीं अपितु व्यावहारिक रूप से विचार किया जाना चाहिए ।

आज यदि राज्य और अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं तो उन्हें पृथकवादी अथवा विच्छेदी की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिये, यदि लोग इस तरह सोचते हैं कि वे अपनी संस्कृति का आनन्द नहीं उठा रहे हैं, उनका सामाजिक जीवन पूर्ण नहीं है, और उन्हें उनकी आय का समुचित अंश मिलना चाहिए, तो इसमें बुराई की बात क्या है ? आज फेडरलिज्म की प्रवृत्ति तथा मांग बढ़ रही है, जो समयानुकूल है और केवल इसी प्रवृत्ति से विभिन्न प्रादेशिक महत्वाकाक्षाओं को पूरा तथा शान्त किया जा सकता है, यह मांग देश की एकता को नहीं बिगाड़ेगी बल्कि देश की एकता को मजबूत करने तथा देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में सहायक होगी ।

जहां तक केन्द्र और राज्यों के बीच, विशेषतः आम चुनावों के बाद सम्बन्धों का प्रश्न है, इस बारे में, मैं अन्य बातों के अलावा दो एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं । मद्रास में द्रविण मुनेत्र कषगम के सत्तारूढ़ होते ही वहां की विधान सभा में एक संकल्प पारित किया गया और राज्य का नाम बदलकर तामिलनाड रख दिया गया, यदि केन्द्रीय सरकार इस आशय का एक विधेयक पारित कर देती तो यह केन्द्र का उस राज्य के प्रति सद्भावना का प्रदर्शन होता । इसके अलावा डालमियापुरम का प्रश्न है जिसे वास्तव में कालाकुडी कहा जाता है । रेलवे मंत्री ने डालमियापुरम् स्टेशन के नाम को बदलकर कालाकुडी रख देने के हमारे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जब कि उन्होंने अन्य राज्यों में स्टेशनों के नाम बदले हैं । उदाहरणार्थ महाराष्ट्र में 'चन्दा'

स्टेशन का नाम बदल कर चन्द्रपुर रखा गया है और कोष्ठक में 'महाराष्ट्र' लिखा है क्योंकि इसी नाम का एक स्टेशन आसाम में है। किन्तु हमारी उचित मांग को मानने के लिये वह तैयार नहीं हैं। गैर-कांग्रेसी सरकार के साथ व्यवहार करने का यह तरीका नहीं है, गृह-कार्य मंत्री को कम से कम ऐसे छोटे मामलों में सद्भावना दिखानी चाहिए।

इसके अलावा तथा इससे अधिक महत्वपूर्ण तथा गंभीर बात यह है कि जब द्रविण मुनेत्र कषगम ने कार्य-भार संभाला तो उसने देखा कि राज्य परिवहन सेवा भारी घाटे में चल रही है, और इस स्थिति में सुधार करना जरूरी है और हमने उसमें सुधार किया। आप सुनकर हैरान होंगे कि केवल दस महीनों में घाटा 60 लाख से कम होकर केवल 10 लाख रुपये रह गया और हमें आशा है कि आगामी महीनों से हमें उससे लाभ होने लगेगा। किन्तु मोटर गाड़ी अधिनियम इस रास्ते में एक रुकावट साबित हो रहा था, इसलिये राज्य सरकार ने एक अध्यादेश का प्रारूप तैयार किया और उस पर केन्द्र की सहमति चाही, किन्तु केन्द्र ने हमारी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गाड़ियां चलाने की उचित मांग को स्वीकार नहीं किया और उसने कहा कि इससे दूसरे लोगों तथा राज्यों के अधिकारों का हनन होता है और यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि मोटरगाड़ी अधिनियम में संशोधन न किया जाये और तब तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, अब इसका पता नहीं कि वह संशोधन कब होगा।

जहां तक भाषा का सम्बन्ध है, हमें इस समस्या के बुनियादी पहलू पर विचार करना चाहिए। इस देश के लोग विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं और सारे देश की कोई एक भाषा नहीं है। यदि प्रश्न केवल यह होता है कि द्रविण मुनेत्र कषगम सदस्यों के हिन्दी सीखने पर भाषा-समस्या हल हो जायेगी, तो हमें उसे सुलझाने या हल करने में कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन सवाल तो यह है कि हमें भाषा के प्रश्न पर करोड़ों अहिन्दी-भाषी लोगों की भावनाओं पर भी विचार करना है। प्रश्न लोगों की कठिनाइयों का है। अंग्रेजी और हिन्दी को एक स्थान कैसे प्राप्त हो सकता है? हर व्यक्ति को अपनी भाषा प्रिय होती है, किन्तु मैं तामिल के सम्बन्ध में, जो एक भारतीय भाषा है, यह कह सकता हूं कि उसके माध्यम से विज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है। हमें अपनी भाषा से बहुत प्यार है और इतना प्यार जितना कि हिन्दी समर्थकों को हिन्दी से नहीं है। तामिल भाषा बड़ी समृद्ध भाषा है, जब हम यह कहते हैं कि अंग्रेजी जारी रखी जाये, तो इसका कारण यह है कि हम उत्तर भारत वालों के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं और देश के प्रशासन को भली भांति चलाना चाहते हैं, अंग्रेजी जब हम बोलते, लिखते हैं, समझते हैं, तो फिर वह विदेशी भाषा कैसे है? विदेशी भाषा तो वह है जिसे हम नहीं जानते, विभिन्न भाषाई गुटों को मिलाने के उद्देश्य से हम अंग्रेजी चाहते हैं। यदि अंग्रेजी को हटाया गया तो देश की एकता कभी कायम नहीं की जा सकती, जब तक हमारी देश की कोई भाषा इतनी विकसित नहीं हो जाती कि राज-भाषा का स्थान ले सके, तब तक के लिये अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा के रूप में बनाये रखना जरूरी है। वास्तविकताओं पर विचार करना ही पड़ेगा, जब भाषा विधेयक से संलग्न संकल्प, निरसन, स्थगित अथवा रद्द नहीं किया जाता तब तक एक साथ बैठने तथा बातचीत करने का वातावरण भी नहीं बनाया जा सकता। सरकार को इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण समाचार-पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं

के दृष्टिकोण तथा सुझावों पर भी विचार करना चाहिए। मद्रास में इस मामले में स्थिति बहुत गम्भीर है और कभी भी वह कोई रूप धारण कर सकती है और जिस पर काबू पाना राज्य सरकार के वश की बात नहीं होगी। इसी विवाद को लेकर वर्ष 1965 में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसका सबको पता है। इसलिये इस सम्बन्ध में मद्रास के लोगों की भावना को समझना जरूरी है। मद्रास में रहने वाले गैर-मद्रासी लोगों के प्रति हमारी किसी किस्म की बुरी भावना नहीं है, हम केवल भाषा के बारे में चिन्तित हैं और इस सम्बन्ध में तुरन्त कोई समुचित कार्यवाही करना आवश्यक है।

गृह-कार्य मंत्रालय केन्द्रीय सेवाओं को नियंत्रित करता है। 27 अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेशानुसार 45 वर्ष से कम आयु के सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, जब तक भाषा विवाद हल नहीं हो जाता, तब तक के लिये इस आदेश को तुरन्त स्थगित कर देना जरूरी है, यदि इसे लागू रखा गया, तो उसका स्पष्ट अर्थ हिन्दी को लादना है या नौकरियों के बारे में अहिन्दी भाषी लोगों के प्रति भेद-भाव बरतना है।

सेवाओं के बारे में कोटा प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया गया है। यदि देश में एकता कायम करनी है और सेवाओं में योग्यता के आधार पर भर्ती करनी है, तो केन्द्रीय सेवाओं के लिये कोटा प्रणाली शुरू करने का अर्थ होगा देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटना। इसलिये मेरा गृह-कार्य मंत्री से अनुरोध है कि भाषाई विवाद का निपटारा होने तक वह ऐसी कोई हिदायत लागू न करें जिससे अहिन्दी-भाषी लोगों के हितों का हनन होता है।

Shri Ahmed Aga (Baramulla) : Sir, in almost every part of the country a number of violent incidents took place during the last year and there are a slur on our fair name. We have also seen that a secessionist tendency has developed in Assam, Bengal, Nagaland and Mizo Hills. The language issue also caused serious troubles in the country. Although we need not go into the root of these problems now, steps should be taken to see that such things do not occur in future.

The Government is, no doubt, taking steps for the economic development of the country, but there is still a wide gap between the rich and the poor which is, in fact, the real and basic cause of all troubles. I also agree with this view that there are anti-social and anti-national elements for engineering and creating troubles and these should be dealt with firmly. But the fact remains that unless and until this difference is narrowed down, we cannot attain internal peace and happiness. So it is of utmost importance that this objective which is social obligation of socialistic pattern of society is achieved at the earliest.

The Kashmir problem is not a political problem. It is, in fact, an eccnomic one. You will find that no irrigation project was undertaken in the state in the three plan periods. Even in regard to power, very little is being done. There are some schemes for the state, but shelved for a pretty long time and these require quick implementation. If the Lower Jhelum Hydel project and Sind Hydro-electric project are taken up, these can give us a lot of electricity. A geological survey which was conducted in the state revealed that large deposits of aluminium, bauxite, copper and lime-stone, but we are not taking steps to exploit them.

There is no doubt about it that a lot of money has been spent in the five year plans in our state but the fact is that it was not spent on schemes which would have resulted in the immediate benefit to the agriculturist and the labour. Similarly nothing remarkable has been done for the benefit of the common man. We did not undertake such works and projects as conld have immediate impact on the poorer section of the society. Huge expenditures incurred by the public sector on the construction of multi-storied-flats and palatial buildings can hardly be justified on the grounds that the private sector could do for commercial purposes. Besides, we did not spend money in the three plans on a self-generating economy. Now at last we should take steps towards achieving this economy.

As for Sheikh Abdullah, we connot appreciate his activities and attitude. But at this stage, we should not hasten to take any action against him. The Home Minister was, in fact, right when he said that we should not deal with this matter on emotional level; it should be tackled with statesmanship. Sheikh Abdullah holds conflicting views about the Kashmir problem. But it is quite possible that if some time is allowed, he might realise the realities of the situation and change himself for the better.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : गृह-कार्य मंत्रालय ने लगभग 172 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की है। मंत्रालय को इतना अधिक धन देने से पहले हमें मंत्रालय के कारनामों पर दृष्टि डालनी चाहिए। इस मंत्रालय का इतिहास निरन्तर असफलताओं, धोखाधड़ी और निहित स्वार्थों को खुश करने का इतिहास रहा है।

सर्वप्रथम मैं निहित स्वार्थों को खुश करने की बात का उल्लेख करूंगा। गृह-मंत्री महोदय कई महीनों से राजों-महाराजाओं की निजी थैलियों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। परन्तु हमें पूर्ण विश्वास है कि उस बारे में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा राजों-महाराजाओं को रजामन्द करने आदि की बातें कह कर इस मामले को टाल दिया जायेगा।

जहां तक गृह मंत्रालय के घपले का प्रश्न है, भाषा का प्रश्न इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। राजभाषा अधिनियम से देश का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा इससे देश में गम्भीर संकट पैदा हो गया था। जब राजभाषा अधिनियम पर चर्चा की जा रही थी, उस समय तथा उसके बाद देश व्यापी दंगे हुए हैं। उत्तर और दक्षिण का सवाल पैदा हो गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कर सकता कि सरकार ने इस बारे में जो नीति अपनाई है उससे देश में विघटनकारी प्रवृत्तियों ने सिर उठाया है।

अब मैं साम्प्रदायिक दंगों तथा धर्मनिरपेक्षता की असफलता का उल्लेख करुंगा। आज धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल खत्म हो गई है। स्वतन्त्रता के बाद जितने साम्प्रदायिक दंगे पिछले वर्ष हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 67 प्रतिशत अधिक साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। इन साम्प्रदायिक दंगों को दबाने की मुख्य जिम्मेदारी प्रशासन की है परन्तु इनके सम्बन्ध में प्रशासन ने जो नीति अपनाई है, वह अत्यन्त निराशाजनक है। साम्प्रदायिक दंगों को दबाने में सरकार बुरी तरह असफल रही है। कांग्रेस दल में एक वर्ग साम्प्रदायिक तत्वों का है, जो साम्प्रदायिक दंगों को भड़का रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल का भी एक वर्ग इसका जिम्मेदार है।

स्वतन्त्रता के बाद पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस सरकार जनता में धर्मनिरपेक्षता की भावना जागृत करने में असफल रही है ।

अब मैं केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । केन्द्र राज्य सम्बन्ध इस समय बहुत खराब है । मैंने श्री कण्डप्पन का भाषण बड़े ध्यान से सुना है तथा उनके भाषण से पता चला है कि तामिलनाड में किस प्रकार की भावना पैदा हो गई है तथा यह भावना केवल तामिलनाड में ही पैदा नहीं हो रही है, अपितु अन्य भागों में भी यही भावना पैदा हो रही है । कांग्रेस जिसका पहले केन्द्र और राज्यों में बहुमत था, सत्ता अपने हाथों में रखना चाहती है, जबकि पिछले चुनाव के बाद देश का राजनीतिक ढांचा बदल चुका है । जबकि देश की राजनीतिक स्थिति बदल गई है, कांग्रेस दल और गृह मंत्रालय अपने आपको बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढाल सके हैं । पश्चिम बंगाल का होने के नाते, मैं पश्चिम बंगाल का उदाहरण देता हूं । पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि जब वहां संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, तो कांग्रेस ने उसे तोड़ने का प्रयत्न किया ।

अब मैं पुलिस का उल्लेख करूंगा । पुलिस के लिये 45 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा गया है । केन्द्रीय गुप्तचर विभाग तथा पुलिस विभाग औषधियों तथा खाद्यान्नों में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण का पता नहीं लगा सके हैं । वे साम्प्रदायिक तत्वों का पता लगाने में भी असफल रहे हैं । गुण्डा तत्वों ने सिर उठाया है और प्रान्तीयतावाद कई प्रकार से प्रकट हो रहा है । विदेशी जासूसी चल रही है, परन्तु केन्द्रीय गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय जांच विभाग इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं । सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का इस्तेमाल मुख्य रूप से सीमाओं की सुरक्षा के लिए न करके कांग्रेस शासन की सुरक्षा के लिए किया गया है । वर्ष 1966 में इनका इस्तेमाल खाद्य आन्दोलन को कुचलने के लिए किया गया । नवम्बर, 1967 में इन दलों को सीमा पर से बुला लिया गया, और सीमा की बिना सुरक्षा के शत्रु की दया पर छोड़ दिया गया । तब से इनका प्रयोग पश्चिम बंगाल में लोगों को कुचलने के लिए किया जा रहा है ।

कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी के मालिक उस उपक्रम को पश्चिम बंगाल सरकार को बेचने की कोशिश कर रहे हैं । कलकत्ता ट्रामवे की कोई आस्तियां नहीं हैं, केवल दायित्व ही दायित्व हैं । उसकी अधिकांश गाड़ियां बेकार पड़ी हैं । कम्पनी के मालिक पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वे उन बेकार गाड़ियों को 6.77 करोड़ रुपए में खरीद लें । मैं गृह मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि जब तक उस राज्य में चुनाव होने के बाद कोई जिम्मेदार सरकार नहीं बन जाती, तब तक कोई सौदा नहीं किया जाना चाहिए ।

गृह कार्य मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को रोजगार देने में असफल रहा है । उनके लिए नौकरियों का कोटा निर्धारित है, परन्तु तीसरी श्रेणी की सेवाओं में भी उनका कोटा पूरा नहीं किया जाता है । यदि 20 वर्ष के बाद भी उन जातियों के व्यक्ति अपेक्षित योग्यता प्राप्त नहीं कर सके हैं, तो यह गृह-कार्य मंत्रालय की असफलता का ही द्योतक है ।

मैं जानना चाहता हूं कि इन बीस वर्षों में सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिए क्या किया है ?

मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे संघ राज्य क्षेत्रों को बहुत समय से केन्द्रीय सरकार की जमींदारी समझा जाता रहा है। अब इस जमींदारी को खत्म किया जाना चाहिए तथा इन क्षेत्रों को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए तथा उनमें विधान सभायें बनाई जानी चाहिए और उन्हें पूरे अधिकार दिए जाने चाहिये।

श्री प्र० कु० घोष (रांची) : अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि कांग्रेस ने साम्प्रदायिक दंगों को दबाने के लिये कुछ नहीं किया है। इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष साम्प्रदायिक दंगे अधिकांशत: उन राज्यों में हुए हैं, जहां गैर कांग्रेसी सरकारें थीं। उदाहरण के तौर पर रांची में साम्प्रदायिक दंगे हुए। क्या कांग्रेस उनकी जिम्मेदार है ? रांची में जब साम्प्रदायिक दंगे हुए तो वहां के पुलिस मंत्री स्वयं कन्ट्रोल रूम में बैठे हुए थे। सौभाग्य से मैं भी उस समय कंट्रोल रूम में उपस्थित था तथा मैंने बार-बार उनसे अनुरोध किया कि पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया जाये, परन्तु उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया और पुलिस को कोई आदेश नहीं दिया गया। यदि उस समय पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया गया होता तो स्थिति काबू में आ गई होती। बिहार में गैर-कांग्रेसी सरकार थी और वहां के पुलिस मंत्री ने इसलिये गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, कहीं उनकी लोकप्रियता खत्म न हो जाये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, I want to raise a point of order. The Hon. Member is referring to the Police Minister of Bihar by name. It is a serious matter. Though the Police Minister of Bihar tried his best to check the riots, but it is being alleged that he took no action, though he was present in the control room. It is against the practice of this House.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य प्रशासन का उल्लेख कर सकते हैं, परन्तु नामों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

श्री प्र० कु० घोष : मैं प्रशासन का उल्लेख कर रहा था। मेरा तात्पर्य यह था कि वह प्रशासन इस बारे में असफल रहा है। अन्ततः सात दिन के बाद में दंगे खत्म हुए। जब बहुत से भोले लोगों का बध किया गया, तो मुख्य मंत्री ने गोली चलाने का आदेश दिया, अन्त में बिहार सरकार द्वारा वही कार्यवाही करनी पड़ी जिसका हमने आरम्भ में सुझाव दिया था। यदि आरम्भ में ही गोली चलाने का आदेश दिया जाता तो इतनी जानें नहीं जातीं।

विरोधी दल इतने कुशल नहीं हैं कि वे प्रशासन चला सकें। वे विभिन्न स्थितियों पर काबू पाने में असफल रहे हैं। इसलिये यह जरूरी है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस हर भाग में रखी जाये। देश में शांति बनाये रखने के लिये हमें गैर-जिम्मेदार लोगों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

लोग कांग्रेस को भ्रष्टाचार के लिये दोषी ठहराते रहे हैं, परन्तु गैर-सरकारी राज्यों में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार की रोक थाम के लिये जिम्मेदार केन्द्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये तथा उन्हें आदेश दिये जाने चाहिए कि वे किसी व्यक्ति को भी न छोड़ें चाहे वह केन्द्र में हो अथवा राज्यों में। उन्हें राज्य सरकारों पर आश्रित नहीं रखा जाना चाहिए। देश के हित में यह केन्द्र की जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाये।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो रही है तथा अल्पसंख्यकों का जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है। लगभग प्रतिदिन साम्प्रदायिक घटनायें बढ़ने के समाचार मिलते हैं। रांची, करीम गंज, मेरठ, कलकत्ता और इलाहाबाद में जो कुछ हुआ है, वह केवल ऐसा अपराध ही नहीं है कि जिसे माफ नहीं किया जा सकता, बल्कि वह एक ऐसा अपराध है कि जिससे हर स्वाभिमानी भारतीय का सिर शर्म से झुक जाता है। एक भद्दी बात है यह है कि इन आक्रमणों के पीछे संगठनों का निश्चित रूप से हाथ है। साम्प्रदायिकता एक छुआछूत की बीमारी है, जो देश भर में फैल रही है और अपनी लपेट में न केवल मुसलमानों बल्कि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को भी ले रही है।

नवम्बर, 1966 में बरहामपुर में तीन गिरजाघरों पर जानबूझ कर हमला किया गया तथा उन्हें जला दिया गया। यद्यपि ये गिरजाघर तीन घण्टे तक जलते रहे, परन्तु सिविल प्रशासन तथा पुलिस की ओर से कोई भी व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। फरवरी, 1967 में श्रीनगर में जानबूझ कर दो गिरजाघरों को नष्ट किया गया और मैं समझता हूं कि इन गिरजा-घरों को नष्ट करने में, मुख्य मंत्री का नहीं, तो स्थानीय प्रशासन का अवश्य हाथ था।

सामान्यतया लोग परम्परागत ढंग से साम्प्रदायिकता का उल्लेख करते हैं, परन्तु जातिवाद भी साम्प्रदायिकता का एक अंग है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतनामी कहे जाने वाले हरिजनों के साथ लज्जाजनक अत्याचार किये गये हैं। कांग्रेस तथा गैर-कांग्रेस दलों का परस्पर दोषारोपण तथा प्रत्यारोपण उचित नहीं है। हमें इस के मौलिक कारण का पता लगाना चाहिये। मेरे विचार में इसका मौलिक कारण यह है कि स्वार्थी, सिद्धान्तहीन राजनीतिज्ञों की संख्या बढ़ रही है और इन्हीं लोगों का इन नियोजित आक्रमणों में हाथ है।

इस समय हमारी राजनीति जातीयता तथा साम्प्रदायिकता पर निर्भर है। इसका दोषी मैं किसी एक विशेष राजनीतिक दल-कांग्रेस अथवा गैर-कांग्रेस को नहीं ठहराता, तथा सारे राज-नीतिक दल इसके दोषी हैं। सभी दल अपने उम्मीदवारों का चयन जातीय एवं साम्प्रदायिक विचारों पर करते हैं। अधिकांश मतदाताओं के अनपढ़ होने के कारण जाति और साम्प्रदायिक भेदभाव का लाभ बड़ी बेशर्मी से उठाया जाता है। इसका परिणाम यह है कि आज सभी विधान मण्डलों में उन राजनीतिज्ञों की संख्या बढ़ रही है, जो सिद्धान्तहीन हैं तथा जिनका साम्प्रदायिकता में निहित स्वार्थ है। इस समय भारतीय राजनीति की यही दुःखद घटना है। इससे भारत में साम्प्रदायिकता तथा जातीयता को बढ़ावा मिल रहा है।

साम्प्रदायिकता और जातीयता की यह बीमारी केवल राजनीतिज्ञों तक ही समिति नहीं

है, अपितु सेवाओं में भी यह बीमारी फैलती जा रही है। सामान्यतया जिला अधिकारी, सिविल कर्मचारी अथवा पुलिस उपस्थित होते हुए भी अपराध की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और वे केवल तब हस्तक्षेप करते हैं, जब अपराध हो चुका होता है। मैं जानना चाहत हूं कि ऐसे अधिकारियों को दण्ड कौन देगा, क्योंकि गृह मंत्री महोदय तो कह देंगे कि यह राज्य का विषय है तथा इस मामले में वह कुछ भी करने में असमर्थ हैं ? कुछ राज्यों में साम्प्रदायिक दलों का बोलबाला है और वे साम्प्रदायिक हत्याओं के लिये उकसाते हैं। इस साम्प्रदायिकता और जातीयता की बीमारी से समाचारपत्र भी दूषित हो रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी समाचार पत्र दूषित हो रहे हैं, कुछ थोड़े समाचार पत्र ऐसे अवश्य हैं जो निष्पक्ष समाचार देते हैं, परन्तु भारत के अधिकांश समाचारपत्र जिनमें कुछ अंग्रेजी माध्यम के समाचारपत्र भी शामिल हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रकाशित करते हैं। मेरे कुछ सम्पादक मित्रों ने बताया है कि उन्हें तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर देना पड़ता है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार उन्हें ऐसा करने को बाध्य करती है। वास्तव में भारत अल्पसंख्यकों का देश है। इस देश के अधिकांश लोग किसी न किसी भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय में पड़ जाते हैं। यदि इस बीमारी को सेवाओं में भी फैलने दिया गया तो इसके फलस्वरूप न केवल अस्थिरता पैदा होगी, बल्कि देश का विघटन हो जायेगा।

मैं इस तथ्य को अच्छी तरह से जानता हूं कि साम्प्रदायिकता की इस बीमारी को दूर करना सरल काम नहीं है, तथापि मैं उन सब दलों से जो सार्वजनिक जीवन में लोकतान्त्रिक शिष्टता के लिये वचनबद्ध हैं, अनुरोध करता हूं कि वे लोगों को साम्प्रदायिकता तथा जातीयता के आधार पर टिकट न दें। जहां कहीं अल्प समुदाय पर हमला किया जाय—चाहे वह समुदाय मुसलमानों का हो अथवा हरिजनों का अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों का—वहां न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। यदि यह मालूम होता है कि स्थानीय अधिकारी और पुलिस साक्ष्य इकट्ठी करने में हस्तक्षेप करेंगे, तो उनका तबादला किया जाना चाहिये।

जहां तक भाषा विवाद का सम्बन्ध है, हिन्दी समर्थकों के दबाव में आकर राजभाषा विधेयक तथा संकल्प पास करके नेहरू के आश्वासनों का उल्लंघन किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप तामिलनाड में प्रक्रिया हुई, जहां त्रिभाषा सूत्र को दफनाया गया। केन्द्रीय सेवाओं में इस सूत्र को लागू करने की चर्चा की जाती है। इसका अर्थ यह होगा कि विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थी, जिनसे मानव शास्त्र तथा विज्ञान का अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है, तीन भाषाओं और मानव शास्त्र का केवल अधूरा ज्ञान ही प्राप्त कर सकेंगे।

सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये कई माध्यम रखने का चुनाव गैर-जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है। 15 भाषाओं में सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन नितान्त असम्भव है। केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए त्रिभाषी सूत्र लागू करना तथा 15 भाषाओं को सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाओं का माध्यम बनाना भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से भी ज्यादा बुरा है।

श्री जी० ना० हजारिका (डिब्रुगढ़) : इस वर्ष गृह कार्य मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है। इस वर्ष देश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप देखिये कि गत वर्ष

देश को आसाम, बंगाल, बिहार, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब तथा अन्य सब राज्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गृह कार्य मंत्रालय ने इन समस्याओं को बहुत सूझ बूझ से हल किया है, और उनकी सफलता सराहनीय है। इस समय आसाम के सामने बहुत बड़ी समस्या है और इस बारे में सारा देश चिन्तित है तथा आसाम के लोग इसके भविष्य के बारे में चिन्तित हैं।

आसाम की समस्या का ऐसा समाधान खोजना होगा जिससे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को निराशा न हो। ये लोग संघ की कामना करते हैं और सरकार उन्हें संघ की स्थिति प्रदान भी करना चाहती है। संघ का प्रस्ताव पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को तो स्वीकार्य है परन्तु मैदानी लोगों को अस्वीकार्य। गृह-कार्य मंत्री ने इन दोनों से विचार-विमर्श के पश्चात अशोक मेहता समिति इस मामले की जांच के लिये नियुक्त की। इस समिति ने जो सूत्र खोजा वह भी संघ के सिद्धान्त पर आधारित है। परन्तु मैं यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि यदि संघ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो इससे आसाम दो या तीन इकाइयों में विभक्त हो जायेगा। चूंकि मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या 1 करोड़ 10 लाख है जबकि पहाड़ी क्षेत्र की जनसंख्या केवल $7\frac{1}{2}$ लाख है, इसलिये मैदानी जनता को समानता का स्तर कैसे स्वीकार्य होगा। यह भी विचारणीय है। मेरे विचार से आसाम के विद्यमान प्रशासनिक ढांचे को नहीं बदलना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से संविधान निर्माताओं के आशय पर तुषारापात होगा और साथ ही इससे अन्य कई समस्याएं पैदा होंगी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि पहाड़ी लोगों को अच्छा प्रशासन दिया जाये। परन्तु मैं उसे संघात्मक प्रशासनिक ढांचा प्रदान किये जाने का विरोध करता हूं।

पहाड़ी लोगों का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि मैदानी लोग उनका शोषण करते हैं। आसाम में सम्पूर्ण भारत के विभिन्न भागों से आकर लोग बसे हुए हैं। आसाम के मैदानी लोग पहाड़ी लोगों को अपना भाई समझते हैं। यदि आप पाटस्कर आयोग का प्रतिवेदन पूर्णतः पढ़ें, तो आपको यह आरोप बिल्कुल निराधार प्रतीत होगा। पहाड़ी क्षेत्र की मुख्य समस्या है आर्थिक विकास की। आसाम सरकार ने उसके आर्थिक विकास पर उपलब्ध संसाधनों की सीमा में यथोचित ध्यान दिया है। इस बात को पाटस्कर आयोग के प्रतिवेदन में भी स्वीकार किया गया है। आसाम की समस्या को सुलझाते समय गृह मंत्रालय को पाटस्कर आयोग की सिफारिशों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। जहां तक आर्थिक विकास का सम्बन्ध है, आसाम के पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। वे स्वतंत्र रूप से आर्थिक विकास कर सकते हैं।

एक नया प्रश्न सामने आता है। क्या संघात्मक प्रशासन की स्थापना के बाद आसाम की समस्या पूर्ण रूप से हल हो जायेगी ? मेरा उत्तर नकारात्मक है। यदि पहाड़ी लोगों की इच्छा को पूरा करने मात्र के लिये आसाम की कई इकाइयां बना दी गईं तो अन्य जनजातियां भी इस प्रकार की मांग करेंगी। आसाम की अहोय, मुटक बोडे और मीडी जनजातियां इस प्रकार की मांग पहले ही कर चुकी हैं। आसाम में ही क्यों देश के अन्य राज्यों में भी लोग इस प्रकार की मांग करेंगे। यदि आप इस प्रकार से लोगों को खुश करना चाहते हैं तो अच्छा यह होगा कि

प्रत्येक राज्य को संघ का स्तर दे दिया जाये । भारत में राज्यमंडल (कान्फिडेरेशन) स्थापित हो जाये । इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । साथ ही मैं चाहता हूं कि सरकार सावधानी से ऐसी समस्याओं का हल निकाले ।

Shri Nihal Singh (Chandauli) : It is not proper for the Home Ministry to make demands for more money in the name of providing security and good administration. Instead of making increase in their demands, they should decrease the number of their Ministers. There is no law and order in India these days. Riots are taking place everywhere in India. In some states of India, we find dictatorship in place of popular Government, and Bureaucracy is finishing democracy practically. Coming to the corruption rampant in the administration of today, I would like to say that mere talks are done to check the corruption and not the actions. Even the Sadachar Samitee appointed to look into the cases of corruption could not achieve success in wiping out the corruption. If you want to get a petty thing done you will have to grease the palm of the authority concerned, the Government always talk in terms of socialism but they have done nothing to materialize the concept of socialism. The gap between the rich and the poor is becoming more and more wide. The decision in the matter of abolishing the privy purses of the former rulers is still pending. The problem of language is still unsolved. I do not favour that Hindi should be imposed on non-Hindi people but at the same time I want that English should be thrown out of this country. I also wish that all Indian languages should prosper. Parochialism or regionalism is gaining the ground. Parochial or communal organizations like Shiv Sena, Lachit Sena and Hindi Sena are coming up. They are cutting the roots of the unity and integrity in the country. Such disruptive and fissiparous activities should be supressed with a strong hand. Such organisations should be banned. There is no proper arrangement of security at borders. People of border areas feel insecure. The poison of communalism is also spreading. The Government have failed in finding out the alleged murderer of Pandit Deen Dayal Upadhyaya or one who tried to murder Shri Madhu Limaye one year before this incident. From all this I conclude that the Home Minister has completely failed in discharging his duties. So he should resign. With these words I oppose the demands of the Home Ministry.

श्री राने (बुलडाना) : शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के अतिरिक्त गृह मंत्रालय की कई अन्य जिम्मेदारियां होती हैं । कुछ सदस्यों ने अराजकता के लिये केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराया है । परन्तु उन्हें यह याद रखना चाहिए कि शान्ति और व्यवस्था का विषय राज्य का विषय है । शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । जिन राज्यों में अराजकतापूर्ण वातावरण है, उसके लिए वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार है । गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारें भी इसके लिए उत्तरदायी हैं । प्रतिपक्ष के सदस्यों को कांग्रेस पर आरोप लगाने से पूर्व अपने पर भी दृष्टि डालनी चाहिए ।

गृह मंत्री को महाजन आयोग का प्रतिवेदन जैसे का तैसा नहीं मान लेना चाहिए । इसे संसद के सामने रखा जाये और संसद जो संशोधन इसमें सुझाये उनके साथ सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए । महाराष्ट्र और मैसूर के लोगों से भी मेरी यह अपील है कि वे संसद के निर्णय को स्वीकार करें ।

[**श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए**
Shri Balraj Madhok in the Chair]

यह खेद का विषय है कि देश में साम्प्रदायिक दंगे अब अधिक होते हैं। इस वर्ष लगभग 200 बार साम्प्रदायिक दंगे हुए। श्री कंडप्पन आदि सदस्यों ने भाषा का प्रश्न उठाया। मेरे विचार से उन्होंने भाषा अधिनियम को ठीक से नहीं समझा। यदि कोई राज्य अंग्रेजी रखना चाहता है तो वह अधिनियम के अनुसार ऐसा कर सकता है। सरकार को त्रिभाषा सूत्र अवश्य लागू करना चाहिए। यह भाषा की समस्या का समाधान है। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने गत वर्ष प्रशंसनीय कार्य किया है।

श्री विश्वनाथ मेनन (अर्नाकुलम) : मैं यह प्रयास कर रहा था···

Shri Onkarlal Berwa (Kota): Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जाये। अब सभा में गणपूर्ति है।

श्री विश्वनाथ मेनन : गत वर्ष गृह मंत्री ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए उन्हें बधाई दी जाये। भूतपूर्व नरेशों की प्रिवी पर्स न देने के बारे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया। वह भूतपूर्व नरेशों को इस बात के लिए खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का प्रश्न है, गृह-मंत्रालय ने उनमें सुधार लाने की बजाय एक अलोकतंत्रीय रुख अपनाया। 1967 के निर्वाचन के बाद अनेक राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकार स्थापित हुई। श्री चह्वाण ने बिहार, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान की गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने का छलपूर्ण प्रयास किया तथा कांग्रेस की प्रतिष्ठा पुनः बनाने की कोशिश की। राजस्थान में उनकी चाल सफल हुई। पश्चिमी बंगाल में डा० घोष का मंत्रिमंडल बनवाया गया जो सफल न हो सका। अब यह कपटपूर्ण चाल केरल की गैर कांग्रेसी सरकार को उखाड़ने के लिए चली जा रही है। भाषा के नाम पर वे मद्रास की द्रमुक सरकार को धराशायी करना चाहते हैं। प्रत्येक ऐसे राज्य में कांग्रेस ने गुप्त मार्ग से सत्ता हथियाने का प्रयास किया है। बंगाल आदि राज्यों में यह प्रयास सफल न हुआ और वहां पर केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। ये सब कार्य जनतंत्र विरोधी थे। अतः गृह मंत्री को उनके लिए बधाई नहीं दी जा सकती।

केन्द्रीय सरकार ने भाषा अधिनियम जैसे तैसे पारित करा लिया है। यदि सरकार इस प्रकार के कानून बनाकर यह सोचती है कि उसने भाषा सम्बन्धी समस्या हल कर दी है तो उसका यह सोचना गलत है। समस्या अभी सुलझी नहीं है। यदि सरकार वास्तव में इस समस्या को सुलझाना चाहती है तो पहले उसे सब भारतीय भाषाओं को समान स्तर देना होगा। सब राज-भाषा के रूप में स्वीकार करना होगा। आपने केवल हिन्दी को प्रमुख स्थान क्यों दिया है ? हिन्दी के आधिपत्य की स्थिति समाप्त की जानी चाहिए। समस्या अंग्रेजी बनाम हिन्दी की नहीं है बल्कि हिन्दी बनाम अन्य भारतीय भाषाओं की है। अंग्रेजी की बात तो एक थोड़े समय के लिये है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें यदि एक व्यक्ति मलयालम में पत्र लिखता है तो उसका उत्तर उसे मलयालम में ही भेजा जाये। संसद में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक सदस्य अपनी मातृ भाषा में बोल सके और अन्य भाषाओं में उसका साथ साथ अनुवाद हो। जहां सम्पर्क भाषा के बारे में निर्णय करने की बात है, मेरा यह निवेदन है कि सब भारतीय

भाषाओं को समान स्तर पर लाया जाये और वे स्वच्छन्दता के वातावरण में विकास करती जायें। एक समय ऐसा आयेगा जबकि भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा प्रमुख बन जायेगी और जो सम्पर्क भाषा का स्थान ले लेगी ;

गृह मंत्री जी भारत में एकता लाने की बात करते हैं। वह राष्ट्रीय एकता समिति का पुनर्गठन करने जा रहे हैं। परन्तु वह जो काम करते हैं, वह एकता को समाप्त करने वाला होता है। भाषा सम्बन्धी संकल्प पास करके उन्होंने एकता पर प्रहार किया है। हिन्दी समर्थकों की गतिविधियों के कारण ही हिन्दी विरोधी भावना अहिन्दी भाषी लोगों में पैदा हुई है। सबसे पहले उन्हें भाषा सम्बन्धी संकल्प को समाप्त करना चाहिए, यदि वह भारत में एकता लाना चाहते हैं। सब राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए जिसमें एक ऐसा सूत्र तैयार किया जाये जिससे सब भारतीय भाषाओं का स्तर समान हो जाये। त्रिपुरा में मेरे दल के सब कार्यकर्ता जेल में ठूंस दिये गये हैं जो वहां पहाड़ी लोगों की सहायता के लिये गये थे। उन सब को रिहा किया जाना चाहिए, और उन्हें शीघ्र ही त्रिपुरा वापिस लाया जाये।

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam) : I support the demands of Ministry of Home Affairs. At times it looks as if there is some hesitation in dealing with secessionist forces. The secessionist forces should be quelled in the border areas. There are certain forces active in our country which are in collusion with foreign powers. They want to create an atmosphere of frustration by disturbing the peace in the country. They want to exploit the simple people living in the hilly areas and create situation like Naxalbari. I want that thorough investigations should be made and disruptive forces should be quelled. In order to maintain integrity of the country and for the safeguard of democratic principles Government should deal with the situation with an iron hand. Government should not hesitate to take severe action against political party concerned. A political party which indulges in destruction of democratic institutions, should be dealt with firmly.

I am unable to understand as to what the people get by burning the copies of constitution, national flag and property of Railways. I feel there are secessionist tendencies prevalent in the Southern part of the country and trying to get advantage of language issue. But our Government adopts the policy of appeasement towards the people who oppose them. I would request the central Government not to yield before the people who want to harm the unity of the country. The centre should be strong enough to deal with such separatist forces. If Central Government do not take any firm action, they will endanger the unity of the country.

There is political instability in some of the States because of large scale defections. In certain State Assembelies even Speakers have adopted partisan attitude. These are not good signs of democracy. In my opinion the powers of the Speaker should be defined in such a manner that the work of the Legislative Assembly should not be obstructed. The constitution should be amended accordingly.

No political party is free from the disease of defections and it has resulted in instability in some of the states. The Government should take urgent steps to bring an end to this unhealthy practice. Government should come forward with a legislation to ban these defections.

श्री समर गुह (कन्टाई) : कूच-बिहार तथा जलपाईगुड़ी जिलों में पाकिस्तानी बस्तियों की कुल संख्या 95 है और पूर्वी पाकिस्तान में कूच विहार की कुल 131 बस्तियां हैं, भारतीय प्रदेश में भारतीय बस्तियों के भारतीयों को भारतीय नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। उनका जीवन, उनकी इज्जत और सम्पत्ति खतरे से खाली नहीं है और भारतीय बस्तियों में पाकिस्तानी झन्डे फहराये जा रहे हैं। भारतीय नागरिकों को आने जाने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। परन्तु दूसरी ओर भारतीय प्रदेश में पाकिस्तानी बस्तियों में पाकिस्तानी पुलिस अथवा वहां के नागरिक आ जा सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं है ?

केरल विधान सभा में श्री नम्बूदरीपाद ने बताया है कि माओ के विचारों पर एक पुस्तक प्रकाशित करने के लिये एक मार्क्सवादी साम्यवादी चीनी दूतावास, नई दिल्ली, से धन प्राप्त कर रहा है। जब श्री नम्बूदरीपाद से यह पूछा गया कि क्या वह उस साम्यवादी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया कि यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। क्या केन्द्रीय सरकार इस देशद्रोहात्मक कार्यवाही के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रहे हैं।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

एक और महत्वपूर्ण मामला यह है कि दो दिन पूर्व समाचार पत्रो में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि एक भारतीय सर्वेक्षण दल, जो उत्तरी अन्डमान में कार्निवालिस बन्दरगाह से 50 मील उत्तर में स्थित नारकंडम द्वीप का दौरा करने गया था, द्वीप में बर्मा के स्तम्भ देख कर चकित रह गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने उस दल को क्या अनुदेश दिये हैं और क्या वे कह सकते हैं कि वह क्षेत्र भारत का है। भारतीय समुद्री अड्डे के लिये यह द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है।

यह आरोप लगाया गया था कि श्री अतुल्य घोष की पाकिस्तान के हाई कमीशन के साथ सांठगांठ है। यह पता चला है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूरी कर ली है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या है ?

नागालैंड के लोग आजाद हिन्द फौज में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार आजाद हिन्द फौज में काम करने वालों का नागालैंड में एक स्मारक बनायेगी ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी पुस्तिका प्रकाशित करेगी जिसमें नागा लोगों की भाषा में नेता जी की संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित हो ? इस प्रकार की पुस्तिका वहां के बच्चों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

Shri Shiv Narain (Basti) : The law and order situation in the country is not satisfactory. Harijans are being humiliated in the counry and they are not being protected. The recent events occurred in Andhra Pradesh and Madhya Pradesh show that Harijans are being harassed and killed. We are treated as fourth grade citizens. The Government should take steps to stop these atrocities.

I want to suggest that serious view should be taken of the speeches made by Sheikh Abdullah as he is misusing the freedom of speech. I wolud request the Government to take severe action against him.

I cannot support English because it is not an Indian language. I can support any other language but it should be an Indian language. Though the people of Madras knew Hindi very well, they have been asked not to speak in Hindi.

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुये
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

A full fledged inquiry should be held into the death of Shri Deen Dayal Upadhyaya. This is not an ordinary murder. The culprits must be brought to book.

The foreign money which is being infiltrated into our country should be checked. Administrative efficiency should be increased. There should be a code of conduct for all the politicians. The law and order problem should be treated above party considerations.

A Bill should be introduced in order to check the defections. If a Member decides to change his party, he should resign from his present seat and seek re-election.

The Government should be vigilant and take steps to check smuggling on our borders.

** इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित काश्मीर के एक नक्शे के बारे में
RE : A MAP OF KASHMIR PUBLISHED IN INDIAN EXPRESS

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैंने नक्शों का रिकार्ड देखा है और यह अनुभव किया है कि इस रिकार्ड की स्थिति बहुत खराब है। नक्शों की समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है और अब यह बात देश के लिये अधिक खतरनाक है। मैं इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूं। संसद के पुस्तकालय में मैं एक नक्शा देखकर चकित रह गई जिसमें दार्जिलिंग, पूरा जम्मू तथा काश्मीर, कच्छ के कुछ क्षेत्र लाल रेखा से बाहर दिखाया गया है। अब भी संसद के पुस्तकालय में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिवेदन 1953 में यह नक्शा पड़ा है। इस पुस्तक का प्रकाशन तत्कालीन महासर्वेक्षक श्री आई० एच० आर० विल्सन के आदेश से हुआ था। जब यह नक्शे जमा हो गये तो श्री हरि सिंह, प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को सूचना दी थी, बाद में यह पता चला कि श्री विल्सन का भाई भी पाकिस्तान में उसी पद पर कार्य कर रहा है। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नक्शों का कार्य राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर नहीं किया जा रहा है। श्री विल्सन समय से पहले ही सेवा निवृत्त हो गये उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं हो सकी।

हाल ही में हमने कच्छ का प्रदेश इसलिये खो दिया क्योंकि हमारा रिकार्ड ठीक नहीं था। भारत के सीमांकन सम्बन्धी कार्य में बड़ी शिथिलता से काम लिया जाता है। यह बातें ठीक नहीं

**आधे घण्टे की चर्चा

**Half-an-hour Discussion.

हैं। हमारे राज्य क्षेत्रों को धीरे-धीरे हड़प किया जा रहा है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अपने प्रतिवेदनों में भिन्न-भिन्न आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, हमारे क्षेत्र की स्थिति रबड़ की भांति हो गई है जिसे घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है।

22 मार्च, 1968 को भारतीय संसदीय दल के तत्वावधान में हुई एक बैठक में डा० बेब्लर ने कहा था कि कच्छ न्यायाधिकरण अपने विचारार्थ विषय से बाहर चला गया है। परन्तु जिन वकीलों ने वहां पर हमारी वकालत की थी उन्हें इस सम्बन्ध में आपत्ति उठानी चाहिए थी।

जिस ढंग से हमारा रिकार्ड रखा जाता है वह बहुत ही असंतोषजनक है। अब कच्चा-तीवू के सम्बन्ध में भी विवाद खड़ा हो गया है कि वह हमारे देश का है या नहीं है। प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि इन द्वीपों के सम्बन्ध में सदा से विवाद रहा है। यदि यह बात ठीक है तो हमें अपने मित्र देशों से उस सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिए थी और अब तक इसका निर्णय हो जाना चाहिए था।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि प्रधान-मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री की देख-रेख में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो हमारी सीमाओं का निर्धारण करे और एक बार अन्तिम निर्णय ले ले। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध नहीं हैं। परन्तु बी० ओ० ए० सी० वायु-सीमा का उल्लंघन कर रहा है। उनके मैन्युअल में लिखा है कि वह दक्षिण अफ्रीका से क्षतिपूर्ति बांड लेकर भारत से होकर दक्षिण अफ्रीका माल ले जायेगा। हमारा प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र है परन्तु फिर भी इस प्रकार के उल्लंघन किये जा रहे हैं।

गोआ तथा पांडीचेरी के सीमांकन के सम्बन्ध में भी कुछ गलतफहमी है। अब यह सारा क्षेत्र भारत के क्षेत्र में गिना जाना चाहिये। परन्तु यह कार्य अब तक नहीं हुआ है।

फिर 31 जुलाई, 1957 को भारत सरकार ने भारतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था, उसमें आजाद काश्मीर क्षेत्र का जिक्र नहीं किया गया था। आजाद काश्मीर भारत का अंग है। यह गलती कैसे हुई और भारत सरकार ने इस गलती में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr): In the survey of India report, 1952, a map showed certain areas of North-Eastern regions of our country as restricted. The Hon'ble Home Minister may say that these regions have been shown as restricted from the point of view of defence but it is not a fact. The areas shown as restricted in the 1961 report are different from those shown in the 1952 report. Such things happened because of the British Surveyor Generals of our country, who were bent upon creating difficulties for us.

In this connection, I had also referred to Andaman and Nicobar islands. There had

never been any dispute about Andaman and Nicobar islands. But soon after the Kutch Award, Pakistan began demanding partition of the Andaman and Nicobar islands.

The Government had entered into some agreements with Burma, Ceylon, Nepal and China. They should have settled border questions also at the time of entering into these agreements.

It is not a question of any party. It is a question of the territorial integrity of our nation. Neighbours become enemies because of our weaknesses. A serious thought should be given to this matter.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): There are patent mistakes in our maps in the atlases in our libraries. This shows our weakness as well as carelessness. The Government should publish a detailed authentic map. No map should be allowed to remain in any library without having been approved by the Government. All maps published in our country should conform to the authentic map. Those who violate this rule should be punished. A scrutiny of the maps kept in our libraries would reveal that hundreds of our maps are wrong.

An expert committee should be set up to go into the question of our borders and to point out the disputed areas.

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : हमारी सीमाओं पर निगरानी की कमी रही है जिसके कारण हमारे देश पर भारी विपत्तियां आई हैं। जिस सीमा की हमारे जवानों ने अपना खून बहा कर रक्षा की है वह भारत के सर्वेक्षण विभाग की गलतियों के कारण हमसे छीन लिया जाता है। सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी यह नहीं समझते कि नक्शों पर हाशिये में और दूसरे टिप्पण जो वे लोग लिख देते हैं उनसे कितनी गड़बड़ी हो सकती है। अतः सरकार को भारत के सर्वेक्षण विभाग में ऐसे अधिकारियों का एक अनुभाग बनाना चाहिये जो इन नक्शों की राजनीतिक दृष्टि से भी छानबीन करे और उनके द्वारा पास किये जाने के बाद ही नक्शे प्रकाशित किये जाने चाहिये। ऐसे छोटे-छोटे सैकड़ों द्वीप हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते कि वे किस देश में हैं। क्या सरकार इस पर विचार करेगी। जो हमारे द्वीप हैं और जहां हमारी जनता नहीं रहती वहां पर कुछ शरणार्थियों को बसाया जा सकता है और यदि वे स्थान रहने योग्य नहीं हैं तो वहां पर हमें कुछ मजबूत स्तम्भ खड़े कर देने चाहिये ताकि यह पता लग सके कि वे भारत के हैं।

Shri Rabi Ray (Puri): Government declare any part of our country as disputed area without due consideration. Dr. Sampurnanand, the then Chief Minister of Uttar Pradesh had called Bara Hoti area as a part of our country, but Prime Minister Shri Nehru called it a disputed area. I would like to know the exact position in regard to Bara Hoti.

I would like to know whether it is a fact that some villages of Manipur had been given away to Burma some years back with a view to maintain peace and if so, the reasons therefor.

I would also like to know whether it is a fact that our officers cannot visit our enclaves in Cooch Behar whereas the officers of Pakistan visit their enclaves in Cooch Behar off and on. I would like to know the action being taken by our Government to enable our officers to visit our enclaves there.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : भारत का प्रमाणिक मानचित्र 1962 में भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया था। (1 इंच=40 मील)।

पूछा गया है कि प्रकाशित किये गये गलत नक्शों के सम्बन्ध में हमने क्या किया है। 1961 के दंड विधि संशोधन अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के द्वारा सरकार को गलत नक्शे प्रकाशित करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की शक्तियां दी गई हैं।

लन्दन टाइम्स आरगैनाइजेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक को 1965 में अभिनिषिद्ध किया गया था। यद्यपि यह पुस्तक 1959 में छपी थी तथापि भारत सरकार को इसका पता 1965 में लगा और तुरन्त कार्यवाही की गई और इसके प्रकाशन को अभिनिषिद्ध कर दिया गया। इस दौरान कुछ प्रतियां अवश्य आयात कर ली गई होंगी। ये प्रतियां हमारे पुस्तकालयों में भी हो सकती हैं। मैं सभी अभिनिषिद्ध पुस्तकों को सभी पुस्तकालयों से हटाये जाने की कोशिश करूंगा।

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने कहा था कि इस पुस्तक में भारत के सर्वेक्षण विभाग के प्रति भी आभार व्यक्त किया गया है। इससे यह गलत धारणा उत्पन्न हो सकती है कि इस नक्शे को तैयार करने में सम्भवतः भारत के सर्वेक्षण विभाग ने भी इस संगठन को सहयोग दिया होगा, किन्तु ऐसी बात नहीं है। हमारे सर्वेक्षण विभाग ने कोई सहयोग नहीं दिया।

देश में नक्शों के सही प्रकाशन के लिये भारत के सर्वेक्षण विभाग ने तीन नक्शे प्रकाशित किये हैं। जो लोग सही नक्शे छापना चाहते हैं उन्हें इन तीनों नक्शों से काफी सहायता मिल सकती है। सभी राज्यों को भी कह दिया गया है कि वे प्रकाशकों को इन तीनों नक्शों के बारे में बता दें ताकि सही नक्शे छापने वाले इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

इण्डियन एक्सप्रेस में गलत नक्शा अनजाने में ही छप गया था। यह नक्शा आन्ध्र में छपा था। हमने आन्ध्र प्रदेश सरकार से इसके बारे में बातचीत की है। साथ ही हमने उनके दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय से भी बातचीत की है।

कभी-कभी नक्शे लापरवाही के कारण या अनजाने में गलत प्रकाशित हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाये इसके बारे में हम सम्बद्ध अधिकारियों के साथ परामर्श कर रहे हैं।

नक्शों के प्रकाशन के सम्बन्ध में दिये गये सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 28 मार्च, 1968/8 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 28th March, 1968/Chaitra 8, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 27-8-1968—600